वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी

डॉ. अखिलेश शुक्ल
डॉ. सन्ध्या शुक्ल
डॉ. संगीता सिंह

वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी

वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी

डॉ. अखिलेश शुक्ल
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित
''पं. गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड'' तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा
'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड' से सम्मानित
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
(उत्कृष्टता केन्द्र) रीवा (म.प्र.)

डॉ. संध्या शुक्ला
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा

डॉ. संगीता सिंह
सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान
रीवा (म.प्र.)

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज
रीवा (म.प्र.)
www.researchjournal.in

ISBN-978-81-87364-77-1

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस **(ISSN0973-3914)**
(UGC Journal No. 40942) का वार्षिक विशेषांक

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

प्रथम संस्करण : 2019

₹ **600**.00

प्रकाशक
गायत्री पब्लिकेशन्स
विन्ध्य विहार कालोनी
लिटिल वैम्बिनोज स्कूल कैम्पस
पड़रा, रीवा (म.प्र.) - 486001
फोन : 7974781746
Email- gayatripublicationsrewa@rediffmail.com
www.researchjournal.in

लेजर कम्पोजिंग-
अरविन्द कम्प्यूटर्स, रीवा (म0प्र0)

इस पुस्तक को यथा संभव अद्यतन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि इसमें कोई कभी अथवा त्रुटि रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा संताप के लिए सम्पादक, लेखक, प्रकाशक एवं मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। विद्वत पाठक गण के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

आमुख

वर्तमान संदर्भ में भारतीय समाज में नारी की प्रस्थिति का विशद् विवेचन इस संदर्भ ग्रंथ में किया गया है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय महिलाओं के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। लिखित साहित्य का प्रथम ग्रंथ वेद है। वेदों में सम्पूर्ण ज्ञान को समाहित किया गया है। वैदिक काल में समाज में महिलाओं की प्रस्थिति पूरी तरह पुरुषों के समान थी। वेद में नारियों की देवी के रूप में पूजा की गई है। यह धार्मिक प्रस्थिति और विचार आज भी कायम है, किन्तु समाज में स्थिति भिन्न है। आज भारत में वैदिक काल की कुछ अच्छाईयाँ विद्यमान है तो मध्यकाल में उत्पन्न हुई कुछ सामाजिक बुराइयाँ भी अस्तित्व में हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् 26 जनवरी 1950 से भारत का अपना संविधान लागू हुआ। संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रोत्तर भारत में अनेक विधियाँ विनिर्मित की गई ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेद-भाव को समाप्त किया जा सके। अनेक शोध पत्रों में इनकी विवेचना की गई है। किन्तु जब तक भारत के लोग लड़कों के समान लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा में ध्यान नहीं देंगे तब तक भारतीय नारी को दैहिक एवं भौतिक तापों से मुक्त नहीं किया सकेगा। सरकार, विधितंत्र ऐसे भेद-भाव को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है किन्तु अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और परम्पराएं व्यक्ति को बालक और बालिका के बीच भेद-भाव को दूर करने में बाधक है। यह तभी संभव है जब समाज में शिक्षा का स्तर और दर में वृद्धि हो। शिक्षा और जागरूकता से ही इन व्याधियों से निजात पाया जा सकता है। यह एक संभावना है, किन्तु समाचार पत्र, मीडिया के सभी साधन, मनोरंजन के चैनल्स एवं महानगरीय सभ्यता पश्चिमोन्मुख होने के कारण भारतीय नारी का जो स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं वह यथार्थ नहीं है। यथार्थ के नाम पर टी.वी. चैनल्स में नारी का जो रूप दिखाया जा रहा है या आधुनिकता के नाम पर जो नग्नता परोसी जा रही है उसे हम बदलती हुई लाइफस्टाइल अवश्य कह सकते हैं किन्तु वह भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती है। इसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और महिला संगठनों को इस ओर सक्रिय होना पड़ेगा। महिलाओं की मानसिकता परिवर्तन ही प्रमुख निदान है। इसी तरह

आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या बंद हो। पर यह तभी संभव हो जब गर्भवती माँ, पिता, उसके परिवार के लोग, चिकित्सक और ऐसे सभी चिकित्सकीय केन्द्र मिलकर इसका विरोध करें। कन्या भ्रूण हत्या निरोध के लिए कानून एवं ऐसे कृत्य के लिए दण्ड की व्यवस्था है लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और यदि है, तो उनकी मानसिकता इसके विरोध की नहीं है। परिणाम यह है कि बालिकाओं का अनुपात कम होता जा रहा है। इसलिए इस भयानक स्थिति में परिवर्तन जागरूकता के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए हमें समाज से दहेज रूपी दानव का अंत करना पड़ेगा। शिक्षा इस कार्य में बेहद सहायक होगी। नशाखोरी भी महिला उत्पीड़न का एक भयानक कारक है। शोध पत्रों में इन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पर वास्तव में भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में अवश्य ही महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं।

प्राप्त शोध पत्रों को एक संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने के कार्य के लिए हम सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा के आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि यह संदर्भ पुस्तक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

रीवा,
गणतंत्र दिवस
26 जनवरी 2019

डॉ. एस. अखिलेश
डॉ. संध्या शुक्ला
डॉ. संगीता सिंह

अनुक्रमणिका

1.	वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी (मध्यप्रदेश की महिला विकास नीति–2015) **डॉ. अखिलेश शुक्ल**	09
2.	वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलायें **डॉ. सीमा श्रीवास्तव**	19
3.	समाज में महिलाओं की स्थितिः एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण **डॉ. के.के. शर्मा, निशा सिंह, डॉ. प्रीति शर्मा**	27
4.	भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं परिवर्तन **डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव**	34
5.	स्वातंत्रोत्तर भारत में नारी की स्थिति **डॉ. सरोज बाला श्याग विश्नोई**	41
6.	वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी **डॉ. पूजा तिवारी**	47
7.	भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना **डॉ. गुंजन सिंह, डॉ. रेखा सेन**	50
8.	भारतीय सन्दर्भ में नारी सशक्तीकरण **डॉ. अलका नायक**	54
9.	भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण **सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे**	59

10. नारी एवं विविध दृष्टिकोण 66
डॉ. निशा गुप्ता

11. भारत में लैगिंग असमानता और जेंडर बजटिंग 70
डॉ. वर्षा राहुल

12. महिला सशक्तिकरण (शहडोल जिले के विशेष सन्दर्भ में) 87
पाकीज़ा खातून

13. महिला सशक्तिकरण पत्रकारिता एवं स्त्री विमर्श 93
डॉ. शशिकिरण नायक, डॉ. रोहिणी त्रिपाठी

14. आजादी के पश्चात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण 99
कोमल पाण्डेय, डॉ. उर्मिला शर्मा

15. महिला श्रमिकों के मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय 106
डॉ. आरती श्रीवास्तव, तृप्ति शर्मा

16. वर्तमान परिदृश्य में महिलाओ के प्रति बढ़ते अपराध : म.प्र. के विशेष संदर्भ में 121
डॉ. आशा गोहे

17. भारतीय महिलाओं की उद्यमशीलता 129
ओनिमा मानकी

18. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ : एक सशक्त पहल 134
शीला समद

19. भारतीय नारी आज और कल एक विश्लेषण 139
डॉ. आर.एन. तिवारी, डॉ. (श्रीमती) गायत्री शुक्ल

वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी

(मध्यप्रदेश की महिला विकास नीति–2015)

* डॉ. अखिलेश शुक्ल

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। महिला नीति-2015 में महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करने, व्यवसायमूलक क्षमता एवं कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। विकास के संसाधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित करने, जीवन कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध करवाने और सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के संरक्षण को नीति में शामिल किया गया है। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके।

चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं, अन्तर गृह और सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को देखते हुए, समष्टि आर्थिक नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्य के साथ महिला उन्मुख हैं। महिलाओं की सक्षमताओं में वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों के साथ उन्हें अनेक आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर

---

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (उत्कृष्टता केन्द्र) रीवा म.प्र.

गरीब महिलाओं को एकजुट करने तथा सेवाओं की समभिरूपता के लिए कदम उठाए गये हैं।

पड़ता है, जिसका आमतौर पर आंकलन ही नहीं होता और न ही उसको कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। महिलाओं में बढ़ती हुई गरीबी भी एक भयावह परिदृश्य है। पहले की तुलना में कहीं अधिक संख्या में महिलाएँ अत्यन्त गरीबी में जी रही हैं। इस तरह ये महिलाएँ दोहरी मार खाती हैं। अत एव, जब तक उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को भी सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक महिलाएँ समर्थ नहीं हो सकेंगी। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश की महिला नीति महिलाओं को समर्थ बनाने और उनके विकास के लिये बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनकी दशा, सुधारने के लिये प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुये मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि महिलाओं का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण हो, उनका जीवन स्तर बेहतर हो और इसके लिये सरकार सक्रिय कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के इस साहसिक पहल को सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों सहित अन्य संस्थाओं तथा संबंधित व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की महिलाओं, विशेषकर सबसे गरीब तबके की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास में सफलता प्राप्त हो रही है। म.प्र. में महिला नीति के निम्नलिखित लक्ष्य निरूपित किये गये हैं।

महिलाओं और लड़िकयों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार व्यावसायिक तकनीकी कौशलों के साथ-साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों में समय संबंधी सेक्टोरल लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद के मुख्य कारणों में एक के रूप में लैंगिक रूढ़ि बद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं,

के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्दिष्ट बाल मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के लिए जन सांख्यिकी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को दोहराती है। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं, जो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बीमारियों के साथ-साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखा जाता है। एचआईवी, एड्स तथा अन्य यौन संचारित बीमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में निपटा जाएगा।

शिशु और मातृ मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) की जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, यह नीति इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करती है कि परिवार नियोजन की अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी और किफायती विधियों तक पुरूषों और महिलाओं की पहुंच होनी चाहिए तथा बाल विवाह एवं बच्चों में अन्तर रखने जैसे मुद्दों का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जैसे हस्तक्षेप और बीएसवाई जैसे विशेष कार्यक्रम विवाह की आयु में देरी करने में प्रभाव डालेंगे ताकि बाल विवाह की प्रथा समाप्त की जा सके।

समुचित प्रलेखन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के बारे में महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी जा रही है और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए उपलब्ध समग्र स्वास्थ्य अवसंरचना की रूपरेखा के अंदर दवा की भारतीय और वैकलपिक पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात शैशवकाल एवं बाल्यकाल,

किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संकेंद्रित किया जाना है किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं में वृहद् और सूक्ष्म पोषण की कमियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने हैं क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अपंगताएं होती हैं। लड़कियों और महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। घरों के अन्दर पोषण में असमानता के मुद्दों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पोषण शिक्षा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रदायगी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुंच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार की सेवाओं की आयोजना, प्रदायगी और रख-रखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाना है। महिलाओं जिसमें एकल महिलाएं भी शामिल हैं, घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है एवं उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबिंबित किया गया है। उनकी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरणीय विकृति का नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश भाग आज भी स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों जैसे कि जानवरों का गोबर, फसलों का अवशिष्ट और ईंधन लकड़ी पर निर्भर है। इन ऊर्जा स्रोतों का पर्यावरण अनुकूल ढंग से दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना की नीति का उद्देश्य है। महिलाओं को सौर ऊर्जा, बायोगैस, धुँआं रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण संसाधनों

के प्रयोग को प्रचारित करने में शामिल किया जा रहा है। ताकि परिस्थिति की प्रणाली को प्रभावित करने और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को परिवर्तित करने में इन उपायों का स्पष्ट प्रभाव पड़े सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और अधिक शामिल करने के लिए कार्यकमों को सुदृढ़ किया जाना है। इन उपायों में उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने के लिए लड़कियों को प्रेरित करना तथा यह भी सुनिश्चित शामिल करना कि वैज्ञानिक और तकनीकी निविष्टियों वाली विकासात्मक परियोजनाओं में महिलाएं पूर्ण रूप से शामिल हों। वैज्ञानिक मनोदशा और जागृति को विकसित करने के प्रयासों को भी और भी अधिक बढ़ाया जाना है। संचार और सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे जिनमें उनके पास विशेष कौशल हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने तथा साथ ही कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करते रहने की उनकी प्रथा को कम करने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महिलाओं की परिस्थितियों में विविधता तथा विशेष रूप से वंचित समूहों की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए, उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए उपाय और कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन समूहों में अत्यधिक गरीबी में रहने वाली महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, टकराव की स्थितियों में रहने वाली महिलाएं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महिलाएं, कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, अशक्त विधवाएं, वृद्ध महिलाएं, विकट परिस्थितियों में रहने वाली एकल महिलाएं, परिवार प्रधान महिलाएं, रोजगार से विस्थापित महिलाएं, प्रवासी महिलाएं, वैवाहिक हिंसा की शिकार महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं और वेश्याएं इत्यादि शामिल हैं।

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा, चाहे यह शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर, जिसमें रिवाजों, परम्पराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, से प्रभावी ढंग से निपटया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न समेत ऐसी हिंसा एवं दहेज जैसी प्रथाओं की रोकथाम के लिए, हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए और इस प्रकार की हिंसा करने वाले अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं और तंत्रों, स्कीमों का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार से निपटने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

घर के अन्दर और बाहर निवारक और दण्डात्मक दोनों प्रकार के दृढ़ उपाय

अपनाकर लड़कियों के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को दूर किया जा रहा है। ये विशेष रूप से प्रसवपूर्व लिंग चयन और बालिका भ्रूण हत्या के रिवाज, लड़कियों की शैशव काल में हत्या, बाल विवाह, बाल दुरूपयोग तथा बाल वेश्यावृतति इत्यादि के विरूद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने से संबंधित हैं। परिवार के अंदर और बाहर लड़कियों के साथ व्यवहार में भेदभाव को दूर करने तथा लड़कियों की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के कार्य को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाना है। लड़कियों की आवश्यकताओं तथा भोजन और पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश का लक्ष्य रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

लड़कियों तथा महिलाओं की मानवीय अस्मिता से संगत छवि प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाता है। यह नीति विशिष्ट रूप से महिलाओं की मर्यादा कम करने वाली, विकृत करने वाली तथा नकारात्मक परम्परागत रूढ़िबद्ध छवियों और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयास करना है। विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों तथा मीडिया नेटवर्क को सभी स्तरों पर शामिल किया जाता है। जेंडर रूढ़िबद्धता को दूर करने तथा महिलाओं और पुरूषों के सन्तुलित चित्रांकन को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को आचार संहिता, व्यावसायिक दिशानिर्देशों तथा अन्य स्व विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महिला नीति के लक्ष्य– मध्यप्रदेश महिला नीति के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं –

1. नारी जीवन का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3. महिलाओं का आत्मविश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना।
4. सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का भरपूर लाभ उठाने के लिये महिलाओं को समर्थ बनाना।
5. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सकारात्मक कदम उठाना।
6. यह सुनिश्चित करना कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो।
7. महिलाओं के मामले में समाज के रवैये में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।

8. महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिन्सा की रोकथाम करना।

महिला विकास के साधन– इस प्रकार मध्य प्रदेश की महिला नीति की दो प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं, प्रथम, उन्हें समर्थ बनाना तथा द्वितीय महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास और प्रगति सुनिश्चित करना। इन प्राथमिकताओं और नीति में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति इस प्रकार निर्मित की गई है।

1. भूमि, सम्पत्ति और अन्य सामूहिक संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण बढ़ाने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने का सरकार प्रयास कर रही है।
2. महिला प्रमुख परिवारों को मान्यता दी जा रही है और उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विशेषकर नियोजन की प्रक्रिया और कार्यक्रमों के माध्यम से। इसके साथ-साथ परिवार की प्रत्येक महिला सदस्य तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ दिया जा सके।
3. सरकार यह मानती है कि सार्वजनिक सम्पत्ति और संसाधनों के विकास में महिलाएँ प्रमुख सहभागी हैं, इसलिए यह प्रयास है कि इन संसाधनों के प्रबन्ध के बारे में निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता बढ़े।
4. प्रत्येक स्तर पर, खासतौर पर विकास और सामाजिक क्षेत्रों में, महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सरकार उपाय कर रही है और इसे सुनिश्चित करने के लिये नौकरियों में महिलाओं के लिये आरक्षण लागू किया जा रहा है।
5. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के ऑकड़ों के संकलन और सांख्यिकीय अभिलेखों में महिलाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो। इसके लिये यह जरूरी है कि महिलाओं से संबंधित आँकड़ों का पृथक्करण करने के लिये जो पद्धतियाँ आँकड़े इकट्ठे करने, उनको अद्यतन करने और उनको प्रस्तुत करने के लिये अपनायी जाती है, उनमें जरूरी बदलाव लाया जाकर और नये तरीके व पद्धति अपनाई जाय इसके लिये प्रधान अवधारणाओं को फिर से परख कर पुनः परिभाषित कर इस प्रक्रिया में ऐसे तरीके भी विकसित किये जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के घरेलू कामकाज के उत्पादक श्रम को पहचाना जा सके।
6. योजना विभाग में एक विशेषज्ञ दल बनाया गया है जो यह अध्ययन कर रहा है कि विकास के लिये जो भी खर्च किया गया है, उसका महिलाओं पर क्या असर हुआ है।
7. राज्य में विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रत्येक सेक्टर में महिला नीति के क्रियान्वयन

की समीक्षा और पर्यवेक्षण के तरीके निर्धारित किये जा रहे हैं।

8. प्रदेश में महिलाओं की मृत्यु दर को रोकने तथा कम करने के सक्रिय उपाय किये जा रहे हैं। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु और शैशवकाल में बालिकाओं की मृत्यु को रोकने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा महिलाओं में कुपोषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
9. बालिकाओं के जीवन की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिये कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है।
10. सरकार महिलाओं को उत्पादनकर्ता के रूप में मान्यता दे रही है और विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों में उन्हें पूरा-पूरा लाभ देने का प्रयास कर रही है।
11. आर्थिक उत्पादनकर्ता की भूमिका में महिलाओं को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिये उन्हें महिलाओं के बचत और साख समूहों, ड्वाकरा और ग्राम्या जैसे बुनियादी कार्यक्रमों, जिला आपूर्ति और विपणन अभिकरणों, महिला आर्थिक विकास निगम जैसे प्रदेश स्तरीय अभिकरणों तथा राष्ट्रीय महिला कोष जैसे राष्ट्रीय अभिकरणों से सम्बद्ध किया गया है।
12. स्त्री-पुरूष असमानता से जुड़े मामलों में सभी स्तर के शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और संवेदनशील बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
13. पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के चुने हुये प्रतिनिधियों को, महिलाओं के प्रति विशेषकर महिलाओं पर होने वाली हिन्सा के बारे में संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है।
14. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि घरेलू उत्पादन और अनौपचारिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की सुविधा समान रूप से मिले। इसके लिये प्रभावी योजनाएँ बनाई गई हैं।
15. सभी क्षेत्रों में ऋण की सुविधा का लाभ महिलाओं के लिये सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर की समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय बैंकों की समिति में महिला समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और इसी प्रकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय बैंकों की समिति तथा अन्य निचले स्तर की संस्थाओं में भी प्रावधान किया गया है। ऐसा ही प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मण्डलों और सहकारी समितियों में भी किया गया है।

16. राज्य सरकार द्वारा गठित किये गये सभी सलाहकार मण्डलों और शक्ति सम्पन्न समूहों में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इन मण्डलों और समूहों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ रखी गई हैं।
17. सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के बीच महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सार्थक तालमेल स्थापित किया जा रहा है।
18. महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके हितों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी कानूनों का परीक्षण किया जा रहा है और जहां भी जरूरत है उनके हितों की सुरक्षा के लिये इन कानूनों में संशोधन करने की पहल की जा रही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं से संबंधित कानूनों का पालन हो रहा है।
19. परिवार, समाज और संस्थाओं में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, शोषण और अत्याचार रोकने के उपाय किये जा रहे हैं।
20. कमजोर वर्ग की महिलाएँ, जैसे वृद्ध, परित्यक्ता, अकेली, तलाकशुदा, भावनात्मक रूप से परेशान, मानसिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की सुविधा के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं।
21. युवावस्था में विधवा होने वाली महिलाओं को अधिक कठिनाई और सामाजिक उपेक्षा भोगनी पड़ती है, इसलिए विधवा पेंशन का लाभ देने में उम्र का बंधन हटा दिया गया है। विधवा की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये।
22. विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये भी सरकार उपाय कर रही है।
23. सरकार नई तकनीक महिलाओं के लिये सरल व सुगम बनाने का प्रयास कर रही है जिससे महिलायें लाभान्वित हो सके।
24. जिन क्षेत्रों में महिलाएँ बड़ी संख्या में काम करती हैं, जैसे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, उन क्षेत्रों में महिलाओं की तकनीकी, उद्यमी और प्रबंधन क्षमता का विकास करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।
25. कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योग तथा हाथकरघा सरीखे उद्योगों में महिलाएँ अधिक संख्या में काम करती हैं, इसलिए इन उद्योगों को महिलाओं के लिए और अधिक किफायती, लाभदायक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है।
26. उत्पादन करने वाली और उद्यम चलाने वाली महिलाओं के लिये ऋण की व्यवस्था, कच्चा माल उपलब्ध कराने, तकनीक, व्यापार व्यवस्था और प्रबंध में मदद देने के लिये व्यापक प्रणाली अपनाई जा रही है।

27. महिलाओं की स्वतंत्र और रचनात्मक छवि को उजागर करने के लिये पाठ्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन किया गया है। इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शोध को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है।
28. सरकार के द्वारा गांवों में चलाई जा रही विस्तार सेवाओं में महिलाओं के लिये उपयुक्त आरक्षण किया गया है, जिससे इन योजनाओं का विस्तार और प्रसार अधिक से अधिक महिलाओं के बीच हो सके।
29. शहरों में स्थानीय संस्थाओं, गृह निर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरण जैसे निकायों द्वारा वाणिज्यिक एवं आवासीय भू-खण्डों के आवंटन में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।

इस तरह मध्यप्रदेश की 'महिला नीति' महिलाओं को समर्थ बनाने और उनके विकास के लिये बनाई गई है। यह नीति निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, सुसंगत और दीर्घकालिक ऐसी नवीन व्यवस्था लाने का वचन देती है, जो गरिमा के साथ समानता और निर्वाह के साथ विकास का प्रतीक है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. दुबे श्यामचरण(1996), विकास का समाजशास्त्र, वाणीप्रकाशन, नई दिल्ली।
2. राज किशोर(1992), स्त्री-पुरुष कुछ पुनर्विचार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. बोउवार द सीमोन-(1992), स्त्री उपेक्षिता, हिन्द पाकेट बक्स, दिल्ली।
4. शर्मा राम विलास (1989), भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास विभाग, भोपाल।

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलायें

* डॉ. सीमा श्रीवास्तव

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं के बारे में कुछ लिखने से पहले यह बताना उचित होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। प्राचीन काल में भारत मे महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रो में पूरी आजादी थी। शिक्षा प्राप्त करने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी तो दूसरी ओर अपना पति चुनने की भी आजादी थी। आशारानी व्होरा के अनुसार '' रामायण और महाभारत काल के साहित्य में स्त्री राज्यो का वर्णन है '' लेकिन कालांतर में यह स्थिति निरंतर बदलती गई। विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से उन्हें विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ा। दूसरे शब्दो में भारत में महिलाओं की स्थिति में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है। प्राचीन काल में पुरूषो की बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकाल में निम्न स्तरीय जीवन फिर कालांतर में समाज सुधारकों के प्रयासों से अधिकारों की प्राप्ति तक भारतीय महिलाओं का इतिहास अनेक उतार चढ़ाव की एक लंबी गाथा है। आदिकाल से लेकर अब तक समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ वर्तमान आधुनिक वैश्विक, भूमण्डलीकृत रूप में हमारे सामने है। यहां तक आने में सदियां गुजर गई। वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलायें कहाँ हैं? इसका विश्लेषण भारतीय महिलाओं के समग्र अध्ययन के रूप में करना होगा। वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रो में उनकी स्थिति के आधार पर समझा जा सकता है।

ग्रामीण महिलायें–

भारत की अधिसंख्य 68.2 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में विकास से दूर यहाँ की आबादी अभी भी कृषि पर ही मुख्य रूप से निर्भर है।शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अनेक कुरीतियां प्रचलित हैं जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन को कष्टप्रद बनाती हैं। कार्य के अनगिनत घंटे, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उनकी स्थिति को और भी कष्टप्रद बनाती है। घरेलू कार्यो के साथ-साथ कृषि कार्यो मे सहभागिता, लकड़ी व पानी के लिये मीलों सफर और अपौष्टिक भोजन उनकी स्थिति को दर्शाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों

---

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय स्नाताकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

की तुलना मे महिलाओं के कार्य के घण्टे अधिक हैं लेकिन इसके बावजुद उनके कार्य की गणना आय के लिये नहीं की जाती। वर्तमान में उनके समक्ष अनेक चुनौतियां है जैसे - शिक्षा का निम्न स्तर, तकनीकी शिक्षा की अनुपलब्धता, कृषि के अलावा आजीविका के अवसरों की कमी, कौशल की कमी इत्यादि।

महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी भी देश के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में विकास का आकलन करते समय महिलाओं की स्थिति को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मानव संसाधन के विकास के विभिन्न आयामों में हुई प्रगति के आंकड़ों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के कारण आज विश्व के सभी देशों में महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। अतः यहाँ ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये गये है। ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बदलने में साक्षरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। इनके चलते आज ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भर हो रही हैं जिसका प्रभाव उनके जीवन पर स्पष्टतः दिखाई दे रहा हैं।संक्षेप में कह सकते हैं कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के चलते ग्रामीण महिलाओं की दशा में पहले से काफी परिवर्तन आया है- उनकी साक्षरता में वृद्धि हुई है स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर हुई हैं, राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य को लेकर उनमें जागरूकता आई है।

भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा-

हमारे भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन पुरूष प्रधान समाज होने के चलते उन्हें परिवार में अनेक अधिकारों से वंचित होना पड़ता रहा है। जबकि पुरूषों की तुलना में वे अधिक कार्य करती हैं। घर व बाहर दोनों सम्हालती हैं। कितना विरोधाभास है भारतीय समाज में एक और स्त्री की देवी रूप में पूजा की जाती है तो दूसरी ओर उसे अनेकानेक रूप में प्रताडित किया जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति विश्व की महिलाओं की तुलना मे कहाँ है यह निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट होता है।

तालिका क्रमांक-1, महिला सशक्तिकरण में भारत का स्थान

क्र.	क्षेत्र	2010	2016
1	आर्थिक	110	136
2	शिक्षा	112	113
3	स्वास्थ्य	103	142
4	श्रमनीति	20	009
5	समग्र स्थान	95	87
6	कुल देश	115	144

विवाह के संदर्भ में भारतीय महिलाये–

परंपरागत भारतीय समाज में सदियों से विवाह को धार्मिक संस्कार के साथ पवित्र बंधन व जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। जो न केवल दो परिवारों बल्कि उन परिवारों से संबंधित दूर पास के सभी रिश्तों को आपस में जोडता था। आधुनिकीकरण के चलते संयुक्त परिवारों के विघटन ने परिवार के स्वरूप को तो बदला ही, साथ में विवाह के प्रचलित मानदंड भी बदल गए। भारतीय महिलायें आत्मनिर्भरता के चलते सामाजिक परिवर्तन के दौर मे '' लिव इन रिलेशनशिप '' को अपना रही हैं। इसी प्रकार लडकियों का स्वयं का निर्णय भी विवाह हेतु महत्वपूर्ण हो गया है। घर और बाहर की भागदौड़ भरे जीवन में विवाह-विच्छेद की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।

श्रम शक्ति की भागीदारी–

भारत की अधिसंख्य महिलायें किसी न किसी रूप में कामकाजी है। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व मे महिला श्रम का सही ऑकलन नहीं किया जाता है। निम्न शैक्षणिक स्तर के चलते यद्यपि श्रमिक के रूप में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है लेकिन दूसरी ओर भारतीय आई. टी. सेक्टर में लगभग 30 प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत है जो पुरूषों से किसी भी मामले मे पीछे नहीं हैं।

तालिका क्रमांक 2

श्रम शक्ति की भागीदारी

क्र.	वर्ष	पुरूष	महिला	ग्रामीण महिला	नगरीय महिला
1	1981	52.62	19.67	23.18	8.32
2	1991	51.61	22.27	23.67	9.17
3	2001	51.61	25.63	30.98	11.15
4	2011	53.30	25.50	30.00	15.40

Source - Statistical Profile of India on Labor Fource report 2016

भारतीय समाज आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आज आवश्यकता है महिलाओं में कौशल विकास की, ताकि उनके कार्य के घन्टो की गिनती हो सके और भारतीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

महिलाओं के प्रति अपराध–

एक ओर दिन प्रतिदिन सशक्त होती महिलायें और दूसरी ओर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एक ऐसे समाज की ओर इंगित कर रहे हैं जहां विकृत मानसिकता वाले पुरूषों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह इस बात का द्योतक भी है कि व्यक्ति पर परिवार व समाज का दबाव कम होता जा रहा है और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं।

महिलाओं के विरूध्द अपराध का सबसे भयावह रूप है कन्या भ्रूण हत्या व बलात्कार। इस विषय पर जितना भी लिखा जाये कम है। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंतनीय होती जा रही है। इसका सबसे भयावह परिणाम है समाज में लडकियों की संख्या मे बहुत ज्यादा कमी होना। कुछ प्रदेशों मे तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति में है।

तालिका क्रमांक 3
भारत में लिंगानुनात

क्र.	जनगणना वर्ष	सामान्य लिंगानुत	बाल लिंगानुपात
1	1971	930	964
2	1981	934	962
3	1991	927	645
4	2001	933	933
5	2011	943	919

स्त्रोत - विभिन्न वर्ष की जनगणना

जैवकीय दृष्टिकोण से महिला व पुरूषों की संख्या 1000 : 1000 होना चाहिये किन्तु देश में बालिकाओं की कम होती संख्या चिंतनीय स्तर तक जा पहुंची है। वर्ष 2015-16 के नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे - 4 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुछ राज्यों में लिंगानुपात 700 तक हो गया है, जो भविष्य की खौफनाक तस्वीर को दिखाता है। आने वाले समय में जब विवाह के लिये लड़कियां नहीं मिलेगी तब इसके दुष्परिणाम की कल्पना ही डरा देती है। हाल ही के कुछ वर्षो में महिला उत्पीड़न की घटनाओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दिनोंदिन अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि की बढ़ती घटनाओं ने जनमानस को झंकझोर कर रख दिया है। प्रोद्योगिकी के विकास के साथ - साथ सोशल मीडिया पर भी महिलाओं का अनेक प्रकार से उत्पीड़न आरंभ हो गया है। ये सभी स्थितियां कहीं न कहीं महिला विकास को प्रभावित करती हैं।

आजादी के पूर्व एवं बाद में महिलाओं को अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये कई कानून बनाये गये हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये हैं।भारत में ऐसे अनेक कानून बने हैं जो मूलतः महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है।13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में काम करने वाली जगहों पर महिला पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये यह दिशा निर्देश जारी किये कि सरकारी, गैरसरकारी अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिला पर किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न रोकने की जिम्मेदारी अथवा जवाबदेही अब सरकार, नौकरी देने

वाले प्रतिष्ठान अथवा मैनेजमेन्ट की होगी। इन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु नियम, समुचित दण्ड तथा सुरक्षा व महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध को महिला के मानव अधिकार का उल्लघंन माना है। इन दिनों महिलायें हर क्षेत्र में आगे आई है। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी है। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न की घटनाए होने लगी तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप कर यौन-उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। इन कानूनों के होते हुए भी विगत कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में कोई कमी दिखाई नहीं देती। महिलाओं पर होने वाले अपराधों के मामले में देश के चार महानगरों में दिल्ली सबसे आगे है, यहाँ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की धटनाओं में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ,ये वे आंकड़े हैं जो दर्ज किये गये हैं। इनसे कई गुना ज्यादा अपराधों की शिकायतें महिलाओं द्वारा स्वयं ही नहीं की जाती। इसका एक मुख्य कारण समाज का महिला के प्रति व्यवहार व दूसरा कारण कानूनों की अनभिज्ञता है, तीसरा कारण धीमी न्याय प्रक्रिया है। महिलाओं के लिये काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था की प्रमुख के अनुसार ''पुलिस के आंकड़े तो जमीनी हकीकत का महज 10 प्रतिशत होते हैं क्योंकि 90 प्रतिशत महिलायें तो लोकलाज के कारण पुलिस तक नहीं जा पाती। शिकायत करने वाली बहुत सी महिलाओं में से भी एक या दो को ही न्याय मिल पाता है।

स्वास्थ्य और भारतीय महिलायें–

भारत की अधिकांश महिलायें अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं। दूसरी ओर समाज में प्रचलित लिंग भेद की अवधारणा के चलते भी बचपन से ही लड़कियां कुपोषण का शिकार हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना मे ग्रामीण क्षेत्रों मे लड़कियों व महिलाओं को अपने ही परिवार मे पोषक आहार का अभाव झेलना पड़ता है। यू.एन.डी.पी. की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय महिलाये एनीमिक होती हैं।

बैकिंग के क्षेत्र में भारतीय महिलायें–

भारत में दशकों से बैकिंग क्षेत्र में पूरी तरह से पुरूषों का वर्चस्व रहा है जहाँ गिनी चुनी महिलाये क्लेरिकल स्टाफ के रूप में कर्यरत हैं।यहाँ भी भारतीय महिलाओं ने अपनी निर्णायक व उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करवाई है। बैकिंग के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली महिलायें इस प्रकार हैं -

तालिका क्रमांक 3
बैकिंग के क्षेत्र में भारतीय महिलायें

क्र.	नाम	बैंक का नाम	विशेष
1	अरूंधती भट्टाचार्य	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	भारत का सबसे बड़ा बैंक
2	चंदा कोचर	आई.सी.आई.सी. बैंक	निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक
3	रेणु सूद कर्नाद	एच.डी.एफ.सी. बैंक	भारत की सबसे बड़ी गृहऋण कंपनी
4	चित्रा रामकृष्णा	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज

विभिन्न सर्वेक्षणो के आधार पर स्पष्ट होता है कि बैंकिंग व्यवस्था में भारत में महिलाओं की भागदारी में बढोत्तरी हुई है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते जहां पिछले दशक मे मात्र 15 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना खाता था वहीं अब 53 प्रतिशत महिलाओं का बैंकों में खाता है।

खेलो के क्षेत्र में भारतीय महिलायें–

खेलो के संदर्भ में हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि भारत के खेलों की दुनिया में राजनीति का दखल बहुत ज्यादा है जहां पुरूष खिलाड़ियों को ही अनेक प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पडता है वही महिला खिलाडियों की स्थिति और भी गंभीर है। विश्वखेल परिदृश्य में गिनी चुनी भारतीय महिलायें ही दिखाई देती हैं। लेकिन धीरे - धीरे यह स्थिति बदल रही है। वर्तमान में खेलों के क्षेत्र में भारतीय महिलायें अपने दम पर चौंकाने वाली उपलब्धियां प्राप्त कर विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं।

जनसंचार–

विगत दशक से भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन का माध्यम है- जनसंचार। जनसंचार के आधुनिक साधनों की पहुँच दूरवर्ती क्षेत्रों तक हो गई है। समाज का कोई भी तबका इनके प्रभाव से अछूता नही रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग है भारतीय महिलायें। आजादी के बाद से भारतीय महिलाओं के चहुँमुखी विकास में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों जैसे- अखबार, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, मोबाईल इंटरनेट इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामीण-नगरीय, शिक्षित-अशिक्षित, रूढ़िवादी-आधुनिक सभी महिलाओं के विकास में जनसंचार के माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है।जनसंचार के माध्यमों ने भारतीय महिलाओं के विकास के लिये संभावनाओं के नये द्वार खोल दिये हैं। महिलाओं के सामाजिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, इत्यादि सभी को जनसंचार माध्यमों ने प्रभावित किया है। समाज में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं जैसे- बालविवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि से पीड़ित भारतीय महिलाओं को जनसंचार के माध्यमों के द्वारा कानूनों के प्रचार प्रसार के द्वारा

मुक्ति मिली है। महिलायें घूंघट से निकलकर जनसंचार के माध्यमों के द्वारा एक नई दुनिया से परिचित हो रही है। एक ओर उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो दूसरी ओर विभिन्न शासकीय अशासकीय योजनाओं से परिचित हो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। उनमें अपने व परिवार के स्वास्थ्य के बारे में एक नई चेतना विकसित हुई है, साथ ही वे आस-पास के वातावरण के प्रति भी सजग हो गई हैं। जनसंचार के माध्यमों से उनमें राजनैतिक जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ उनकी राजनैतिक सहभागिता भी बढ़ रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी नित नये रोजगार के अवसरों से परिचित होकर वे आत्मनिर्भर बन परिवार व समाज के विकास में योगदान दे रही हैं। जनसंचार माध्यमों ने महिलाओं को रोजगार के अवसर तो दिये ही हैं साथ में अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर विकल्प प्रस्तुत किये हैं। वर्तमान में लाखों की संख्या में महिलायें जनसंचार के माध्यमों से जुड़ रही है और महिलाओं की परंपरागत छवि को बदल रही है। यह इस मायने में उपयोगी है कि इनके माध्यम से महिलाओं ने अपने प्रति हो रहे शोषण व अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में महिला समस्याओं, उन पर होने वाले अत्याचारों और शोषण को रोकने में जनसंचार के विभिन्न माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संक्षेप में जनसंचार के माध्यम भारतीय महिलाओं के विकास एवं उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भारतीय महिलाओं की छवि को जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं वह चिंतनीय है। विज्ञापन जगत में भारतीय महिलाओं को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस मानसिकता को बदलना आवश्यक ही नही अनिवार्य हो गया है।

वर्तमान चुनौतियां-

वर्तमान भारत में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक मानसिकता को बदलने की है। जो बदल तो रही है पर परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। जीवित बची महिलाओं के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा सबसे बड़ी चुनौती है- उनके प्रति होने वाले अपराध। आज जहां देश में साक्षरता दर लगातार तेजी से बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति वीभत्स अपराध भी बढ़ रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि शिक्षा भी लोगों की कुत्सित मानसिकता को नहीं बदल पा रही है। महिलाओं के समक्ष अन्य चुनौती है - परंपरागत संयुक्त परिवारों का विघटन। अब उसे अकेले ही घर व बाहर दोनों सम्हालना है, जहां वह सुपर वूमेन की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिये प्रयासरत है।

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि

वर्तमान सदी महिलाओं की है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के चलते महिलाओं की कार्यकुशलता विभिन्न क्षेत्रों मे स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होने अपनी मेहनत व आत्मविश्वास के बल पर अपने लिये विकास के नये रास्ते ढूंढ लिये है। अपने ही घर परिवार के साथ - साथ बाहरी दुनिया की अनेक विषमताओं के बीच आज भारत की महिलाओं ने अपने आप को स्थापित मुकाम तक पहुँचा ही लिया है। वर्तमान में उन्होंने महिलाओं के लिये अभेद्य माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया। कुछ वर्षो पूर्व देश की प्रथम नागरिक एक महिला थी, संसद की अध्यक्ष महिला है। अग्नि 5 के सफल प्रक्षेपण में एक महिला का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह सब देश में महिलाओं के लिये समान अवसर की उपलब्धता की ओर इंगित कर रहा है।

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे मे अंत में हम कह सकते हैं कि आज भी महिलाओं के अनवरत प्रयासों के बावजूद उन्हें वह मुकाम हासिल नही हुआ है जिसकी वे हकदार हैं, यही कारण है कि महिलाओं के लिये एक नई नीति 2016 के दस्तावेज के अनुसार एक ऐसे समाज की रचना की आवश्यकता बताई गई है जहाँ महिला जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करें और सामजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालें। महिलाओं के बहुमुखी विकास के बावजूद आज ''बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ'' योजना की आवश्यकता महिला विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस योजना का उद्देश्य लडकियों के प्रति समाज की सोच को बदलना है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. आहूजा, राम - सामाजिक समस्यायें (2008) रावत पब्लिकेशन जयपुर.
2. आहूजा, राम - भारतीय समाज (2004) रावत पब्लिकेशन जयपुर.
3. लवानिया, एम एम - भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र (2004) रिसर्च पब्लिकेशन दिल्ली.
4. कुमार गौरव - महिला सशक्तिकरण के लिये बेटी बचाओं - बेटी पढ़ाओ योजना, कुरूक्षेत्र, अंक मार्च 2015
5. नीता एन - राष्ट्रीय महिला नीति 2016, कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018
6. श्रीवास्तव राकेश - ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण आगे की राह, कुरूक्षेत्र, अंक जनवरी 2018
7. शर्मा जी.एल. - सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन जयपुर, 2015
8. शुक्ल, अखिलेश - महिला सशक्तीकरण दशा एवं दिशा (2010) गायत्री पब्लिकेशन रीवा.
9. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तीकरण (2001) आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर.
10. व्होरा, आशा रानी - भारतीय नारी दशा व दिशा.
11. WWW. Wikipedia.indianwomen.com

समाज में महिलाओं की स्थितिः एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

* डॉ. के.के. शर्मा
** निशा सिंह, *** डॉ. प्रीति शर्मा

हमारी संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। अगर आँकड़ों की बात करें यह तो हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कानून और योजनाएं हमारे देश में बनाई गई हैं लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में कितना मूलभूत सुधार हुआ है। चाहे शहरों की बात करें चाहे गांव की सच्चाई यह है कि महिलाओं की स्थिति आज भी आशा के अनुरूप नहीं है। चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों की, चाहे उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर व्यक्तित्व के विकास की, महिलाओं का संघर्ष तो माँ की कोख से ही शुरु हो जाता है। ऋग्वेद भारत का ही नहीं, अपितु संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसे नारी जाति की मान्य स्थिति का स्वर्णिम काल मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जब ऋषियों ने प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्तियों को दैवी शक्ति का प्रतीक मानकर उनमें देवत्व का आरोप किया। रात्रि, उषा, सूर्या, इन्द्राणी, वाक्, ईला, शची, पृथ्वी, उर्वशी आदि वैदिक देवियों में अधिकांश प्राकृतिक शक्ति की प्रतीक हैं।

ऋग्वेद काल की नारी भावना का पूर्ण परिचय ऋग्वेद में वर्णित इन प्रतीकों से मिल जाता है। आर्यों द्वारा सर्जित और पूजित इन देवियों में अदिति स्वाधीनता की साकार प्रतिमा है, वह अनादि जननी है तथा मनुष्यों को बन्धन मुक्त करती है। इन्द्राणी एक ओर अपने त्याग और बलिदान से इन्द्र को बलवान बनाती है दूसरी ओर आदर्श पत्नीव्रत की प्रतिष्ठा करती है। सूर्या आदर्श आर्य वधू के रूप में आज भी समादृत है। एक ओर ललित कलाओं एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी

==========

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा।
*** नेहरूनगर, रीवा

सरस्वती की वीणा की स्वरलहरियों का अमर संगीत है तो दूसरी ओर परम लावण्यमयी सौन्दर्य और रूप की खान देवी उषा है जो अपनी कांति किरणों से ऋषियों के सहज भावुक मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नारी के प्रति वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण कुछ अंश में यथार्थ मूलक है और कुछ भावना मूलक। नारी के यथार्थ रूप से अभिप्राय उन दिनों की नारी के वास्तविक जीवन से है जो दुहिता पत्नी और माता के रूप में दिखलाई देता है। भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत ऊँचा रहा है। 'मनुस्मृति' के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सिन्धुघाटी की सभ्यता से लेकर वैदिकाल तक नारी को देवी के रुप में पूजा गया। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वतारा आदि नारियों ने तो देवों के मन्त्र भी रचे थे। नारी की सबसे खराब दशा मध्यकाल में रही, उस समय के राजा नारियों का महत्व नही समझ सके। राजा सुरा सुन्दरियों में मस्त रहते थे। उसी समय रजिया सुल्तान जैसी महिला ने शासन की डोर हाथ में ली। लेकिन ये सिर्फ अपवाद है। उस समय की नारी को भोग की वस्तु' समझा जाता था।

स्त्रियों के अवमूल्यन से बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह के परिणाम स्वरुप माताओं की मुत्यु व अपंगता, दहेज अपराध, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने जन्म लिया। इस काल में हिन्दु विधवा की अभिव्यक्ति करते हुए 'निराला जी' ने लिखा है

वह क्रूस्काल तांडव की स्मृति रेखा सी,
वह टूटे तरु की टूटी लता सी दीन,
दलित भारत की विधवा है।

महाभारत काल में स्त्रियों को सम्पति मानी जानी वाली धारणाओं को चुनौती दी गयी है। रामायण स्त्रियों को वन्दनीय घोषित करता है। कौटिल्य ने महिलाओं के यहां तक कि वेश्याओं के भी अधिकारों का उल्लेख किया है। यज्ञवल्क स्मृति ने एक क्रान्तिकारी घोषणा की और कहा कि सम्पति में पत्नी का भी अधिकार है पुत्र के अभाव में पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार है। उसके बाद कन्याओं का विज्ञानेश्वर ने भी मिताक्षरा में स्त्रियों के सम्पति सम्बन्धी अधिकार की पैरवी की है।

महिलाओं के हितों के मद्दनजर रखते हुए कानून भी बनाये गये जैसे-हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस अधिनियम ने सम्पति पर महिला के अधिकार में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में स्त्रियों को सशक्त बनाने में कानून की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? हिन्दू कानून में संशोधन के बावजूद भी परिवारों में औरतों के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है। ऐसा क्यों?

यह इसलिए है कि स्त्रियों में अभी शिक्षा की कमी है? अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक स्त्री की शिक्षा समस्त परिवार की शिक्षा है, क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी है। जैसे 73 वें संविधान संशोधन सन् 1992 में के जरिये त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है। आरक्षण केवल सदस्यों के स्तर तक ही नहीं है, बल्कि यह भी तय किया गया कि कम से कम एक तिहाई महिलाएं अध्यक्ष हो। बुनियादी निष्कर्ष यह है कि स्त्रियों ने अच्छा काम किया है। महिलाओं की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है बल्कि घरों के बाहर शक्ति और जिम्मेदारियां संभाल पाने की असमर्थता के बारे में भ्रांतियां भी दूर हो गयी है और महिलाएं सामाजिक दर्जा और आत्म विश्वास हासिल करने में सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने में सक्षम हो सकी है।

सन् 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था। उस समय संसार भर में नारी स्वतन्त्रता का आन्दोलन चला था। पश्चिम में इसे 'वीमेंस लिव' नाम दिया गया और 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी महिलाओं का शोषण कम नहीं हुआ है। अमेरिका में ही एक बार 'महिला मुक्ति' का आन्दोलन छिड़ा और इसकी गूंज भारत सहित अनेक देशों में सुनाई दी। जिस तेजी से यह आन्दोलन उठा इसी तेजी के साथ लुप्त भी हुआ। फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दशक व काफ्रेंस भी हुई पर भारत में सिर्फ '' नारी तुम केवल अवला हो, आंचल में दूध आंखों में पानी वाली स्त्री छवि आज भी बरकरार है।

वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रश्न है कि किसी एक वर्ष ही महिला सशक्तिकरण के प्रति क्यों समर्पित किया जाय। किसी एक वर्ष में समाज की महिलाओं को सबल व सशक्त बनाया जा सकता। वस्तुतः केवल भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं भेदभाव, असमानता, दमन शोषण आदि की शिकार रही है। भारत के एक छोटे से राज्य में भी नारियां आन्दोलनों में भागीदारी निभाती रही है। लेकिन नारियों का नाम पुरूष प्रधान समाज में आगे नहीं आया। उत्तराखण्ड का (चिपको आन्दोलन) जो पेड़ों को काटने के विरूद्ध एक सशक्त कार्य था। प्रत्येक महिला एक पेड़ पर चिपकी और पेड़ काटने नहीं दिया। इसकी नेत्री थी श्रीमती गौरा देवी। यद्यपि इस आन्दोलन में सुन्दरलाल बहुगुणा और चण्डी प्रसाद भट्ट के नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आये। लेकिन इसमें महिलाओं का नाम कभी भी नहीं आया। दूसरा सफल आन्दोलन था आन्ध्र प्रदेश का (अरक विरोधी आन्दोलन) इसके नसे में परिवार

नष्ट हो रहे थे। यह भी महिलाओं ने चलाया। इसी भांति तीसरा आन्दोलन था मणिपुर में शराब के विरोध में, इसमें भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही।

भारत में नारी चाहे ऊँचे क्षेत्रों में जैसे- गायन में लता मंगेशकर, फिल्मों में, कार्यालयों में, समाज सेवा में (मदर टेरिसा), खेल-कूद में पीटी उषा, मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि एवरेस्ट पर फतह हासिल करने में बछेन्द्रीपाल (उत्तराखण्ड निवासी), सबसे पहली आई0पी0एस0 अधिकारी किरण वेदी, बांध विरोधी, नर्मदा बचाओ आन्दोलन की प्रेरणा स्त्रोत मेघा पाटकर, वैज्ञानिक डॉ0 ऊषा वाराणसी को अमेरिका के 'प्रेसीडेंसियल रैंक अवार्ड' से सम्मानित किया गया आदि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं।

लेकिन दूसरा पहलू बहुत दर्दनाक है वो भी महिलाएं हैं जो अच्छी शिक्षा-दीक्षा होते हुए भी उनका पारिवारिक वातावरण ऐसा नहीं है, जिससे वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें या वे भी महिलाएं हैं जो पर्दा प्रथा, अशिक्षा का कारण घर की चाहर दीवारी से बाहर की दुनिया को देखना उनके लिए बहुत कठिन है। ऐसे परिवारों में लड़की पर पहले पिता का दबाव बाद में पति का और जब बच्चे बड़े होते हैं बच्चों का दबाव झेलते-झेलते कब उसके चेहरे का आकार झुर्रियां घेर लेती हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए अगर परिवर्तन लाना है तो पहले निम्न स्तर से ही समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है अन्यथा नहीं।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे मुस्लिम वर्ग की महिलाओं में तलाक शब्द अगर शौहर तीन बार तलाक बोले तो तलाक हो जाता था लेकिन वर्तमान में बदलाव आया है। वे भी लड़कियों को शिक्षित करने लगे हैं। बुर्का कम पहनती हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून प्रयुक्ति अधिनियम 1937 और मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 में महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार मिले हैं। 'मुस्लिम महिला अधिनियम' 1986 अहमद रवां बनाम शाह वानो मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम था। व्यक्तिगत कानून के बावजूद इसमें जाब्ता फौजदारी 1973 के अनुच्छेद 125 के अन्तर्गत तलाकशुदा औरत को गुजारे के लिए बराबर के अधिकार दिये गये। लेकिन तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अधिकार सम्पन्न नहीं हो सकी।

लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले बने इसाई सम्बन्ध विच्छेद कानून अर्थात् भारत सम्बन्ध विच्छेद अधिनियम 1869 में कई भेदभाव प्रावधान हैं जो लिंग भेद और मजहब पर आधारित है। सरकार ने सकारात्मक कार्य तो किया लेकिन महिलाओं की अशिक्षा के कारण उस पर अमल नहीं हो सका। वर्तमान समय में कुछ हद तक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। लेकिन गांवों की स्थिति

विपरीत है। अब सरकार को चाहिए की महिलाओं की स्थिति को निम्न वर्ग से ही सुधारी जाय।

महिला नेतृत्व के मामले में भारत इस वक्त दुनिया के सभी देशों में आगे है। यहां लगभग सभी शीर्ष पदों पर महिलाएं काबिज रही हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (राष्ट्रपति), सोनिया गांधी (कांग्रेस अध्यक्षा), सुषमा स्वराज (विपक्ष की नेता), मीरा कुमार (लोक सभा अध्यक्ष), और मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित (दिल्ली), मायावती (उत्तर प्रदेश), जयललिता (तमिलनाडू) तथा ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) आदि महिलाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे पहले भारत में इंदिरा गांधी (1966-77, 1980-84) प्रधानमंत्री की कमान संभाल चुकी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महिलाए ऊँचे पदों पर कार्य कर चुकी हैं तथा वर्तमान समय में भी राजनीति के साथ-साथ अन्य सरकारी व गैरसरकारी निम्न से उच्च पदों पर विराजमान हैं। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेनटीना की मार्टिनेज पेरॉन तथा पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनाइके इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। भारत सहित थाईलैण्ड, बांग्लादेश, जर्मनी, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो, आस्ट्रेलिया और ब्राजील की कमान भी महिलाओं के हाथों में रही है।

3 जुलाई 2011 को यिंगलक शिनवात्रा ने थाईलैण्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रचा। बुल्गेरियाई मूल की दिलमा वाना राउसेफ जनवरी 2011 में ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई तथा जून 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति लुला ने इन्हें देश की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। जून 2010 में आस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर जूलिया गिलार्ट ने इतिहास रचा तथा दिसम्बर 2007 में संघीय चुनावों में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद उप प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुई थी।

भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर मई 2010 में त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तथा अटॉर्नी जनरल, कार्यवाहक पी0एम0 और विपक्ष की नेता के रूप में काम करने वाली देश की पहली महिला भी है। नवम्बर 2005 में एंजेला डॉर्थिया मर्केल के जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनने का गौरव मिला तथा सितम्बर 2009 में उन्हें दूसरी बार देश के नेतृत्व का मौका मिला। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की बेटी हसीना जनवरी 2009 में दूसरी बार देश की प्रधनमंत्री बनी हालांकि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि खालिदा जिया के नाम हैं।

श्रीलंका में सिरमावो भण्डारनाइके (1966-77, 1980-84) प्रधामंत्री बनी जो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी और चंद्रिका भंडारनाइके

कुमारतुंगा (1994-2000) राष्ट्रपति बनी। पाकिस्तान की बेनीजीर भुट्टो (1988-1990, 1993-1996) प्रधानमंत्री बनी। चीन में सूंग चिंग-लिंग (1981) राष्ट्रपति बनी। बांग्लादेश में खालिदा जिया (1991-1996), शेख हसीना (1996-2001 और 2009 से अब तक) प्रधानमंत्री बनी। फिलीपींस में कोराजन अक्विनो (1986-1992) और मारिया ग्लोरिया मेकापेगल अरोयो (2001-2010) राष्ट्रपति बनी। इण्डोनेशिया में मेगावती सुकरनोपत्री (2001-2004) राष्ट्रपति बनी। ब्रिटेन में मारग्रेट थैचर (1979-1990) प्रधानमंत्री बनी। पुर्तगाल में मारिया डालाउरडेस (1979-1980) प्रधानमंत्री बनी। नार्वे में ग्रो हरलेमब्रडलैंड (1990-1996) प्रधानमंत्री बनी आदि महिलाओं ने विश्व के विभिन्न देशों की कमान संभाली है।

19 वीं शदी में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं को शामिल किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द, विद्यासागर एवं महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारकों के प्रभाव से महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान व अनेक अधिनियमों के माध्यम से स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किये गये परन्तु इनके पालन में प्रतिबद्धता की कमी के कारण 'नौ दिन अढ़ाई कोस' वाली स्थिति आज भी उजागर हो रही है। समान नागरिक संहिता के विरोध के पीछे भी पुरूष का अहम है जो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता है।

इस समय भारत सहित पूरा विश्व समाज परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। समाज में परिवर्तन की लहर से सामाजिक व आर्थिक दबाव उत्पन्न हो रहे हैं। वर्षो से स्थापित परम्परायें व नियम टूट रहे हैं। राजनीति में भी महिलाएं आगे आ रही है। वैचारिक स्तर पर आया अचानक यह बदलाव महिलाओं की प्रगति के लिए शुभ संकेत माना जाना चाहिए। नगरों व महानगरों में आज महिलाओं से दोहरी भूमिका की अपेक्षा की जाती है। एक परिवार के रूप में और एक नौकरी के प्रति। यह महिलाओं की नई भूमिका है, जिसे लेकर उनमें संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आज महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, पुलिस, सेना और अभियंत्रण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति ही नहीं सार्थकता को भी सिद्ध कर रही है।

आज व्यावहारिकता के इस दौर में जरूरत है कि महिलाएं अपनी स्थिति को पहचाने और स्वयं को प्रगति के उस शिखर तक ले जायें जो वो बन्धनों को तोड़ सके और ऐसे में रुढ़ि और पुरानी प्रथाओं को उन्हें तोड़ना पड़े तो इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत होना चाहिए।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. अंजलि वर्मा, भारत में कार्यशील महिलाएं : ISBN-978-81-8455-122-8
2. डॉ0 अनीता नैथानी (2004), अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर जवाहर रोजगार योजना के प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, हे0न0ब0ग0वि0वि0 विद्यालय श्रीनगर।
3. डॉ0 निशान्त सिंह, भारतीय महिलाएं एक सामाजिक अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
4. डॉ0 निशान्त सिंह, महिला राजनीति और आरक्षण।
5. निमिषा मिश्र, समाज में महिलाओं की स्थिति, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 2006, 205 बी0 चावड़ी बाजार, दिल्ली।
6. मधुसूदन त्रिपाठी, महिला विकासः एक मूल्यांकन।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं परिवर्तन

* डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव

किसी भी समाज की प्रगति का मापदण्ड उस समाज द्वारा स्त्रियों की दी गई पद मर्यादा है। जिस देश मे स्त्रियाँ अधिक पढ़ी लिखी है, जहां उन्हें पुरुषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का सुअवसर प्राप्त है, वहां स्त्रियों की स्थिति एक गर्व की वस्तु है। वही देश और समाज प्रगतिशील समझा जाता है। कहा जाता है कि, नारी शक्ति का महान भण्डार है और नारी का वास्तविक महत्व परिवार के संदर्भ में ही समझा जाता है। नारी परिवार की नीव है, परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की। स्त्रियों ने ही प्रथमतः सभ्यता की नींव डाली जंगलो में भटकते फिरते पुरुषों को एक स्थिर जीवन दिया और घर वसाया।

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उनके कार्यो के अनुसार निश्चित होता है। इन आदर्शो और कार्यो का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों का महत्व कितना है और उनके क्या-क्या कार्य है। ये महत्व और कार्य ही यह निश्चित करते है कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से ऊपर, बराबर या नीचे होगा। यदि पुरुषों का परिवार में और सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण कार्यो को करना पड़ता है। तो वह मानी हुई बात है कि, उस समाज में पुरुषों की सामाजिक स्थिति स्त्रियों से ऊँचीं होगी। भारत के सदर्भ में कहा भी गया है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा वहीं है, जो पुरुषों की है, न कम न अधिक। हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्रियाँ अर्द्धांगिनी कही गई है। हिन्दू समाज में सर्वनियन्ता भगवान की शक्तियों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। नारी शक्ति धन व ज्ञान की प्रतीक मानी गई है। अपने देश को हम ''भारत माता'' कहकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते है, किन्तु यह सब होते हुए भी व्यावहारिक रूप में भारत में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में उठती और गिरती रही है। भारतीय समाज में वैदिक युग में उनकी स्थिति न केवल अच्छी थी, अपितु अत्यन्त उन्नत थी। लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नही

---

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

थी और न ही मेल-मिलाप और शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रतिबंध था। वैदिक युग में अनेक विदुषी महिलाएं हुई है। पी.एच प्रभु के अनुसार '' जहां तक शिक्षा का संबंध था स्त्री पुरुष में कोई विशेष भेद नही था और दोनो की सामाजिक स्थिति समान थी'। महिलाएं गृह-कार्य में निपुण होती थी। पत्नी के रूप में पतिधर्म का पालन करती थी,विधवाओं के पुनर्विवाह में कोई प्रतिबंध नही था। विधवा-विवाह मान्य थे किन्तु उत्तर वैदिक युग की महिलाओं के लियें समस्याए उत्पन्न होने लगी। और वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अधिक दिनों तक स्थिर नही रह सकीं। धर्मसूत्रों में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया जिससे शिक्षा प्राप्ति में बाधा पहुचीं। स्त्रियों की शिक्षा मामूली स्तर पर आ गई। क्योंकि उन्हे लिखने पढ़ने के अवसर प्राप्त न थे इस कारण वेदों का ज्ञान असंभव हो गया। उनके लिये धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गई। स्त्रियों को धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया इसके पीछे दो कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे होगें।

1. कर्मकाण्ड की जटिलता व पवित्रता की धारणा
2. अन्तर्जातीय विवाह

उत्तरवैदिक काल में यज्ञों पर बहुत जोर दिया जाने लगा तथा विशेषीकरण को महत्व दिया गया। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि वेदमंत्रों के उच्चारण में तनिक भूल भी अनिष्टकारक होती है। स्त्रियों को इस कारण इससे दूर रखना ही उचित समझा गया।

आर्यो ने अपने समूह में स्त्रियों की कमी को पूरा करने के लिये अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह किया। ये स्त्रियाँ वैदिक कर्मकाण्ड और विधि-विधान से बिल्कुल अपरिचित होती थी, इस कारण उनको धार्मिक सामाजिक क्षेत्र से दूर रखना ही उचित समझा गया। स्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य पति-आज्ञापालन हो गया, विवाह स्त्रियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया, विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया। बहुपत्नी का प्रचलन कुछ और बढ़ गया।

स्मृतियुग–

इस युग में स्त्रियों की स्थिति और भी गिर गई, उनका जो कुछ भी सम्मान इस युग में होता था, वह केवल माँ के रूप में होता था, न कि पत्नी के रूप में। इस युग में विवाह की आयु घटाकर 12,13 वर्ष कर दी गई। विवाह की आयु घटने से शिक्षा न के बराबर हो गई, इस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों का अपहरण कर लिया गया।

स्मृतिकारों का तो यहां तक कहना था कि, स्त्रियों को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रखा जाए, बचपन में उन्हे पिता के संरक्षण में युवावस्था में पति और

वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना ही उचित होगा।

स्त्रियों का परम कर्तव्य पति की सेवा है। चाहे पति किसी भी तरह का हो इस संबंध में प्रो. हॉपकिस ने कहा है कि '' एक स्त्री का पति सर्वरूप से निगुर्ण होने पर भी पूज्य देवता के रूप में मान्य है, वही एक भाव केन्द्र है, जिसके चिंतन में एक सती स्त्री अपने को नियोजित करती है, वही इसके जीवन का ताना-बाना है, सर्वस्य है। विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर निषेध लगा दिये गए। सती होना सर्वोत्तम समझा गया।

मध्यकालीन-

इस युग से, विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की दशा और भी खराब हो गई। ब्राम्हणों ने हिन्दूधर्म की रक्षा स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिये स्त्रियों के संबंध में नियमों को और भी कठोर बना दिया। ऊँची जाति में भी स्त्री शिक्षा समाप्त हो गई, स्त्रियों के लिये पढ़ना-लिखना बेकार समझा जाने लगा, पर्दा-प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला। लड़कियों की विवाह आयु घटते-घटते 8-9 वर्ष कर दी गई जिसके फलस्वरूप बचपन से ही उनके ऊपर घर-गृहस्थी का भार आकार लेने लगा। गृहस्थी ही उनके समस्त आशाओं का एक मात्र केन्द्र हो गई।

विधवाओं का पुनर्विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती प्रथा का उस समय चरमोत्कर्ष पर थी केवल नीचीं जाति की औरतें काम करने निकलती थी। हिन्दुओं ने उन्हे जन्म से मृत्यु तक पुरुषों के आधीन कर दिया था और महिलाओं के सभी अधिकार छीन लिये। इस प्रकार महिलाएं पूर्णतः परतंत्र हो गई, इन्हे पुरुष की दासी बना दिया गया।

महिलाओं की स्थिति एवं परिवर्तन के कारण-

वर्षो तक स्त्री चार दीवारी के भीतर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों पर अवलम्बित रहने वाली रही है। आम लोगो की नजर में भारतीय स्त्रियों की पहचान 'एक अधीनस्थ प्रस्थिति' के रूप में की जाती है। भारत में कुल आबादी की शिक्षा दर 65.38 प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्रों में 87 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर है। शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत महिलाएं घरेलू उद्योग, छोटे-मोटे व्यवसाओं तथा नौकरी एवं भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है। पंचायत राज्य कें 73 वें संविधान विधेयक अप्रैल 1993 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्हे कुल पदो में से 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है, और महिलाओं की स्थिति सुधरी है।

कुछ वर्ष पहले तक जो हिन्दु स्त्रियों की स्थिति थी, आज उसमें व्यापक परिवर्तन हो गया है। और निरंतर परिवर्तन होते जा रहें है, जिससे भारतीय

महिलाओं को विकास का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार है-

1. **पाश्चात्य संस्कृति-**

'पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क में आने के साथ ही भारतीय महिलाओं में एक नवीन चेतना का संचार हुआ है। उन्हे अनेक कुसस्कारों तथा अंधविश्वासों के पंजे से छुटकारा पाना संभव हो सका। पाश्चात्य संस्कृति के सामान्य दबाव के कारण भारत की अनेक प्रान्तीय भिन्नताएं दूर हो गई। सारा भारत एक सामान्य सूत्र में बध गया। स्त्री आंदोलन को भी एक संगठित रूप मिला पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से भारतीय नारी का सम्पर्क अन्य प्रगतिशील देशो के नारी आन्दोलन आदि के साथ सहज ही स्थापित हो सका इससे जो जागरुकता इस देश की स्त्रियों में उत्पन्न हुई, उसकी कीमत कुछ कम नही।

2. **स्त्री शिक्षा का प्रसार-**

अग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात ही स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना शुरू हों गया। इसाई मिशनरियों का प्रयास उस दिशा में उल्लेखनीय रहा है। शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योकि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ''मनुष्य अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है''। शिक्षा व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख कारक है। स्त्री शिक्षा का जब विस्तार हुआ तो उन्हे अच्छे-बुरे का ज्ञान हुआ परम्पराओं एवं कुसस्कारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचारने की शक्ति मिली तथा अधिकारो के संबंध में भी जागरुकता हुई।

छापाखाना, यातायात व संचार साधनों में उन्नति-

वर्तमान समय में 'प्रेस' ने काफी उन्नति की है जिसके कारण नाना प्रकार की प्रगतिशील पुस्तक पत्रिकाओं, समाचार पत्र-पत्रिकाओं का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण करना तथा वितरण संभव हुआ है। पुस्तकों समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि में नारी आंदोलन को संगठित करने तथा उसे आगे बढाने में पर्याप्त योगदान दिया है। परन्तु यह काम तब तक संभव नही था जब तक कि यातायात व संचार साधनों में वृद्धि व प्रगति न होती।

प्रेस तथा यातायात व संचार साधनों के द्वारा नारी आन्दोलन को चलाने नारी समस्याओं के प्रति स्वस्थ जनमानस तैयार करने, नारी नेताओं के विचारों को दूर-दूर तक फैलाने तथा नारी आंदोलन व प्रगति के संबंध में आधुनिकतम सूचना को प्राप्त करने में जो सफलता मिली है वह भारतीय नारी की वर्तमान उन्नति स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

औद्योगीकरण व नगरीकरण का प्रभाव-

औद्योगीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में अनगिनत उद्योग धन्धे पनप गए जिनके कारण न केवल पुरुषों के लिये स्त्रियों के लिये भी नौकरी के पर्याप्त अवसर बढ़ गए। स्त्रियों ने भी घर से बाहर निकलकर इन नये पेशों को चुना जिसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि परिवार व पुरुषों पर उनकी आर्थिक निर्भरता घटने लगी। इस कारण स्त्रियों पर पुरुषों का निरकुश शासन खत्म हुआ। औद्योगिक व्यवस्था में धन का महत्व बढ़ गया और उसी धन को कमाने वाली स्त्रियों की स्थिति भी इसलिये समाज व परिवार में ऊँची उठ गई और उन्हे सम्मान मिलने लगा।

औद्योगीकरण के साथ-साथ नगरों का भी विकास हुआ है यहॉ तक कि सभी जाति के स्त्री-पुरुष एक साथ शिक्षा ग्रहण करते, काम-काज करते तथा अन्य सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते है। इससे एक ओर समानता की भावना पनपी तथा दूसरी ओर स्त्रियों की पारस्परिक मेल-मिलाप क्लव, समिति व अन्य संगठन भी बढ़ें है इन सबसे भी स्त्रियों की स्थिति सुधारने में काफी सहायता मिली।

संयुक्त परिवार का विघटन-

औद्योगिकरण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों की क्रियाशीलता के कारण वर्तमान समय में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवार की जड़ को कमजोर होने का अर्थ यह है कि स्त्रियों की अनेक परम्परागत निर्योग्यताए अपने आप दूर हो गयी, जैसे संयुक्त परिवार के टूटने से संयुक्त संपति का विचार भी दुर्बल हो जाता है। लोगों में यह डर नही रहता कि स्त्रियों का परिवार की सम्पत्ति पर अधिकार होने से परिवार की आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाएगी। इससे स्त्रियों की आर्थिक निर्योग्यता दूर होने में सहायता मिली है। बाल विवाहों को संयुक्त परिवार प्रणाली से पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा है। संयुक्त परिवार में बाल-दम्पति को अपनी रोजी-रोटी के लिये चिन्ता नही करनी पड़ती है। परन्तु अब संयुक्त परिवार का विघटन के कारण बाल-विवाह का यह आधार कमजोर हुआ और स्त्रियों को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर मिला।

अन्तर्जातीय विवाह-

शिक्षा का विस्तार, सह शिक्षा, पर्दा-प्रथा का अन्त-स्त्री पुरुष को एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि ऐसे कारण है जिनके फलस्वरूप प्रेम-विवाह का विस्तार भारत में उन्तरोत्तर होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाहों से स्त्रियों के सामाजिक सहवास का क्षेत्र स्वतः ही बढ़ जाता है और वर-मूल्य प्रथा की कटुता भी घट जाती है। अन्तर्जातीय विवाह विधवाओं का पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त

करके उनको भी अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने का अवसर देता है। जिससे पति और पत्नि में सहयोग एवं समानता की भावना पनपने कि सम्भावनाएँ अधिक होती है और पुरुष स्त्री को दासी न समझकर 'साथी' समझने लगता है।
यह भी स्त्रियों की दशा को उन्नत करने के लिये अनुकूल परिस्थिति है।

वर मूल्य प्रथा–

वर मूल्य प्रथा का जो उग्र रूप धीरे-धीरे इस देश में प्रगट हुआ है। उसकी एक विपरीत प्रक्रिया स्त्रियों की स्थिति पर भी हुई है। मध्यम वर्ग के माता-पिता के सामने वर मूल्य चुकाकर अपनी लड़की का जल्दी विवाह करने में अपने को असमर्थ पा रहे है। इसलिये लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ रही है। पढ़ी लिखी व शिक्षित लड़कियों को वधु के रूप में जल्दी पसंद कर लिया जाता है, और भी वर मूल्य भी कम लगता है। इस रूप में स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार हो रहा है। और बाल विवाह घट रहा है। ये दोनो परिस्थितियाँ स्त्रियों की स्थिति सुधारने में सहायक रही है। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद लड़कियाँ स्वयं नौकरी कर लेती है। जो कि उनको स्थिति को सुधारने व आर्थिक आत्मनिर्भता में सहायक है।

राष्ट्रीय आन्दोलन–

भारत में स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन भी एक कारण रहा है, महात्मा गाँधी के स्वतंत्रता आन्दोलन में आ जाने के बाद यह राष्ट्रीय आन्दोलन जनता का आन्दोलन बन गया। इसमें स्त्रियाँ भी पीछे नही रही और उन्होने भी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया, अंग्रेजो के अत्याचारों का सामना किया और जेल भी गयी। इससे स्त्रियों में एक नई चेतना, जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो कि आगे चलकर उनकी स्थिति में नये साँचे को ढ़ालने में सहायक सिद्ध हुआ।

वैधानिक सुविधाएँ–

स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में कानूनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। उदाहरण स्वरूप बाल-विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को पास कर बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया जिससे वर की आयु 18 व कन्या की आयु 15 वर्ष से कम न हों इस आयु में संसोधन करके लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। इस आयु सीमा के पहले किया गया विवाह बाल-विवाह की श्रेणी में आयेगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 स्त्रियों की अनेक विवाह संबंधी निर्योग्याओं को समाप्त करता है। इसमें सबसे प्रमुख है कि अब स्त्रियों को विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 विधवाओं की पुनर्विवाह संबंधी निर्योग्यताओं तथा कानूनी अड़चनों को दूर करता है और

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में स्त्रियों को सम्मत्ति का उत्तराधिकार पाने के संबंध में बिना किसी बंधन के पुरुषों के समान समस्त नागरिक अधिकार मिल गए। अब स्त्रियों के साथ किसी भी मामले में कोई विभेद न करने का निर्देश हमारा संविधान देता है। उन सभी कानूनी एवं सवैधानिक सुविधाओं के कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति को उन्नत करने में सरलता हुयी।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. पी.एच.प्रभु- हिन्दू सोशल आर्गना इजेशन पृ. क्र. 258
2. प्रो.हापकिस- 'रिलीजन ऑफ इंडिया' पृ.क्र. 370
3. डॉ.डी.एस.बघेल एवं श्रीमती किरण बघेल- 'समाजशास्त्रीय निबंध' कैलाश पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग भोपाल (म.प्र.)
4. डॉ.धर्मवीर महाजन, कमलेश महासन- विवेक प्रकाश जवाहर नगर नई दिल्ली
5. प्रमिला कपूर- मैरिज एण्ड दी वर्किंग वूमेन इन इंडिया-विकास पब्लिकेशन नई दिल्ली
6. संतोष यादव-19वीं और 20वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति- रूपा प्रिंटर्स नई दिल्ली
7. आशारानी बोहरा- भारत की अग्रणी महिलाएँ, राजपाल एण्ड संन्स प्रकाशन नई दिल्ली-1987
8. निमिसा मिश्रा- समाज में महिलाओं की स्थिति साहित्य प्रकाशन दिल्ली 2006, 205 बी. चावडी़ बाजार दिल्ली
9. डॉ.उर्मिला प्रकाश मिश्रा प्राचीन भारत में नारी- म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ.क्र.105-5
10. डॉ.प्रर्मिला कपूर- कामकाजी भारतीय नारी- राजपाल एण्ड संन्स प्रकाशन दिल्ली 1976
11. डॉ.आशारानी बोहरा- 'भारतीय नारी दशा और दिशा-नेशलन पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली 1985 पृ.क्र. 7
12. कुरुक्षेत्र पत्रिका-नई दिल्ली।

स्वातंत्रोत्तर भारत में नारी की स्थिति

* डॉ. सरोज बाला श्याग विश्नोई

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की नारियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के प्रचार-प्रसार, के प्रभाव से परिलक्षित होता है। आधी जनशक्ति नारी के आंकड़ो पर दृष्टि डाले तो राष्ट्रीय जनगणना एक मार्च 2011 के अनंतिम आकड़ो के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,07,26,932 (एक सौ इक्कीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार नौ सौ बत्तीस) है, जिसमें महिलाओं की संख्या 58,65,00,000 (अठ्ठावन करोड़ पैसठ लाख) है। प्रति हजार पुरूष पर 940 महिलाएं है। महिलाओं की साक्षरता की दर 58.28 प्रतिशत है जिसमें से ग्रामीण 57 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 63 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।

किसी भी राष्ट्र के निर्माण, विकास में राष्ट्र की आधी जनसंख्या (नारी) की भूमिका के महत्व को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। समय के साथ-साथ भारतीय समाज में उत्तरवैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति निम्नतर होती गई और मध्यकाल तक आते-आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने नारी की स्थिति को और अधिक निम्नतर कर दिया। आधुनिक युग के आगमन और शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाना प्रारम्भ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के रूप में निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने है।

आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई, विजयालक्ष्मी पण्डित, अरूणा आसफअली, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृत कौर, मणिबेन पटेल, जैसी नारियों नें आगे बढ़कर पूरे उत्साह एवं क्षमता के साथ भाग लिया। भारतीय नारी के उत्थान हेतु ऐनी बेसेन्ट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि विदेशी नारी समर्पित रहीं।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था मे भारतीय नारी ने निरंतर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। श्रीमती विजया लक्ष्मी पण्डित विश्व की पहली महिला थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनी। सरोजनी

==========

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री बनी।

नई सहस्त्राब्दी में नारी की सर्वथा नई छवि उभर रही है। आज महिलाओं की नई पहचान बनी है। एक ''सशक्त'' महिला के रूप में आज नारी अपने कर्त्तव्यों ही नही अधिकार के प्रति भी जागरूक हुई है और आर्थिक रूप से धनोपार्जन में जुड़ने हेतु शिक्षा, खेल, पुलिस, शासन, प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान, व्यापार अनेक उच्चस्तरीय तकनीकी क्षेत्रों, कम्प्यूटर, चिकित्सा विज्ञान, अनुसंधान, राजनीति, मीडिया, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रो में अपनी पहचान स्थापित की है। कल की साधारण सी गृहिणी आज कुशल प्रबंधक बनकर अपने कार्यो दायित्वों एवं कर्त्तव्य क्षेत्र के परिसर को बढ़ाते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान समय में महिलाओं में आत्मनिर्भरता का आना क्रांतिकारी परिवर्तन है। नारी की इन भूमिकाओं में नवीनता है, सृजनशीलता की आभा है, महिलाओं की इन उपलब्धियों को समाज के सामने पत्र, पत्रिकाओं एवं अन्य संचार माध्यम ने सशक्तता से प्रस्तुत किया है। भारत की महान सशक्त महिलाओं में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल, तथा प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो लगभग 15 वर्षो तक प्रधानमंत्री रही। इनके अलावा भी राजनैतिक क्षेत्र में सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, शीला दीक्षित, मेनका गांधी, प्रशासनिक क्षेत्र में किरण बेदी, आर्थिक उन्नयन के क्षेत्र में इंदिरा नूई, समाज सेवा के क्षेत्र में स्व. मदर टेरेसा खेल जगत में पी.टी. ऊषा सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल तथा अन्य क्षेत्रों में एवरेस्ट विजेता बचेन्द्रिय पाल, दिव्यांग एवरेस्ट विजेता अरूणिमा सिन्हा, सरोजनी नायडू स्व. विजयालक्ष्मी पंडित, स्व. महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, समाज सेवा के क्षेत्र में मेघा पाटकर तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में स्व. कल्पना चावला, भारतीय मूल की सुनीता विहलयम्स आदि का नाम उल्लेखनीय है। जिन्हे संचार माध्यमों ने समाज तक सम्प्रेषित कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया है। भारतीय संविधान में कानूनी रूप से महिलाओं-पुरूषों को समान अधिकार मिले है परन्तु सांमतवादी विचारधारा से सामाजिक रूप से विषमता बनी रही। इन विषमताओं को समाज सेवी संगठनो, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला एवं तालुका, विधिक प्राधिकरण द्वारा भारतीय संविधान एवं कानून की जानकारी देकर महिलाओं को सशक्त किया है। जिससे महिलाएं घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर लैगिक प्रताड़ना, टोनही प्रताड़ना, दहेज प्रथा आदि के प्रति जागरूक हुई हैं।

भारत एक प्राचीन सभ्यता, संस्कृति सांस्कृतिक विरासत परम्परा धर्म, भौगिलिक विशेषताओं तथा पुरूष सत्तात्मक राष्ट्र के रूप में जाना जाता था।

भारत में महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकारों को प्राप्त कर सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले सांमती सोच के कारकों को दूर करना होगा जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी, लैगिक भेदभाव, जो कि राष्ट्र में सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अंतर के लिए जिम्मेदार कारक है।

देश के विकास में बाधक है, अतः देखना होगा कि भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार मात्र पवित्र विचार बनकर न रह जायें, बल्कि चरितार्थ होकर महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए घर की प्रथम पाठशाला से ही स्वस्थ परम्पराओं, वातावरण, स्वस्थ्य विचारों का निर्माण कर सकें। ऐसा करना प्रत्येक नागरिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना होगा। कुछ नारी का हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाने का मतलब यह नही है कि भारतीय नारी की दुनिया ही बदल गई है। करोड़ों की संख्या उन नारी की है जो मध्ययुग में जी रही है। वस्तुतः खेत खलिहानों में कार्य करने वाली, पत्थर तोड़ने वाली, खदान आदि में कार्य करने वाली श्रमिक भारतीय नारी शोषण से मुक्त नही होती तब तक यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि भारतीय नारी की स्थिति बदल गई है।

स्त्री समाज का दर्पण है, किसी समाज की स्थिति का आंकलन उस राष्ट्र की गौरव गरिमा समृद्धि सुसंस्कृत व चरित्रवान नागरिकों से होती है। संस्कार- वह नारी जो माँ है, निर्मात्री है, अपने व्यवहार आचरण से बिना बोले ही सिखा देती है, वह जैसा चरित्र अपने परिवार के सामने रखती है, परिवार और बच्चे उसी प्रकार बन जाते है, नारी प्रेरणा है, चेतन्य शक्ति है, जो आज मार्ग से- पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भटक कर अपनी, अपने देश की गौरव गरिमा को भूला बैठी है। बदलते परिवेश में नारी सफलता के नए आयाम खोजती हुई न जाने किस दिशा में व्यर्थ प्रयासरत है। संस्कृति एवं सभ्यता की मर्यादा को लांघकर प्रगति की दिशा तलाशना उसी प्रकार है- जैसे 'बंदर के हाथ में उस्तरा'। गांव व देहात की नारी के उत्थान के बिना नारी समुदाय का सर्वांगीण विकास सम्भव नही है, अतः ग्रामीण नारी विकास के साथ ही, नारी सुरक्षा के प्रति समाज के प्रत्येक वर्ग तथा सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो तभी आधी जनशक्ति नारी की सम्पूर्ण प्रगति सम्भव है।

समाजशास्त्रीय जान विलकिन्सन अपने एक अध्ययन मे देह प्रदर्शन उद्योग को आपराधिक उद्योग की संज्ञा दी है। उनके अनुसार कार्य से न केवल भागीदार युवतियां मनोविकृतियों की शिकार हुई है, बल्कि दर्शकों की मानसिकता भी

अपराधिक बनी है फिल्म हो, दूरदर्शन, अन्य चैनल, मॉडलिग हो या पत्रकारिता हर क्षेत्र में नारी देह का प्रदर्शन छाया है जो समाज द्वारा व्यक्तिगत आजादी के रूप में मिलता है। स्वतंत्रता के इस भ्रामक अर्थ ने ''मातृ देवो भवः'' का उद्घोष करने वाले भारत की बुनियादी नींव हिलाकर रख दी है, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता के लिए किये जा रहे उन क्रियाकलापों ने समाज में अनिश्चितता का वातावरण निर्मित किया है, जिससे व्यावहारिक धरातल पर अपराध और हिंसा को बढ़ाने में नारी की भी अहम् भूमिका रही है।

आज की नारी पर फैशन और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रेम विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित हुए है। वैसे तो प्राचीन काल में भी गंर्धव विवाह एवं स्वयंवर प्रथा थी जो कन्या के पिता की स्वीकृति से होते थे।

सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन, राज्य सभा मे महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत कर संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ही एक कदम है।

आज आवश्यकता है कि नर-नारी में तादात्म हो क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक है। बदलते परिवेश में देश की समृद्धि एवं विकास के लिए उन्हें एकजुट होकर आगे प्रगति करना है। तथा कथित आधुनिक नारियों को देह के धरातल से ऊपर उठकर देश की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा गौरव गरिमा को बनाए रखते हेतु प्राचीन काल के भारतीय धर्मग्रंथो तथा प्राचीन भारतीय नारी से प्रेरणा लेनी चाहिए।

धर्म शास्त्रों में नारी की स्थिति सदैव ही गरिमामयी रही है। नारी को एक स्वतंत्र चेतनसत्ता के रूप मे स्मरण किया गया है, ऋग्वेंद 8/33/19 में नारी को ब्रम्हा कहा गया है। ''स्त्री हि ब्रम्हा भूविथ'' अथति वह स्वयं विदुषी होते हुए अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाती है। नारी को ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रम्हा बताया गया है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल के 159 वें सूक्त का गौरव वार्णित है। शची का कथन है-

अहं के तुरहं मूर्धाऽमुग्रा विवाचिनी।
ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाय उपाचरेत्।।

ऋग्वेद 10/159/2

अर्थात् मै ज्ञान में अग्रगण्य हूं, मैं स्त्रियों में मूर्धन्य हूँ, मै उच्च कोटि की वक्ता हूं। मुझ विजयिनी की इच्छानुसार ही मेरा पति आचरण करता है।

अर्थर्ववेद - 14/2/15 में स्त्री को सरस्वती का रूप मानते हुए कहा गया है-

प्रतितिष्ठि विराऽसि, विष्णुरिवेत सरस्वती।
सिनीवालि प्रजायती, भगस्य सुमताक्सत् ।।

अर्थात् हे नारी तुम यहां प्रतिष्ठित हो। तुम तेजस्वानी हो। हे सरस्वती! तुम यहां विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना। हे शौभाग्यवती नारी तुम संतान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपादृष्टि मे रहना।

स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है अतः कहा गया है-

स्वैर्दक्षेर्द क्षपितेह सीद, दैवानाथ सुम्ने बृहतेरणाय
यजु0 1413

मनु स्मृति 3/56 में कहा गया है कि-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवस्तित्रा फलाः क्रियः।।

अर्थात् जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते है। जहां उनका सम्मान नही होता है, वहां प्रकृति की उन्नति की सारी क्रियाएं निश्फल हो जाती है।

व्यास संहिता में कहा गया है -

''यायन्त विन्दते जायां, तावद् र्धो भवेतपुमान्।

अर्थात् पत्नी के प्राप्त होने के पूर्व तक पुरूष अधूरा है।

मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है -

विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः।
स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।।

अर्थात् समस्त स्त्रियॉ और समस्त विधाएं देवी के रूप में ही हैं।

विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित नारी की इस विशिष्टता का आधार उनकी अर्न्तनिहित क्षमता एवं सद्गुण सम्पत्ति है।

अतः जन समुदाय को चाहिए कि ऐसे उत्पादों का बहिष्कार करें जिसके विज्ञापन में नारी देह का प्रदर्शन हो, जिससे हम भटकती हुई नारी को सही दिशा दे सके। पाश्चात्य अंधाधुनीकरण से ग्रसित नारी को समझना होगा कि प्रतिभा का अर्थ मात्र देह प्रदर्शन और उसका औद्योगिकरण नही है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का भरपूर विकास और लोकमंगल के लिए, समाज के लिए उसका नियोजन है। नारी का सही मायने में सशक्तिकरण उसके विविध क्रियाकलापों में पवित्रता, प्रखरता, सदासयता के वरण की आवश्यकता है। जिससे समाज में,

परिवार संस्थानों में, सहयोगात्मक, आदर्शवादी, सदाशयता युक्त सामाजिक वातावरण को निर्मित कर देश के भावी कर्णधारों का मार्ग प्रशस्त कर समाज मे अपनी गौरव गरिमा को बढ़ा सके।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. https.him.wikipedia.org
2. https// www.jagran.com
3. https// www.chauthiduniya.com2013
4. https// www.pravakta.com
5. https//www.hindikidunia.com
6. https//www.airo.co.in
7. राजकुमार डा. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
8. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण बुक इनक्लेव, जयपुर
9. सिंह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मार्च 2006
10. सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007
11. व्यास, जयप्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन 2003
12. हसनैन, नदीम, समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेंटर (2004) लखनऊ
13. राजनारायण स्त्री, विमर्श और सामाजिक आन्दोलन (2005)

वर्तमान संदर्भ में भारतीय नारी

* डॉ. पूजा तिवारी

नारी पुरुष की पूरक सत्ता है। वह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उसके बिना पुरुष का जीवन अपूर्ण है। नारी उसे पूर्ण करती है। मनुष्य का जीवन अन्धकारयुक्त होता है तो स्त्री उसमें रोशनी पैदा करती है। पुरुष का जीवन नीरस होता है तो नारी उसे सरस बनाती है। पुरुष के उजड़े हुए उपवन को नारी पल्लवित बनाती है। इसलिए शायद संसार का प्रथम मानव भी जोड़े के रूप में ही धरती पर अवतरित हुआ था। पुरुष और नारी एक ही सत्ता के दो रूप हैं और परस्पर पूरक हैं। फिर भी कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग के कारण नारी कहीं महान है पुरुष से। वह जीवन यात्रा में पुरुष के साथ नहीं चलती वरन् उसे समय पड़ने पर शक्ति और प्रेरणा भी देती है। उसकी जीवन यात्रा को सरस, सुखद, स्निग्ध और आनन्दपूर्ण बनाती है नारी, पुरुष की शक्तियों के लिए उर्वरक खाद का काम देती है। महादेवी वर्मा ने नारी की महानता के बारे में लिखा है 'नारी केवल माँस पिण्ड की संज्ञा नहीं है, आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सफल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भर कर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है।' इसमें कोई सन्देह नहीं कि नारी धरा पर स्वर्ग की ज्योति की साकार प्रतिमा है। उसकी वाणी जीवन के लिए अमृत स्रोत है। उसके नेत्रों में करुणा, सरलता और आनन्द के दर्शन होते हैं। उसके हास्य में संसार की समस्त निराशा और कड़ुवाहट मिटाने की अपूर्व क्षमता है। नारी सन्तप्त हृदय के लिए शीतल छाया है। वह स्नेह और सौजन्य की साकार देवी है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के शब्दों में 'नारी पुरुष की शक्ति के लिए जीवन सुधा है। त्याग उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है।' नारी अपने विभिन्न रूपों में सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता का जीवन बिताती है। माता-पिता के लिए आत्मीयता, सेवा की भावना जितनी पुत्री में होती है उतनी पुत्र में नहीं होती। पराये

---

* विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

घर जाकर भी पुत्री अपने माँ-बाप से जुदा नहीं हो सकती। उसमें परायापन नहीं आता, उसके हृदय में वही सम्मान, सेवा की भावना भरी रहती है जैसी बचपन में थी। भाई-बहिन का नाता कितना आदर्श, कितना पुण्य-पवित्र है। भाई-भाई परस्पर जुदा हो सकते हैं एक दूसरे का अहित कर सकते हैं किन्तु भाई-बहिन जीवन पर्यन्त कभी विलग नहीं हो सकते। बहन जहाँ भी रहेगी अपने भाई के लिए शुभ कामनायें, उसके भले के लिए प्रयत्न करती रहेगी। माँ तो माँ ही है। पुत्र की हित चिन्ता, उसका भला, लाभ हित सोचने वाली माँ के समान संसार में और कोई नहीं है। संसार के सब लोग मुँह मोड़ लें किन्तु एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र के लिए सदा सर्वदा सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है।

नारी को मानव जीवन का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि हर बड़े से बड़े विद्वान, महापुरूष, वैज्ञानिक, आम आदमी, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी की उत्पत्ति अर्थात् जन्म स्त्री के गर्भ से हुई है।

नारी, स्त्री, महिला, औरत, ईश्वर की अमूल्य एवं सर्वश्रेष्ठ संतान है। किन्तु मानव जीवन में नारी की दशा कभी स्थिर नहीं रही है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नारी जीवन में एवं नारियों की स्थिति में कई परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं।

स्त्री समाज का दर्पण होती है, यदि किसी समाज की स्थिति को देखना है तो वहॉ की नारी की दशा को देखना होगा। आज की नारी का सफर चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर आज उसमें चुनौतियों से लड़ने का साहस आ गया है। अपने ''आत्मविश्वास '' के बल पर आज वह दुनियॉ के अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज की नारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है।

वर्तमान युग में समस्त विश्व में महिला सशक्तीकरण की गूँज सुनाई दे रही है। आज की स्त्री जागरूक है, अपने हक के प्रति, अपने आत्म सम्मान के प्रति जो द्योतक हैं नारी के आत्म विश्वास का, आज की नारी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को कायम रखने में कामयाब है।

गलत के खिलाफ आवाज उठाती है : आज की नारी किसी भी प्रकार के जुल्म को चुपचाप नहीं सहती और न ही दूसरों को सहने देती है। सिंगल मदर्स भी सिर उठाकर रह रही है।

उम्र से परे सोचती है - आज की नारियां समय से पहले स्वयं को बूढ़ा नहीं मानती है तथा खुद को व्यवस्थित रखकर अपनी जरूरतों पर खुले दिल से खर्च भी करती है।

स्वयं के लिए समय निकालती है - आज की महिलाएँ खुद के लिए समय निकालकर अपनी पसंदीदा शौक को पूरा करती हैं।

अपना ख्याल रखने में सक्षम- आधुनिक महिलाएं खुद से प्यार करती हैं खुद का सम्मान करती है।

सजग रहती है- आज की महिलाएं नयी है, नयापन सीखने को उत्सुक रहती है।

अभिव्यक्ति एवं शिष्टता- वर्तमान समय की नारी अपने विचारों को खुल कर दूसरों के सामने रखती है, चुप रहकर सब कुछ सहती नहीं है। आज महिलाएँ शिक्षित हैं, उन्हे कई प्रकार का ज्ञान है। वे आधुनिकता, सभ्यता तथा शिष्टता में सामंजस्य बिठाकर जीवन यापन करती है।

जिम्मेदार- आज की महिलाएं जिम्मेदार है, अपनी क्षमता के अनुसार परिवार, नौकरी, अन्य सामाजिक गतिविधियों को निभाती है।

हम किसी से कम नहीं- परिवार एवं कैरियर दोनों में तालमेल बैठाती नारी का कौशल वाकई काबिले तारीफ है, चुनौतियों का हंस कर सामना करने वाली महिलाएँ आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है।

वर्तमान संदर्भ में महिलाओं ने आज अपनी क्षमताओं से समाज में एक अलग पहचान बनाई है।

आज की नारी आधुनिकता से युक्त, सजग, साहस तथा आत्म विश्वास से परिपूर्ण है तथा पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है।

वर्तमान संदर्भ में नारियों की सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति बेहतर हुई है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, अच्छी सोच एवं सरकार के द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु किए गये प्रयास है, आज नारी अपना वजूद, अपनी अस्मिता, अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब है, जो एक स्वस्थ समाज का परिचायक है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. कन्या सुरक्षा एक बेहतर राष्ट्र का निर्माता- सुबोध कुमार।
2. बेब दुनिया- मैं हूँ आज की नारी- गायत्री शर्मा।
3. बेब दुनिया- आधुनिक महिलाओं के खास गुण- नम्रता जायस्वाल।
4. बेब दुनिया- वर्तमान युग की नारी- नीलम चौधरी।
5. महिलाओं का समाज शास्त्र- डॉ. लवानियॉ।
6. http://literature.awgp.org/akhandjyoti/1964/June/v2.26

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना

* डॉ. गुंजन सिंह
** डॉ. रेखा सेन

नारी सहनशीलता और शक्ति की पर्याय है। आज हमें नारी को उसकी असीम शक्तियों और क्षमताओं का बोध् कराना होगा और नारियों को स्वयं अपनी अस्मिता को पहचानना होगा। महिलाओं को दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है- गृहणी और कामकाजी। हमारे समाज में 'गृहणी' शब्द के व्यावहारिक अर्थ पर विचार करें तो- सूर्य निकलने से पूर्व बिस्तर से उठना, चौका- बर्तन करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, उन्हें स्कूल भेजना, पति के लिए नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल से वापस लाना आदि ढेर सारे काम करने वाली। अगर कामकाजी महिला है तो इनमें से कुछ कार्यों के साथ दफ्रतर के आठ घंटे का कार्य भी जुड़ जाता है। विचारणीय है कि इन दोनों स्थितियों में हमारे समाज की अधिकांश महिलाएं अपनी क्षमताओं का सही-सही प्रयोग नहीं कर पाती हैं। क्या उन्हें अपने अंदर निहित शक्ति का अहसास नहीं है? प्रश्न का उत्तर यदि दोनों तरह की महिलाओं के बीच खोजा जाय तो शायद ही कुछ महिलाएं इसका तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण उत्तर दे पाएं। भारत में आदिकाल से नारी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा जाता है। यहां की महिलाओं को पूजनीय का दर्जा दिया गया है। नारी शक्ति की महत्ता को अंगीकार करने वाले हमारे देश में भारत को माता और धरती को भी माता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि कोई समाज महिलाओं की उपेक्षा करके प्रगति नहीं कर सकता। हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद का कथन था कि - स्त्री के भीतर छिपी परिवर्तनकारी ऊर्जा पृथ्वी को स्वर्गतुल्य बना सकती है।

किसी समाज में महिलाओं की भूमिका से ही उस समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन होता है। इस समय भारत में महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा,

==========

* स्ववित्तीय शिक्षक, समाज कार्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा
** अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, बरका जिला सीधी (म.प्र.)

अभियांत्रिकी, पुलिस और राजनीतिक क्षेत्रों में भी सफलता के शिखर छू रही हैं किंतु स्वयं की शक्ति को पहचानने के अभियान को जब तक समूचे महिला जगत् में नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक विकसित, सभ्य और सुसंस्कृत समाज की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। विडंबना है कि जो स्त्री मां के रूप में पूज्य है, बहन के रूप में घर की रौनक है, पत्नी के रूप में घर की जिम्मेदारी संभालने वाली और पुत्री के रूप में घर में आनंद बिखेरती है, उसी नारी को उपेक्षित समझा जाता है।

महिलाओं का उत्पीड़न पुरुषवादी मानसिकता के दोहरे चरित्र को दर्शाती है। दरअसल शारीरिक और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम पुरुष समाज महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहा है। पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी तथा महिलाओं को पुरुषों की अनुगामिनी न होकर सहगामिनी बनना पड़ेगा। औरतों के अधिकारों और समाज के उत्थान में उनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। जिस समाज की स्त्रियां पिछड़ी हों, अनपढ़ हों और घर में उनकी भूमिका दासी तक ही सीमित हो तो ऐसे समाज का उत्थान नहीं हो सकता।

महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार हमारी मध्ययुगीन मानसिकता को उजागर करते है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाएं हमसे किसी मामले में कमतर नहीं हैं, वे हमारी साथी हैं। एक मां और एक पत्नी के रूप में औरतों के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है।

नारी प्रेम, करुणा, सेवा, वात्सल्य व दया की प्रतिमूर्ति के रूप में जानी जाती है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वे समाज की दिशा बदल सकती हैं। ईश्वर ने महिलाओं को सिर्फ संतान पैदा करने की मशीन के रूप में नहीं बनाया है। महिलाओं को अपने भीतर यह भावना जागृत करनी होगी कि वह इस समाज की बगिया में विशाल वटवृक्ष बन सकने वाली महाशक्ति हैं।

महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हे सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋगवेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं स्त्रियाँ नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थीं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिए गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन पितारक्षति कौमारे.....न स्त्री स्वातंन्यम् अर्हति। वहीं पर उनका कथन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति साहित्य, परम्परा, रीतिरिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है। पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं। भारतीय सन्दर्भों में समस्या के समाधान के लिए प्रयास हो तो अच्छे हुए हैं। भारतीय मनीषा समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता, सहधर्मिती, सहचारिता की बात करती है। इसी से परस्पर सन्तुलन स्थापित हो सकता है।

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा,

अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया। धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं है अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तरदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर, धर्मरूप में स्वीकार अपना कल्याणकारी कर्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपामुद्रा, महर्षि अगस्त्य की पत्नी), अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थीं।

निष्कर्ष यह है कि महिलाओं के बेहतरीकरण के लिए हम सबको अपनी कुत्सित एवं रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्हें सम्मान के साथ-साथ शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी व अन्य सभी स्थानों पर बराबरी देना होगा। गौरतलब है कि भारतीय महिलाओं ने राष्ट्र की प्रगति में अपना अधिकाधिक योगदान देकर राष्ट्र को शिखर पर पहुंचाने हेतु सदैव तत्पर रही हैं। सच पूछो तो नारी शक्ति ही सामाजिक धुरी और हम सबकी वास्तविक आधार हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों में पूर्ण सहयोग देकर उसको परिणाम तक पहुंचाना होगा। युगनायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था- जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न आगे उन्नति कर सकेगी। हमें भारतीय सनातन संस्कृति के यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता धारणा को साकार करते हुए महिलाओं को आगे बढ़नें में सदैव सहयोग करना चाहिए।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. नीलम यादव, भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना
2. शालिनी तिवारी, भारतीय महिलाओं की दिशा एवं दशा
3. महिला विकास, स्वपनिल सारस्वत नमन प्रकाशन नई दिल्ली।
4. तिवारी आर.पी. एवं शुक्ला डी.पी. भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान नई दिल्ली।
5. डी. किरन - स्टेट्स एण्ड पोजिशन ऑफ वूमेन इंडिया विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
6. रिसर्च जनरल आफॅ सोशल एण्ड लाईफ साइंस रीवा।

भारतीय सन्दर्भ में नारी सशक्तीकरण

* डॉ. अलका नायक

किसी भी देश की तरक्की, उन्नति एवं विकास की परिकल्पना बिना आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला की उन्नति विकास एवं सहयोग के सम्भव नहीं है। महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा संरक्षण, प्रोत्साहन देकर उसकी अनन्त ऊर्जा का प्रयोग कर विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। स्वामी विवेकानन्द की उक्ति पूर्णतया सत्य है कि- जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना सम्भव नहीं है। यह बात परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को समझना चाहिए कि महिलाएं, लड़कियाँ सम्मान, आजादी और खुशी से बंचित है तो राष्ट्र, समाज, परिवार, समृद्ध और खुशहाल नही हो सकता है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलायें घरेलू हिंसा, बलात्कार, अत्याचार, उपेक्षा एवं गौण नागरिकता की शिकार होती हैं। पुरुष प्रधान समाज का महिलाओं के प्रति नजरिया चिन्ताजनक है। प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तीकरण पर संगोष्ठियो रैलियो का आयोजन मात्र सरकारी कार्यक्रमों की खानापूर्ति है। व्यावहारिक धरातल पर पाँच वर्ष तक की कन्या सुरक्षित नहीं है उसके साथ मानसिक विकृति के लोगों द्वारा जब बलात्कार होता है तो मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, तेजाब फेंकना, स्टॉकिग, तस्करी, यौन अपराध का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज विचारणीय विषय है कि सरकार द्वारा जो महिलाओं को उनके अधिकार एवं संरक्षण की बात कही जाती है एवं विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है वो कहाँ तक महिलाओं को सशस्त करने में कारगर हुई हैं

संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन इस आशय से किया जाता है ताकि महिलाओं के प्रति पुरुष का नजरिया बदले। महिलाओं को पुरूषों के समान, अवसर, पहचान और अधिकार मिले इन

---

* एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, गांधी महाविद्यालय, उरई (उ.प्र.)

सबके लिए महत्व पूर्ण निर्णय संसद में लिए जाते है किन्तु महिला सांसदो की संख्या देखी जाए तो वो न के बराबर है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में एक महिला आरक्षण बिल संसद में 33 प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा जिसे लोक सभा में पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण खटाई में पड़ गया था उसका सीधा-सादा उत्तर है कि वोट नीति के लिए महिलाओं के उत्थान, विकास, संरक्षण की बात तो करना किन्तु उन्हें अधिकार न देना हैं। वर्ष 1993 में एक संवैधानिक संशोधन पारित कर ग्रामीण परिवार स्तर के होने वाले चुनावों में एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी जिसकी वजह से आज हर गांव में होने वाले चुनाव में महिला चुनाव लड़ती है। जोकि एक उपलब्धि के रुप में देखी जा सकती है। किन्तु सभी स्तरों पर निर्णय लेने का काम महिला से सम्बधित पुरूष चाहे वो पति हो, पिता हो बेटा हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. **महिलाओं को संवैधिनिक एवं कानूनी तौर पर प्राप्त अधिकार**– महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान को प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं अन्य संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसमें अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 (1) लिंग के आधार पर भेद भाव पर प्रतिबन्ध, अनुच्छेद 15(3) समाज को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्यवाही करने का अधिकार, अनुच्छेद 16 किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में अवसर को समानता प्रदान करता है। वही कानूनी तौर पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, गर्भावस्था जाँच अधिनियम का 1971, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पी.सी.पी.एन.डी.टी. 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं संरक्षण) अधिनियम 2013 में प्रदान किये गये जिसके तहत महिलाओं के संघर्ष और आन्दोलनों, श्रमिक और किसान आन्दोलन, मानवाधिकार से सम्बन्धित संघर्ष आन्दोलन एवं प्रकरण सामने आते रहे हैं धार्मिक कानून और पद्धतियाँ रोक, हमारे संविधान के विरुद्ध है इस पर भी न्यायसंगत चर्चा होनी चाहिए।

वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और यू.एन.डी.पी. आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतन्त्रता और राजनौतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं सें आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियों से जुड़ा

हुआ हैं जो वैश्विकीकरण के इस दौर में भारत की जवाबदेही तय करता है। वर्ष 1993 में भारत द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सी0डी0ए0डब्लू) मैक्सिकोप्लान ऑफ एक्शन (1975) वीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995) तथा 21वी शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास शान्ति एवं आगे की कार्यवाही को लागू करने के लिए भारत ने भी वीजिंग घोषणा पत्र, को समर्थन दिया था। वर्तमान प्रधान मंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए किये गयें कार्यो को एवं भविष्य में उनकी क्या रणनीति है विभिन्न मंचों से स्पष्ट किया।

1. तीन करोड़ 50 लाख से भी अधिक परिवार मुद्रा योजना से लाभान्वित हुए जिन 80 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक के दर्शन नहीं किये थे उन्हें बैकों से ऋण प्राप्त हुए।
2. रेशम के उत्पादन में लगे बुनकरों को अब प्रतिमीटर उत्पादन के लिए 50 रु0 अधिक प्राप्त होंगें एवं यह धनराशि दलाल या डीलर को प्राप्त नहीं होगी सीधे बुनकर के खाते में जायेगी।
3. लाखों परिवार को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनके बड़े होने पर शादी या नौकरी के लिए प्राप्त धनराशि से उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
4. इन्द्र धनुष टीकाकरण योजना के तहत् स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ गरीबों तक पहुँचाई जा रही हैं।
5. गरीब ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए विवश महिलाओं के लिए घर-घर शौचालय निर्माण कर महिलाओं को सुरक्षित किया।
6. ग्रामीण इलाकों में रवाना बनाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी, कन्डा, कोयला के प्रयोग को कम करके उज्जवला योजना के तहत् एल0 एल0 पी0 जी0 कनेक्शन को आच्छादित किया

सरकार द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा तीनों विन्दुओं पर सरकार द्वारा निरन्तर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जो महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आज नारी शिक्षक, राजनेता, प्रबन्धक, पर्वतारोही, पायलट एवं सशस्त्र सेनाओं से लड़ती नजर आ रही है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् विभिन्न स्तरो पर स्वास्थ्य केन्द्र, दवाइयाँ, उपकरण को उपलब्ध करना, हमारे देश की हर तीसरी महिला कुपोषित है हर दूसरी महिला में खून की कमी है, अतः उक्त मुददे के समाधान के लिए (आई सी डी एस) योजना को सार्वभौतिक बनाया गया जिसमें 14 लाख आगनबाड़ी केन्द्रों के जरिये देश के सभी जिलों और ब्लाकों को कवर किया गया जो देश 109 करोड़

गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं और छह वर्ष से छोटे 8.4 करोड़ वच्चों को पोषण सम्वन्धी जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 को राज्य सभा में पारित किया गया जिसके तहत कामकाजी महिलाओं को देखभाल हेतु 12 हफ्तों के स्थान पर 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाना भी महिलाओं को शिशु देखभाल करने का सराहनीय कार्य है। लगातार लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भापात को रोकने का प्रयास बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं का नारा दिया जा रहा जिससे गिरता हुआ लिंगानुपात कम हो सके। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस थानो के माध्यम से पुलिस बल में लिंग संवेदनशीलता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, अन्य नौकरियों में भी महिला आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

विश्व स्तर पर महिला शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। पुरूषों में साक्षरता की दर 20 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी भारत की स्थिति काफी ठीक है जहाँ 2011 की जनगणना के तहत पुरुषों की साक्षरता 82 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 63.5 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में यह स्थिति 55 प्रतिशत से भी कम है बिहार सबसे पिछड़ा है जहाँ मात्र 51 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। स्वतन्त्रता के 70वर्षो के बाद की स्थिति संकेत करती है कि विशेष प्रयास करना आवश्यक है, प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा स्तर पर ड्रॉप आउट की संख्या एक चुनौती बनी है।

अब प्रश्न है कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, उन्हे हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करके। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराके या शिक्षा प्रदान करके ? मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे महिलाएं अपने अधिकारों को समझ सकेगी, सरकारी योजनाओं को सक्षम कर लाभान्वित हो सकेगी अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा सकेगी आन्दोलन कर सकेगी। महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने, अपनी शादी, बच्चे, कैरियर चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। महिलाओं को सशक्त करने की प्रक्रिया दोतरफा है जिसमें हम सशक्त बनाते है और होते है सूक्ष्मस्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं और व्यापक स्तर पर काम करने वाली महिलाओं के बीच नेटवर्किंग की आवश्यकता है जो महिलाओं के लिए व्यापक धरातल बनायेगा।

अत: सामाजिक, राजनैतिक सदृढ़ता के साथ-साथ आर्थिक सदृढ़ता ही महिलाओं को गरिमा मयी स्थान प्रदान कर सकता हैं। जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं

को समानता,आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिससे महिलायें पुनः विकास की मुख्य धारा में आगे आकर अपना परचम लहराकर देश को पुनः विश्व गुरु वनाने की दिशा में पुनः प्रतिष्ठित करेगी।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. योजना, सितम्बर 2016
2. दैनिक जागरण का सम्पादकीय
3. इंटरनेशनल काउसिल फॉर रिसर्च ऑन वूमेन दिल्ली 2014।

भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

* सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे

भारत गांव का देश है इसकी लगभग 74 प्रतिशत आबादी गांवो में रहती हैं। अतः गांवो का जीवन स्तर ऊँचा उठाए बिना विकास होना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था भारत की बुनियाद गांवो में है अतः विकास की शुरूआत ग्राम स्तर से की जानी चाहिए। किसी भी राष्ट्र व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्य क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता एवं शिक्षा आदि वातों पर निर्भर करता है और महिलाए किसी भी राष्ट्र की विशिष्ट मानव संसाधन होती है। वर्तमान में महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ से लेकर महिलाऐं निर्विवाद रूप से देश की प्रगति में सहयोगी रही हैं। किंतु उनके सहयोगात्मक कार्यों का ऑकलन कभी भी निष्पक्ष नहीं हुआ है, समाज की पुरूष सत्तात्मक संरचना ने उसे स्वीकार नहीं किया। समाज का अभिन्न होने के बाबजूद भी आधी-आबादी अपने अधिकारों से वंचित है। अतः सामाजिक, आर्थिक विकास के उदाहरण महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। भारतीय ग्रामीण महिलाएं न केवल दिन-रात गृह कार्यों को करने में लगी रहती है अपितु घरेलू दासता व घरेलू हिंसा का शिकार भी होती है। इसके साथ ही यदि ग्रामीण महिलाएं मजदूरी पर कार्य करने के लिये जाती हैं तो पुरूषों की अपेक्षा अधिक कार्य करने के बाबजूद भी उनको कम मजदूरी प्राप्त होती है। ग्रामीण महिलाओं के पास न कौशल है, न दक्षता है, और न शिक्षा की सम्पत्ति है जिसकी सहायता से वह संगठित और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पा सके।

सरकारी व गैर-सरकारी स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने उनको सशक्त व अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये अनेक रोजगार कार्यक्रमों व योजनाओं को क्रियान्वित किया गया इसके अतिरिक्त देश में वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने के उद्देश्य भी महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार प्रदान करके अधिक सशक्त बनाने व उनकी स्थिति में सुधार करना था। ज्ञातव्य है कि महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का

---

* शोध छात्र, पी-एच.डी., इतिहास, विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन)

अभिन्न अंग है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त व मजबूत बनाए जाने हेतु उन्हें उत्पादक रोजगार देना आवश्यक है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय– महिलाओं को एक सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आत्मविश्वास दिलाने को ही सही मायनों में महिला सशक्तिकरण कहते है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं की दूसरों पर आत्मनिर्भरता समाप्त करना तथा आत्म सम्मान के माध्यम से सबल बनाना है। महिला सशक्तिकरण का दायरा न केवल शहरी महिलाओं के लिये बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी इस मुहिम में शामिल किया जाता है। दूर दराज के कस्बों एवं गांवों में भी महिलाऐं अपनी आवाज बुलंद कर रही है। महिलाऐं अब किसी भी मायने में अपने पुरूष समकक्षों से पीछे नहीं है। अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना वे अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है।

हालांकि यह भी सच है कि ज्यादातर महिलाओं को अब समाज में बड़े भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उनमें से कई को विभिन्न प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़नों से दो-चार होना पड़ता है और वे अक्सर बलात्कार, शोषण और अन्य प्रकार के शारीरिक और मानसिक हितों का शिकार हो जाती है।

सही मायनों में महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है, जब समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाया जा सके और उनके साथ उचित सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया जाए। देश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामंती और मध्ययुगीन दृष्टिकोण का वर्चस्व है और वहां महिलाओं को उनकी शिक्षा, विवाह, ड्रेस कोड, व्यवसाय एवं सामाजिक संबंधों इत्यादि में समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता– आज हम विकास के युग में जी रहे हैं विकास का संबंध देश के किसी एक वर्ग, एक तबके, एक जाति के विकास में नहीं जुड़ा है, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति को विकास के मापदण्ड में शामिल किया जाता है। सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके पीछे निहितार्थ यह है कि जो वर्ग विकास की मुख्य धारा में पीछे छूटा है। उन्हें उनके अधिकार प्रदान कराना एवं सशक्त करना है। बिना महिला सशक्तिकरण के हम अन्न्याय लिंग-भेद और असमानताओं को दूर नहीं कर सकते। महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ सशक्तिकरण एक शक्तिशाली औजार के रूप में कार्य करता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिये पर्याप्त कानूनी संरक्षण प्रदान करने का एक बड़ा साधन हैं। अगर महिलाओं को रोजगार प्रदान

नहीं किया गया, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि महिलाऐं दुनिया की आबादी का एक विशाल हिस्सा है। एक न्यायसंगत एवं प्रगतिशील समाज के लिये महिलाओं को कार्य के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद से लेकर संविधान निर्माण के साथ-साथ महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये, साथ ही अनेक कानूनी अधिकारों की भी व्यवस्था की गई। ताकि महिलाओं के प्रति समाज में हो रहें अन्याय, शोषण, भेदभाव, हिंसा को कम किया जा सके साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके ताकि वे स्वतंत्र एवं सुरक्षित वातावरण में अपना विकास कर सकें। किंतु विडम्बना यह है कि महिलाऐं अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती अदालत जाना तो दूर की बात है इसकी वजह यह है कि महिलाएँ खुद को इतना स्वतंत्र नहीं समझती कि उतना बड़ा कदम उठा सकें। अगर कोई मजबूरी में या साहस के चलते अदालत जा भी पहुँचती है, इनके लिये कानून की पेंचीदा गलियों में भटकना आसान नहीं होता। दूसरे इसमें उन्हें घर से लेकर बाहर तक विरोध के ऐसे बवंडर का सामना करना पड़ता हैं, जिसका सामना अकेले करना लिये कठिन हो जाता है।

इस नकारात्मक वातावरण का सामना करने के बजाय वे अन्याय सहती रहना उचित समझती हैं। कानून होते हुए भी महिलाऐं उनकी मदद नही के बराबर ले पाती है, आमतौर पर समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे का प्राणी मानता है, कारण चाहे सामाजिक रहें हो या आर्थिक परिणाम हमारे सामने हैं। आज भी दहेज को लेकर हजारों लड़कियां जलाई जाती है। रोज न जाने कितनी लड़कियाँ यौन शोषण की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से गुजरती है। कितनी महिलाऐं अपनी सम्पत्ति के अधिकार से बेदखल होकर भटकती है।

ग्रामीण महिलाआं के संवैधानिक प्रावधान एवं कानून- महिलाओं को कानूनी अधिकार प्रदान करने अनेक संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनों की व्यवस्था की गई है तथा समय-समय पर उन कानूनों में यथा संभव संशोधन भी किये जा रहे है ताकि महिलाएं अपने मानवाधिकारों का समुचित उपयोग कर एक सम्मान एवं न्यायपूर्ण जीवन जी सके। पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के लिये बड़ी संख्या में कानून पारित किये गये है। आज हम देखे तो ढ़ेरों कानूनों के स्थान पर बहुत थोड़े कानूनों का पालन हो रहा है। लेकिन भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है।

भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिये बनाये

गये हैं- जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73 वें और 74 वें संविधान के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य उन्हीं अभाव की दशाओं में सहायता प्राप्ति की व्यवस्था में सुधार करने का सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51(3) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के जारिये लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के जरिये राज्य सभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को समान अवसर देने और उन्हें अपने अधिकारों को बोध कराने कानूनी प्रावधान भी हैं जिनका लाभ प्रत्येक महिला वर्ग चाहें वह ग्रामीण परिवेश में हो या अधिनियम 1961 जिसे 1986 में संशोधित कर व्यापक किया गया, विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिला कामगारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 पारित किया गया। महिलाओं को पुरूषों के समतुल्य समान कार्य के लिए समान वेतन के लिये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया। किंतु दुर्भाग्यवश आज भी अनेक महिलाओं को समान कार्य समान वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु 'घरेलु हिंसा अधिनियम' 2005 लागू किया गया। कार्य क्षेत्र में महिला कामगारों की अस्मिता की रक्षा हेतु यौग उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू किया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1953 के तहत महिला तथा बच्चे के भरण पोषण एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनैतिक व्यापार विवरण अधिनियम 1956, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1997, कारखाना संशोधित अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, बाल विवाह अधिनियम 2006 भारतीय दण्ड संहिता की अनेक धारायें महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सके। भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के प्रति अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रयास, दहेज, मृत्यु, बलात्कार, अपहरण आदि को रोकने का

प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कई प्रावधान भी उत्पीड़ित महिलाओं के हितार्थ है।

इसके अतिरिक्त भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार अन्य प्रयास भी कर रही है। जैसे- 1985 में महिला बाल विकास विभाग की स्थापना, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के उत्थान एवं उनके शक्तिकरण हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिनमें बालिका समृद्धि योजना, महिला सामाख्या योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, स्वंयसिद्धा योजना, बेटी बचाओ योजना, उज्जवला योजना, स्टार्ट अप योजना, जन-धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना आदि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण हेतु कृषि एवं लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन के साथ-साथ डायबानी फसलों एवं जैविक कृषि के माध्यम से महिला आत्मानिर्भर होकर राष्ट्र विकास में सहयोग प्रदान कर रही है।

आज सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, रोजगार बिजली कृषि तकनीक की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में संविधान के 73 वें संशोधन ने महती भूमिका निभाई है। पंचायती राज में महिला सहभागिता के द्वारा महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे है, उनमें से 13 से 14 लाख महिलायें चुनकर आयी है।

आंकड़ा यह बताने के लिये पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएँ ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही है, बल्कि वे उनके स्वंय के स्वाभिमान के लिये भी सकारात्मक संकेतक है। जिनसे भारत के ग्रामीण परिवेश में फैली सामाजिक असमानता भी दूर हो रही है। महिलाएं समाज में विद्यमान बुराईयों के प्रति लड़ने में सशक्त हो रही है।

इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान महिला शिक्षा में हुई आशातीत वृद्धि से लगाया जा सकता है। जहाँ आजादी के बाद 1951 में महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 65.46 हो चुकी है। यानि महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है। वहीं लिंगानुपत में भी पिछले दशक से ज्यादा वृद्धि दर्ज

की गई है। 2001 में जहां 1000:933 थी, वही 2011 में बढ़कर 1000:943 हो चुकी है। जिसमें ग्रामीण महिला लिंगानुपात 1000:949 है। वहीं महिला श्रम का मूल्यांकन करे तो पाते है कि नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011-12 में महिला श्रमिक सहभागिता दर 25.51 प्रतिशत थी। जो ग्रामीण क्षेत्र में 24.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 14.7 प्रतिशत थी, जबकि विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताविक 2016 में महिला श्रमिक सहभागिता दर 27 प्रतिशत है। अर्थिक जनगणना के मुताबिक देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। कुल 5. 85 करोड़ उद्यमों में 13.46 फीसदी उद्यमों की बागडोर महिलाओं के पास है। देश की कुल 13 करोड़ महिलाएं गांवों से संबंध रखती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2055 तक श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से 70 प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना से निष्कर्षत कहा जा सकता है कि निश्चय ही ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उन्हें रोजगार एवं आर्थिक आत्म निर्भरता के अवसर भी प्रदान किये जा रहे है। संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि महिलाऐं अधिकारों का समुचित प्रयोग कर सके। सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिये प्रतिबद्ध भी है। आज ग्रामीण परिवेश में रहकर भी महिलाऐं सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर रही है। रोजगार उन्मूलन कार्यक्रमों एवं समावेशी ग्रामीण विकास ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन लाया है परिणाम हमारे सामने है, जहां रूढ़िग्रस्त भारतीय परम्परागत समाज में जहां महिलाऐं घर की चाहारदीवारी तक सीमित थी। आज उन दीवारों से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करती नजर आ रहीं है। संख्या भले ही कम क्यों न हों किंतु महिला स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों के उपयोग का आगाज हो चुका है।

नि:संदेह ग्रामीण महिलाएं पुरूष प्रधान ग्रामीण परिवेश में भी अपना वर्चस्व बनाने में सफल हो रही हैं। शायद इसलिये भी क्योंकि न केवल उन्हें सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है, बल्कि हमारे भारतीय संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनों ने भी काफी हद तक उन्हें संरक्षण प्रदान किया है।

किंतु पिछले दशक से महिलाओं की सुरक्षा के लिये जो कानूनी कवच दिया गया है, वह अनेक चुनौतियों के आगे अपने का लाचार पा रहा है। ये कानून उचित ढंग से लागू हो उसके लिये सजग रहना होगा। लेकिन आने वाली सदी में महिलाओं को स्थान बचा हो इस बारे में एक समग्र दृष्टि विकसित करनी होगी।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. योजना, नये भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, कृष्णचन्द्र चौधरी, अक्टूबर 2017, अंक 10, सूचना भवन नई दिल्ली।
2. कुरूक्षेत्र, बदलते गांव, उभरता भारत, आशुतोष कुमार सिंह, दिसम्बर 2015, अंक 02 सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. यादव, रवि प्रकाश, दीप रागिनी, लैंगिक हिंसा एवं सशक्तिकरण, अविष्कार पब्लिशर्स जयपुर. पृ.क्र. 155
4. शर्मा, पज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान, 2001, पृ.क्र. 4
5. स्याल, शांति कुमार ''नारी शोषण और उनके बचाव, आत्मराम एंड संस, दिल्ली, 2011, पृ0. क्र0 16
6. राधा कमल मुखर्जी चिंतन परम्परा, श्वेता लोहानी, ''भारत में महिला सशक्तिकरण संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान के विशेष संदर्भ में ''वर्ष 19, अंक 01 जनवरी-जून, 2017, सामाजिक विज्ञान विकास संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. योजना पत्रिका (स्त्री अधिकारिता विशेषांक), अंक अक्टूबर 2008 योजना भवन, नई दिल्ली पृ0 10
8. कोहली डॉ. वी.के. भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें- विवके पब्लिशर्स, अम्बाला शहर पृ0 145
9. पचौरी, प्रो0 गिरीश- शिक्षा के समकालीन मुद्दे आर लाल पब्लिकेशन मेरठ, पृ0 45
10. अग्निहोत्री, डॉ. रवीन्द्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्यायें और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयापुर पृ0 246

नारी एवं विविध दृष्टिकोण

* डॉ. निशा गुप्ता

भारतीय आधुनिक चित्रकला में नारी रूप विन्यास के सन्दर्भ में यह कहना सर्वाधिक उचित है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास क्रम में जो भी परिवर्तन हुए उनका प्रभाव नारी रूपांकन पर भी देखा जा सकता है। अतः कला आन्दोलन के प्रत्येक चरण और सम्बन्धित प्रत्येक कलाकार के कला रूपों के सन्दर्भ में ही नारी रूपों को देखा जाना चाहिए।

भारतीय रूपप्रद कला में नारी रूप की उपस्थिति ने नारी को धार्मिक भावना से अभिप्रेरित अर्चना योग्य तो दिखाया ही है, साथ ही नारी की स्थिति को सामाजिक दृढ़ता भी प्रदान की है। नारी रूप ने अपनी सुन्दर व मनोहारी छवि से समय-समय पर कलाकार का मन अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसका प्रमाण है हमारे हिन्दी साहित्य व काव्य में नारी रूप का सुन्दर विवरण, जो हमारे मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। नारी के इसी सुन्दर रूप के दर्शन कवि कालिदास के शब्द चित्रों में मिलते हैं। यह नारी रूप मानव मन का नारी से अटूट सम्बन्ध भी उजागर करते हैं।

रिवेरी

भारतीय काव्य में वर्णित नारी रूप का प्रभाव हमारे शिल्प पर भी दिखाई देता है। अजन्ता, एलोरा, खजुराहो आदि गुफा चित्रों में नारी के अद्‌भुत सौन्दर्य

==========

* एसोसिएट प्रोफेसर, जे0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज मुजफरनगर।

को दर्शाया गया है जो कभी हिन्दी काव्य में वर्णित नारी रूप जान पड़ता है तो कभी कवि कल्पना का साकार रूप। नारी रूप के साथ-साथ नारी मन के कई भावों को भी इन वर्णित रूपों व गुफा चित्रों में दर्शाया गया है। प्रेम, वियोग व मातृत्व से परिपूर्ण नारी आकृति के दर्शन हमें भारतीय रूपप्रद कला में मिलते हैं।

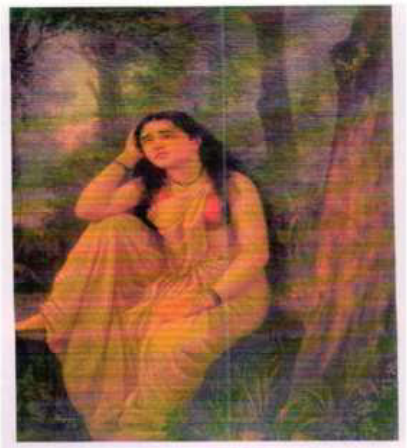

दमयन्ती

नारी का जननी रूप आदिम कला में भी दिखाई पड़ता है। यहीं से प्रारम्भ हुआ नारी रूप के प्रति मानव का आकर्षण व भारतीय संस्कृति में नारी व प्रकृति का सम्मिश्रण जो हमें इतिहास के पन्नों को पलटने पर ज्ञात होता है। भारतीय कला का स्वरूप धीरे-धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर पाया। पहले कवि द्वारा शब्द चित्रों की रचना, फिर शिल्पी द्वारा अपनी नारी के सुन्दर रूपों में नारी देह का सौन्दर्य उजागर हुआ। मुद्रा, देह भंगिमाओं व हस्त मुद्राओं के साथ-साथ भाव युक्त मुखमण्डल की रचना कर नारी रूप के सौन्दर्य को दर्शाया है।

आधुनिक कला के सौन्दर्य में बात की जाये तो चित्रकला में नारी रूप के साथ कई प्रकार के प्रयोग भी किये गये हैं। कभी पौराणिक रूप में अंकित कर नारी रूप को देवी के समान अंकित किया गया है। कहीं ऐतिहासिक घटनाओं में नारी रूप को चित्रित कर उसके रूप में दृढ़ता दिखाई है तो कभी सामाजिक परिवर्तन से आये बदलावों को दिखाया है।

अन्नपूर्णा और शिव

यह कहें कि चित्रकार ने नारी रूप को अपने चित्रों की भाषा के समान प्रयोग किया है तो कुछ हद

तक यह बात सही मानी जा सकती है क्योंकि अब नारी रूप को नारी रूप के समान ही नहीं बल्कि अन्य प्रयोगात्मक वस्तु के समान चित्रित किया जाने लगा है। अजन्ता के नारी रूप के समान नारी रूपाकृति को केवल सुन्दर ही अंकित न करके अब चित्रकार की व्यक्तिगत भावनायें भी निहित हो गई है। मुगलों के आगमन से भारतीय कला में नारी रूप पर्दे में दिखाया जाने लगा परन्तु नारी रूप पर छाया यह पर्दा रूपी अन्धकार कम्पनी शैली के द्वारा उजागर हुआ। भारतीय चित्रकार भी पश्चिमी शैली से प्रभावित हुआ और यही कारण रहा कि भारत में आधुनिक कला की नींव डली। आधुनिक चित्रकारों ने नारी रूप को यथार्थ रूप में अंकित किया तो कभी अति यथार्थ रूप में तो कहीं प्राकृतिक रूप में रची बसी लयात्मक अंकित हुई है। परन्तु नारी रूप के साथ प्रयोगों की अतिशयता तो तब हो गयी जब उसे वस्तु के समान धनवादी व ठोस अंकित किया जाने लगा। नारी रूपाकृतियों के ठोस रूप में अंकन के साथ-साथ नारी रूप का अमूर्त व अभिव्यंजनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अंकन भी नारी रूप के अस्तित्व पर गहरी चोट है।

शकुन्तला राजा दुष्यन्त को पत्र लिखते हुए

जब मनुष्य मानव बना तथा उसकी भाषा दैहिक एवं सांकेतिक से वाणी तक विकसित हुई तब उसने अपने आस-पास के वातावरण से सम्पर्क बनाने के लिए अपनी भाषा का विकास किया। इसी प्रकार से उसने प्रकृति सौन्दर्य व ध्वनियों से संगीत व चित्र दोनों में रूचि लेना प्रारम्भ किया। प्रकृति सौन्दर्य व ध्वनियों से संगीत तथा अपने आस-पास के दृश्य व जानवरों आदि में अन्तर समझने के लिए रेखाचित्रों की रचना की जो हमें उस समय के मानव व्यवहार से भी अवगत कराते हैं। इन्हीं चित्रों द्वारा हमें नारी के प्रति भावनाओं का भी पता चलता है, जो कभी आवश्यकता के रूप में उसके सामने आयी तो कभी साथी के रूप में। यहाँ मनुष्य की वह भावनायें भी उजागर होती हैं जो उसके नारी से आत्मिक व शारीरिक तौर पर जोड़ती है।

मनुष्य नारी से केवल इसलिए नहीं जुड़ा कि वह उसके प्रयोगी व साथी के

रूप में उसके आकर्षण का केन्द्र रही। बल्कि नारी के रूप में उसने ईश्वर की वह शक्ति देखी जो जन्म देती है व पोषण करती है। नारी के इसी रूप ने मनुष्य को नारी के पूजनीय होने का अहसास कराया। उसने नारी को केवल अपनी प्रेयसी के रूप में ही नहीं चाहा बल्कि मातृ-देवी के रूप में भी पूजा तथा अपने सामर्थ्य अनुसार अंकित कर उसकी आराधना की। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे-वैसे कला में भी कुछ परिवर्तन आये क्योंकि सभ्यता आवश्यकताओं का आइना है। मनुष्य का बुद्धि व तर्क बल जैसे-जैसे बढ़ता गया वैसे ही आवश्यकता की अनुभूति भी हुई तथा परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास हुआ। यही विकास हमें कला के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। कैसे वह नारी के प्रति स्वयं आकर्षित हुआ और अपने चित्रों में अन्य चित्रण विषयों की ही तरह नारी का अंकन किया। विचारणीय है पहला कदम कवि व चित्रकार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। कवि ने अपनी कल्पना से नारी रूप को शब्द चित्रों के माध्यम से रचा व हिन्दी साहित्य को नारी सौन्दर्य से अलंकृत कर दिया है। कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में शकुन्तला के माध्यम से नारी रूप के सौन्दर्य का अद्‌भुत वर्णन किया है जो नारी के लावण्य को व्यक्त करता है तथा मनुष्य के मन पर उसके प्रभाव को भी दर्शाता है।

उच्च कोटि की कला सृष्टि के लिए कलाकार का पूर्ण मनोयोग अत्यंन्त आवश्यक है। शिथिल समाधि की स्थिति में उत्कृष्ट कला की सृष्टि सम्भव नहीं है। कालिदास का कथन है कि दिव्य कला की सृष्टि सामान्य भावभूमि पर नहीं हो सकती है। कलागत नारी इस सृष्टि की नारी नहीं, वह तो कलाकार की परिकल्पना है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. शुल्क, रामचन्द्र, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, लखनऊ सूचना विभाग। समीक्षावाद, इलाहाबाद, कला प्रकाशन, कला का दर्शन, मेरठ कोरोना आर्ट पब्लिशर्स।
2. शर्मा, डॉ0 देवी दत्त, कालिदास की कला और संस्कृति साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ।
3. त्रिपाठी, डॉ0 माया, कादम्बरी का वानस्पतिक वैभव, राधा प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. श्रीवास्तव, ब्रजभूषण, प्राचीन भारतीय प्रतिमा विज्ञान, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
5. श्रीवास्तव, ए0एल0, भारतीय कला, किताब महल।
6. लक्ष्मण सिंह, कालिदास नाटक

भारत में लैगिंग असमानता और जेंडर बजटिंग

* डॉ. वर्षा राहुल

किसी भी देश के विकास सम्बन्धी सूचकांक को निर्धारित करने के लिये उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ-साथ उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक भारत देश का सम्बन्ध है यहां ''यंत्र नार्यस्तु, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है परन्तु इसी देश में नारी के अबला बताकर परम्परा एवं रूढ़ियों की बेड़ी में जकड़ा भी गया है। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो तो शान्त हो जाते हैं। लड़के के लिये इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों की जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती है तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ़ लेते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार औरतों को देवी का स्वरूप मानते हैं लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से ही इन्कार कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते है, पर लड़कियों का शोषण भी हम ही करते हैं। जहाँ तक कि महिलाओं के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोंण का सवाल है तो हम दोहरे मानकों का एक ऐसा समाज है जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग हैं।

लिंग सामाजिक-सांस्कृतिक शब्द है, सामाजिक परिभाषा से सम्बन्धित करते हुये समाज में पुरूषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में, लिंग पुरूष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के सम्बन्ध हैं। जहाँ पुरूष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धान्त समझना चाहिये जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है।

==========

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी.वी. कॉलेज उरई (उ.प्र.)

लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैगिंग आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति-वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरूषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है वो घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, अक्रमित और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है।

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिविया वाल्वे के अनुसार ''पितृ सत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।'' महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है।

उदाहरण के लिये, प्राचीन भारतीय हिन्दू समाज में मनुस्मृति के अनुसार, ''ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिये। महिलाओं के लिये आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी अमान्य किया हुआ है। यदि यहां-वहां के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर समाज या दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की कोई आजादी नहीं है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है।

मुस्लिम समाज में भी समान स्थिति है और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिये मंजूरी धार्मिक ग्रन्थों और इस्लामी परम्पराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है।

लड़की के बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में उन्हें नौकरियों में कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में वे असक्षम हो जाती है, वहीं प्रत्येक साल हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है।

ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता-पिता लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करते जिससे कि वे नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं।

सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, परिवारों में खाने की आदतों के मामले में भी, वह केवल लड़का ही होता है जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता है जबकि लड़की को वो सभी चीजें खाने को मिलती हैं जो परिवार के पुरूष खाना खाने के बाद बचा देते हैं जो दोनों ही रूपों में असमानता को दर्शाता है जिससे कुछ वर्षों पश्चात उनके खराब सेहत को प्रदर्शित करता है। महिलाओं में रक्त की कमी के कारण होने वाली बीमारी एनिमिया (अरक्तता) और बच्चों को जन्म देने के समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख कारण घटिया व पूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भोजन न मिल पाना है, जो इन्हें अपने पिता व ससुराल दोनों जगह ही नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त काम का बोझ जिसे उन्हें बचपन से कराया जाता है ये कहकर की पराये घर जाना है कुछ सीखो, नाक न कटवाना आदि भावनात्मक रूप से उन्हें दुहाई दे देकर पाला जाता है ताकि वे अपनी इच्छा भी ठीक ढ़ंग से व्यक्त न कर पायें।

तालिका संख्या-01

विभिन्न आयु वर्गों में लिंगानुसार रोग ग्रस्तता

आयु वर्ग	ग्रामीण			नगरीय		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
0–4	11.9	8.6	10.3	11.1	11.7	11.4
5–9	6.5	5	5.8	8.7	7.1	8
10–14	4.3	4.7	4.5	5.7	5.3	5.6
15–29	3.5	5.7	4.6	3.8	5.9	4.8
30–44	6	9.4	7.7	7.1	12.6	9.8
45–59	10.9	16.3	13.5	17.3	23.9	20.6
60–69	24.7	27	25.9	33.1	37.9	35.5
70 +	32.7	28.6	30.6	37.6	37.1	37.3
सम्पूर्ण	8	9.9	8.9	10.1	13.5	11.9

(स्रोत : नेशनल सैम्पल सर्वे आफिस, जनवरी 2014 से जून 2014)

लैंगिक असमानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब

रैकिंग को प्रदर्शित करती है।

* यू0एन0डी0पी0 का लिंग असामनता सूचकांक- 2014 : 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर है।
* सार्क देशों से सम्बन्धित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में ऊपर है।
* विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक- 2014: विश्व के 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर है। ये सूचकांक में चार प्रमुख क्षेत्रों में लैगिंक अंतर की जांच करता है।

1. आर्थिक भागीदारी और अवसर-134वें स्थान पर।
2. शैक्षिक उपलब्धियाँ-126वें स्थान पर
3. स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा-141वें स्थान पर
4. राजनीतिक सशक्तिकरण-15वें स्थान पर।

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारत की खेदजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का कार्य सराहनीय है, लेकिन अन्य सूचकांकों में इसकी स्थिति बहुत खेदजनक है और इस स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिन्ता का विषय है वो निम्न है-

- कन्या भ्रूण हत्या
- कन्या बाल-हत्या
- बच्चों का लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) :919
- लिंग अनुपात: 943
- महिला साक्षरता 46%
- मातृ मृत्यु दर : 1000 जीवित जन्मों प्रति 178 लोगों की मृत्यु

ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक हैं जो देश में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या और बाल-कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य है ओर ये बहुत शर्मनांक है कि ये सभी प्रथाएं भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

तालिका संख्या-02, विभिन्न राज्यों में शिशु मृत्यु दर

राज्य				5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर		
	बालिका	बालक	समग्र	बालिका	बालक	समग्र
आसाम	56	55	55.5	72	71	71
बिहार	49	47	48.0	73	67	70
मध्यप्रदेश	65	60	62.5	86	80	86
उड़ीसा	59	53	56	78	73	75
राजस्थान	60	51	55	81	68	74
उत्तरप्रदेश	69	67	68.0	95	86	90

(स्रोत : ऐनुअल हेल्थ सर्वे बुलेटिन 2012-13)

उक्त आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अर्थात् प्रसव-पूर्व निदान की तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर हैं। मैकफर्सन द्वारा किये गये एक शोध के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 100000 अवैध गर्भपात हर साल केवल इसलिये कराये जाते हैं क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता है।

इसके कारण 2011 की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आयी कि बाल-लिंग अनुपात (0 से 6 साल की आयु वर्ष वाले बच्चों का लिंग अनुपात) 919 है जो पिछली जनगणना 2001 से 8 अंक कम था। ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ तक पूरे लिंग-अनुपात की बात है 2011 की जनगणना के दौरान यह 943 था जो 2001 की 933 की तुलना में 10 अंक आगे बढ़ा है। यद्यपि यह एक अच्छा संकेत है कि पूरे लिंग-अनुपात में वृद्धि हुई है लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में नहीं है।

तालिका संख्या-03, भारत में महिला-पुरूष साक्षरता अन्तराल

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलायें	महिला पुरूष साक्षरता अन्तराल (प्रतिशत में)
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.69

(स्रोत : भारत की जनगणना-2011 (Census of India 2011)

2011 के अनुसार पुरूषों की 82.14: साक्षरता की तुलना में महिला

साक्षरता 65.46% है। यह अन्तराल भारत में महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता है, साथ ही यह भी इंगित करता है कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।

यह सभी संकेत लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिये प्रत्येक साल भारतीय सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है। ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो सके लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता। ये परिवर्तन तभी दिखायी देगें जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठे हुये विचार और रूढ़िवादिता को बदला जायेगा, जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करेगा और लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा।

स्वतंत्रता के बाद से संविधान के नारी समर्थन वाले प्रावधानों को पोषित करते हुये बनाये गये अनेकों कानूनों तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों के कारण आज भारत की महिलाओं की प्रस्थिति में गुणात्मक सुधार हो रहा है। यही कारण है कि आज महिलायें देश की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से सहभागी बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवाओं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग जैसे अनेकों क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इतना ही नहीं कारपोरेट सेक्टर में जहां दो दशक पहले तक पुरूषों का ही वर्चस्व था, वहां आज महिलाएं न केवल अपने उच्च प्रबन्धकीय क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय महिलाओं का कदम अब पुरूषों को बैशाखी का मोहताज नहीं रहा।

भारत में महिलाओं के अधिकार के लिये पहली लड़ाई राजाराम मोहन राय ने लड़ी थी। 1818 में उन्होने पहली बार सती प्रथा के विरूद्ध एक जनमत खड़ा करने का प्रयास किया। प्रारम्भ में रूढ़िवादियों ने उनका विरोध भी किया किन्तु लगभग 10 वर्षों तक अनवरत् प्रयास करने के बाद 1829 में ब्रिटिश संसद द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अधिनियम पारित किया गया। भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में यह पहला प्रयास था।

इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। देश के समग्र आर्थिक विकास में ये निर्धारक तत्व की भांति महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला अधिकारों के संरक्षण की वकालत करते हुये पहली बार महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया गया।

इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व सुश्री नजमा हेपतुल्ला ने किया था।

स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही देश में प्रगतिशील विचारों का प्रसार होने लगा था। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के साथ-साथ भेदभाव रहित समाज की स्थापना पर भी जोर दिया जाने लगा। भारत के संविधान में इन विचारों को शामिल करते हुये महिला-पुरूष, अमीर-गरीब तथा साक्षर-निरक्षर सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की गयी है। विधि के समक्ष समता तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिये कटिबद्ध हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन देते हुये संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के समक्ष स्त्री एवं पुरूष का कोई भेद नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में ''प्रतिष्ठा और अवसर की समता'' तथा ''व्यक्ति की गरिमा'' इत्यादि वाक्यांशों का प्रयोग कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भारत में अब भेदभाव जैसी पुरानी मान्यताओं को कोई स्थान नहीं मिलेगा।

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14-18 समता के अधिकार की व्याख्या करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का उपदेश देता है। संविधान का यह अनुच्छेद महिलाओं को पुरूषों के समान ही आजीविका का अवसर प्राप्त करने का अधिकार देता है। साथ ही समान कार्य के लिये पुरूषों के समान ही पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करने का भी आदेश देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार स्त्रियों एवं बच्चों के हित में राज्य विशेष उपबन्धों का निर्माण भी कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के क्रय-विक्रय पर रोक लगाता है तथा महिलाओं तथा बच्चों से बलपूर्वक श्रम करवाने को दण्डनीय अपराध घोषित करता है। यह अनुच्छेद स्त्रियों, बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों को क्रय-विक्रय, दास-प्रथा तथा बलात् श्रम से संरक्षित करता है।

संविधान के भाग-4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में भी महिलाओं के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य को अपनी नीतियाँ इस प्रकार से बनाने को निर्देशित करता है कि पुरूष और स्त्री दोनों को समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 39(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने तथा अनुच्छेद 32 हर स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य की दशा एवं उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य की दशाओं को तय करने का निर्देश सरकार को देता है। अनुच्छेद 40 में स्त्रियों के लिये कार्य की मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबन्ध करने का निर्देश देता है।

संविधान के खण्ड-4(क) में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इस खण्ड के अनुच्छेद 51(क)(ड़) में राज्य के नागरिकों से ऐसी प्रंथाओं को त्यागने की अपेक्षा की गयी है जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

स्वतंत्रता के बाद से देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी में महिलाओं का प्रतिशत 48.3 है। लगभग आधी आबादी होने के बावजूद आज भी महिलाओं की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर भागीदारी 10% के आसपास ही है। देश की नवगठित पन्द्रहवीं, लोकसभा में पहली बार विजयी महिलाओं की संख्या पिछली लोकसभाओं की अपेक्षा सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि चौदहवीं लोकसभा में विजयी महिलाओं कीसंख्या 45 थी जबकि नवगठित लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 है। पन्द्रहवीं लोकसभा में पहली बार किसी महिला (मीरा कुमार) को स्पीकर पद हेतु चुना गया।

महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पारित करके किया गया। इस संशोधन द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 की उपधारा 2 तथा धारा 23 एवं 24 का लोप कर धारा 6 को अंत: स्थापित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को वही अधिकार दिया गया है जो पुत्रों को प्राप्त है। इतना ही नहीं अधिनियम में पूर्व में मृत पुत्री की सन्तानों को वही अधिकार दिया गया है जो पूर्व में मृत पुत्र के संतानों को प्राप्त है। अधिनियम की धारा 24 का लोप कर दिया गया है। यह धारा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री का पिता की सम्पत्ति पर से अधिकार को समाप्त करती थी। इसी प्रकार महिला को निवासगृह के सम्बन्ध में विभाजन की मांग करने से वंचित करने वाली धारा 23 का विलोपन कर दिया गया है।

घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु एक विधेयक संसद द्वारा वर्ष 2005 के मानसून सत्र में पारित किया गया। Protection of Womans from the Domestic Violence Act 2005 नामक इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति सितम्बर 2005 में मिली। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम बिना विवाह के किसी पुरूष के साथ रह रही महिलाएं, विधवाओं तथा अकेले जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को भी

संरक्षण प्रदान करता है। अधिनियम में किसी महिला के उत्पीड़न के लिये दोषी व्यक्ति को एक वर्ष की सजा तथा 20,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिकत सरकार के पास 'परित्यकताओं हेतु गुजारा भत्ता (संशोधन) विधेयक, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक जिसमें 06 वर्ष से चौदह वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिये समय-समय पर कानूनों का प्रणयन किया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बाल-विवाह निषेध अधिनियम 1976, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1984, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986 आदि अनेक अधिनियमों का महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रणयन किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने को अपराध घोषित किया गया है। इसके लिये 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इसी संहिता की धारा 509 में स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द, ध्वनि अथवा अंग विक्षेप किये जाने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसी प्रकार धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। अधिनियम 1959 में महिलाओं के रूप और आकृति को अश्लील ढ़ंग से प्रदर्शित किये जाने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु कई अन्य विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है जिनमें प्रिवेयन ऑफ आफेंसेंज विधेयक 2008, अनिवार्य विवाह पंजीयन विधेयक 2005, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2007, दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2005, अनैतिक व्यापार निरोधक संशोधन विधेयक 2006, परित्यक्तता हेतु गुजारा भत्ता विधेयक 2005 प्रमुख है। प्रिवेंशन ऑफ आफेंसेंज विधेयक 2008 में महिलाओं पर एसिड फेंकने की घटनाओं पर रोंक लगाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के अनुपालन में अनिवार्य विवाह पंजीयन विधेयक 2008 तैयार किया गया है। इसमें विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा किये जाने वाले यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिये विधेयक तैयार किये गये।

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधारने के लिये हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा। इसके

लिये हमें रूढ़िवादी दृष्टिकोण से उबरकर एक नया विकासवादी दृष्टिकोंण अपनाना होगा। महिला अधिकारों के संरक्षण के लिये बनाये गये विभिन्न कानूनों को हमें पूरी ईमानदारी और सक्रियता से लागू करना होगा। इसके साथ-साथ हमें घरेलू तथा सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास करना होगा। शिक्षा के स्तर पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। शिक्षा एक ऐसा कारगर अस्त्र है जो सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे को बदल सकता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के ढ़ांचे में अभी भी कमियां हैं। ठोस तथा यथार्थवादी पहल के द्वारा महिलाओं को एक उत्साहवर्द्धक सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि महिलाओं में अपार क्षमता निहित है। इन्हें सबल और सशक्त बनाकर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। देश के संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था ''यदि महिला शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी तो पूरा घर प्रगतिशील होगा।''

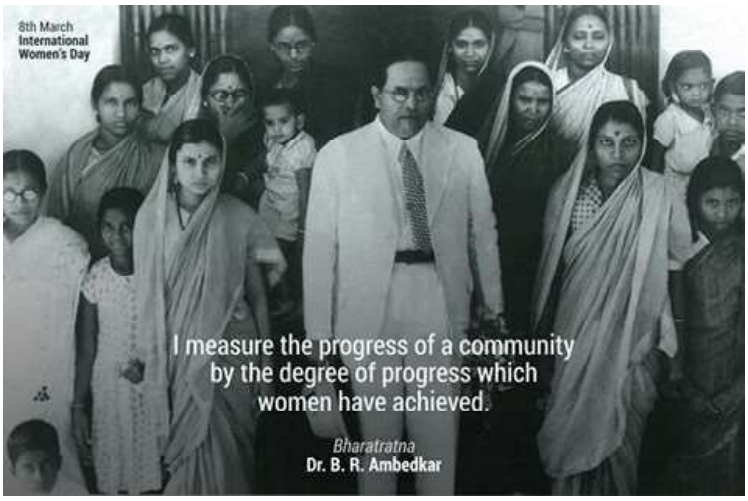

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी यही कथन था कि ''जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।''

परन्तु जहाँ समाज की आधी आबादी को ''व्यक्ति'' का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो, वहाँ उसके साथ ''व्यक्ति'' जैसा व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। नतीजा स्त्रियों को सिर्फ एक ''अवैतनिक श्रमिक'' एवं ''उपभोग की वस्तु'' के रूप में देखा गया। 'मनुष्यता' की अपेक्षा एक मनुष्य के प्रति हो सकती है, एक

वस्तु के प्रति नहीं इसलिये कभी समाज ने उसे 'नगर वधू' बनाया, तो कभी 'देवदासी', कभी 'दुर्गा' बनाया, तो कभी कुलीन मर्यादापूर्ण घर की बहू या फिर बाजार में बिकने वाली वैश्या। पुरूष मानसिकता ने कभी भी उसे एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा।

इसके पीछे की मानसिकता की अब कितनी भी सामाजिक-सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत की जाये, लेकिन सदियों से दासता की जंजीरों में जकड़े स्त्री-समुदाय को अपनी दासता की मानसिकता से बाहर निकलने में अभी भी समय लगेगा। जैसे-जैसे उसका अनुभव प्रत्यक्ष एवं व्यापक होता जायेगा, वैसे-वैसे वह अपने अधिकारों एवं स्वतन्त्रता-समानता के प्रति सचेत होती जायेगी।

स्त्रियों के सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक जगह लिखा है कि- ''वास्तव में स्त्रियाँ जन्म से 'अबला' नहीं होती है, उन्हें अबला बनाया जाता है।''पेशे से डाक्टर तस्लीमा नसरीन ने उदाहरण के साथ इस तथ्य की व्याख्या की है कि जन्म के समय एक ''स्त्री-शिशु'' की जीवनी-शक्ति एक 'पुरूष-शिशु' की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, लेकिन समाज अपनी संस्कृति (रीति-रिवाजों, प्रतिमानों, मूल्यों आदि) एवं जीवन शैली के द्वारा उसे सबला से अबला बनाता है।

महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में आजकल 'जेन्डर' (Gender) एवं 'सेक्स' (Sex) शब्दों के निहित अर्थ को स्पष्ट करते हुये यह व्याख्या प्रस्तुत की जाती है कि 'सेक्स' का सम्बन्ध भौतिक या शारीरिक विशेषताओं से है, जबकि जेन्डर का सम्बन्ध मानसिकता से है। 'सेक्स' का निर्धारण गुणसूत्र (Chromosomes) करते हैं, जिस पर किसी का नियन्त्रण नहीं, जबकि 'जेन्डर' का निर्धारण समाज करता है अर्थात् बचपन से ही स्त्रियों के मन एवं मस्तिष्क में यह बात बैठा दी जाती है कि वह स्त्री है, इसलिये उसे अमुक-अमुक गतिविधियां नहीं करनी चाहिये। एक 20 वर्ष की वयस्क लड़की के शाम को घर से बाहर जाते समय उसका 10 वर्ष का भाई भी साथ जाता है, उसकी रक्षा के लिये। इस तरह की हास्यास्पद गतिविधियाँ सिर्फ मानसिकता का प्रदर्शन करती है। स्त्री मुक्ति आन्दोलन या नारीवाद इस तरह की मानसिकता का विरोध करती है। समाज को अपनी संस्कृति के माध्यम से लोगों का समाजीकरण करते समय उन्हें ऐसे संस्कारों से दूर रखना होगा।

आज 21वीं शताब्दी में लैंगिक न्याय (Gender Justice) की दिशा में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। नारीवादी या नारी मुक्ति आन्दोलन आज 'इको-फेमिनिज्म' की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है, जिसे वन्दना, शिवा तथा मारिया माइस नामक नारीवादियों ने विकसित किया है। इस अवधारणा के तहत यह स्वीकार किया जाता है कि जिस

प्रकार प्रकृति पुनरूत्पादन (re-production) का कार्य करती है, ठीक वही भूमिका स्त्रियों की भी होती है। स्त्री भी पुनरूत्पादन की प्रक्रिया को सम्पन्न करती हैं ऐसी स्थिति में हमें इस सभ्यता एवं संस्कृति के अन्तर्गत सबसे अधिक महत्व स्त्री-समुदाय को देना चाहिये और उसकी पुनरूत्पादन की क्षमता की पूजा करनी चाहिये जो सभ्यता एवं संस्कृति के अस्तित्व के लिये अपरिहार्य है। लेकिन आज हम उसके इसी महान नैसर्गिक वरदान को अभिशाप के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। बलात्कार एक शारीरिक प्रताड़ना से अधिक मानसिक प्रताड़ना है। शुचिता की धारणा को विकसित करके हम उसे उस अपराध-बोध से ग्रसित कर देते हैं, जिसके लिये वह दोषी है ही नहीं। समाज को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, अपने संस्कार बदलने होगें। महिलाओं के प्राप्त नैसर्गिक विशेषताओं का सम्मान करना होगा। स्त्री-पुरूष सम्बन्धों, समानता एवं असमानता के अनेक तत्व ऐसे हैं, जिनका निराकरण होना शेष है। महिलाओं के विकास के लिये महिला सशक्तीकरण एवं स्वावलम्बन अत्यावश्यक है।

मर्द कहते हैं कि
अकेली औरतें महफूज नहीं है.....
ये क्यों नहीं कहते,
किसकी वजह से .....

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने भारतीय रोजगार बाजार में स्त्री-पुरूष असमानता या लैंगिक अन्तर को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक बताते हुये श्रम बल में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया। मुद्राकोष ने इसके लिये बुनियादी ढ़ांचे में निवेश और सामाजिक खर्च बढ़ाने की वकालत की है।

उल्लेखनीय है कि IMF ने हाल ही में एक अध्ययन में कहा था कि श्रमबल में महिलाओं की संख्या को पुरूषों की संख्या के समान किया जाये तो भारत की GDP 27 फीसदी बढ़ सकती है। श्रमबल में स्त्री-पुरूष समानता के सकारात्मक असर के लिहाज से सबसे अधिक फायदा भारत को होगा।

IMF के एशिया ओर प्रशांत विभाग में उपनिदेशक कल्पना कोचर ने कहा ''भारत में स्त्री-पुरूष अन्तर लगभग 50 फीसदी है जबकि ओईसीडी देशों में औसत अन्तर 12 फीसदी है, चूंकि भारत में यह अंतर बड़ा है इसलिये भारत के लिये इसे मिटाने से होने वाला फायदा भी अन्य देशों की तुलना में अधिक होगा।''

देश में (भारत) यह बात अब अच्छी तरह समझी जा रही है कि महिलाओं के आर्थिक विकास का देश के आर्थिक विकास से सीधा नाता है। देश के

आर्थिक संकट का प्रभाव पुरूषों से ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है लेकिन देश के बजट का पुरूषों और महिलाओं पर किस तरह अलग-अलग असर पड़ रहा है, इसे बताने वाली जेण्डर बजटिंग की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और दमदार बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

लैंगिक असमानता दूर करने के लिये पूरी दुनिया में जेण्डर बजटिंग को एक सशक्त माध्यम समझा जाता है। यह महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है। इसके जरिये सरकारी बजट को इस खांचे में फिट करके देखा जाता है कि क्या इसका लाभ पुरूषों और महिलाओं, दोनों तक पहुंच पाया। भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, अवसर आदि मानकों पर वे पीछे रह जाती है। संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच कमतर होने के कारण उन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। प्राईमरी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को ड्रॉपआउट रेट को अलग-अलग देखना होगा। अगर ड्रॉपआउट की दर में बैलेन्स के लिये सरकारी बजट की ओर से कोई विशेष कोशिश होती है तो वह जेंडर बजटिंग का हिस्सा माना जायेगा।

तालिका संख्या-04

लैंगिक प्राथमिकता सूचकांक (भारत)

	1990–91	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
प्राथमिक शिक्षा	0.76	0.95	0.94	0.94	0.98	1.00	1.00
सेकेन्ड्री शिक्षा	0.60	0.79	0.80	0.80	0.85	0.85	0.88
उच्च शिक्षा	0.54	0.71	0.69	9.69	0.70	0.70	0.74

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जेंडर बजटिंग को महज बही-खाते तक सिमटाए रखने की जगह नीतियां बनाने, उन पर अमल करने और दोबारा गौर करने के दौरान इसे लगातार शामिल रखना होगा। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस सिद्धान्त को अच्छी तरह लागू किया जा रहा है। वहां राष्ट्रीय बजट को मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया जाता है और जेंडर बजटिंग इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सारे खर्चों को अलग-अलग बांटकर देखा जाता है कि इसमें कितना हिस्सा महिलाओं को फायदा पहुंचायेगा। बजट के साथ ही जेंडर बजट रिपोर्ट भी पेश की जाती है। भारत में 2001 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जेंडर बजटिंग का जिक्र किया था, फिर मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट में इस मुददे को शामिल किया जाने लगा। जेंडर बजट के प्रकोष्ठ बने हैं। 2005-06 से वित्त

मंत्रालय के बजट सर्कुलर के एक हिस्से के तौर पर जेंडर बजट पर नोट जारी किया जाने लगा। 2013 में राज्यों के लिये रोडमैप की गाइडलाइंस भी जारी की गयी। 16 से ज्यादा राज्यों में इसे अपनाया गया है।

महिला अधिकारों से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत में हर विभाग के जेंडर बजट का डेटा अब भी साफ नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार ने 2017-18 में 31390 करोड़ रूपये उन स्कीमों को दिये जो महिलाओं के लिये थी। परन्तु उक्त रूपयों का कितना खर्च महिलाओं के लिये हुआ इसका विवरण नहीं मिला। यह भी शिकायत है कि जेण्डर बजटिंग के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेन्सी है लेकिन उसे इतने अधिकार नहीं दिये गये कि वह जेंडर बजटिंग को अपने असली रूप में लागू कर सकें। पिछले बजट में मंत्रालय का आवंटन बढ़ा था, लेकिन इस बढ़ोत्तरी को कुछ व्यय का महज 1 फीसदी हिस्सा आंका गया। सभी मंत्रालयों को मिलाकर जेंडर बजट 5 फीसदी होने का अनुमान है। बजट में जो टैक्स छूट दी जाती है, उसमें जेंडर के आधार पर प्राथमिकता देश में बड़ी जरूरत समझी जाती है। प्रॉपर्टी में निवेश पर लैगिंक आधार पर टैक्स छूट मिले तो इससे महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वे आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी।

जेंडर बजटिंग– लैंगिक समानता के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल, जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो-तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है।

भारत के प्रयास– महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive Budgeting-GRB) को अंगीकार किया था। जी0आर0बी0 का उद्देश्य है- राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग सम्बन्धी चिंताओं का समाधान करना।

वर्ष 2005 के बाद से प्रत्येक वर्ष सालाना बजट में एक युक्ति जोड़ी गयी जिसे दो भागों में सूचीबद्ध किया गया है जिनके नाम हैं- भाग A और भाग B। भाग A में महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित ऐसी योजनाओं का उल्लेख होता है जिनमें महिला कल्याण के लिये 100 प्रतिशत आवंटन होता है। वहीं भाग B में वैसी योजनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनमें महिला कल्याण हेतु कम से कम 30 प्रतिशत का आवंटन होता है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के सहयोग से केन्द्र और राज्य स्तर (16

राज्यों ने अब तक जी0आर0बी0 को अंगीकृत किया है) पर जी0आर0बी0 के माध्यम से लैगिंक असमानता को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ज्ञात हो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार जी0आर0बी0 लागू करने वाले राज्यों के स्कूलों में बालिका नामांकन की दर अधिक देखी गयी है।

जी०आर०बी० से सम्बन्धित समस्यायें : उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद प्रत्येक महिला तक जी0आर0बी0 का लाभ सुनिश्चित करने के लिये हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि जी0आर0बी0 के तहत या तो कम राशि का आवंटन हुआ है या सभी वर्षों में यह राशि समान ही रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के आवंटन में उचित वृद्धि नहीं की गयी, वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये लाई गयी योजना के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया। गौरतलब है कि जी0आर0बी0 के तहत आने वाले मंत्रालयों की संख्या भी कम कर दी गय है और महिला कल्याण हेतु होने वाले आवंटन का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

तालिक सं0-05

जेंडर बजट वितरण 2005-06 से 2015-16 (बजट अनुमान) में दर्शाये अनुसार महिलाओं हेतु आवंटन

वर्ष	मंत्रालयों/ विभागों की संख्या	मार्गो की संख्या	जेंडर बजट की कुल मात्रा (बजट का अनुमान करोड़ रू0 में)	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में
2005–06	9	10	14379	2.79
2006–07	18	24	28737	5.09
2007–08	27	33	31178	4.50
2008–09	27	33	27662	3.68
2009–10	28	33	56858	5.57
2010–11	28	33	67750	6.11
2011–12	29	34	78251	6.22
2012–13	29	34	88143	5.91
2013–14	30	35	97134	5.83
2014–15	36	39	98030	5.46
2015–16	35	35	79258	4.46

स्रोत : भारत सरकार महिला और विकास मंत्रालय, जेंडर बजटिंग अक्टूबर 2015

वार डाईग्राम संख्या-06

भारत का जेंडर बजट 2015-16 से 2017-18

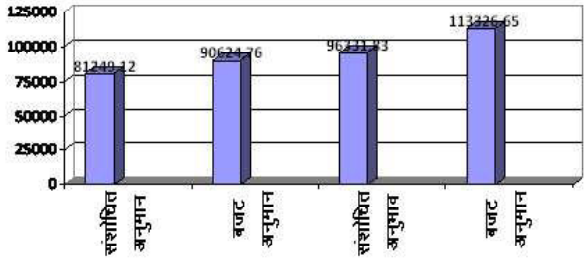

निष्कर्ष–

संवैधानिक सूची के साथ-साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानतायें चलती रहेगी लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी सम्भव है जब पुरूषों की सोच को बदला जाये। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरूष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझें। यहां तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गयी है और पुरूषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही हैं।

इसलिये, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है जहां महिलायें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जहां वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती हैं, जहां वो अपने अधिकारों को पुरूषों की जेब में से निकाल सकती है और इसके लिये उन्हें किसी से पूंछने की भी आवश्यकता नहीं है, जहां वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी सम्पत्ति की स्वयं मालिक बन सकती है और इन सबसे से भी ऊपर उन्हें मध्यकालीन समय से लगाई गयी सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र, आने वाले समय में पुरूषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढ़ने में सक्षम हो जायेगा और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जायेगा।

इस आधुनिक समाज को व लैंगिंक समानता के ख्वाव को पूरा करने में सरकार ने जो जी0आर0बी0 का प्रारूप या तो प्रयास दिखाया है उसको भी धरातल के परिप्रेक्ष्य में लाना और मापना आवश्यक है।

जी0आर0बी0 के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि जी0आर0बी0 को महिला कल्याण के लिये एक प्रतीकात्मक योजना की बजाय एक व्यावहारिक योजना बनाया जाय। गौरतलब है कि अब तक जी0आर0बी0 में केवल वैसी योजनाओं को शामिल किया जाता रहा है जिनके सरोकार सीधे तौर पर महिला कल्याण से जुड़े हुये हैं। ऊर्जा, शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी महिला कल्याण से जोड़ना होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन ये सभी महिला कल्याण को महत्वपूर्ण ढ़ंग से प्रभावित करते हैं।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालांकि जेंडर बजटिंग लैगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिये जी0आर0बी0 के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से मुक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिये जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

दरअसल, लैगिंक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है, फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना हो। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर वजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बन्धनों से मुक्त किया जा सकता है।

अपने कर्तव्यों संग, अब नारी भर रही है उड़ान।
ना है कोई शिकायत न है कोई थकान, यही है नारी की पहचान।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. दैनिक समाचार पत्र एवं समसामयिक पत्रिकाएं।
2. कुरूक्षेत्र एवं मौजूद ग्रामीण सकरार, दिसम्बर 2009
3. कुरूक्षेत्र एवं मौजूद ग्रामीण भारत सरकार, जून 2011
4. इण्डिया टुडे आउट लुक
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकारिक बेवसाईट ूण्उचूमकण्पद
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 भारत सरकार
7. महिलाओं की स्थिति, क्रानिकल
8. क्रानिकल 2005, भारत की सामाजिक समस्यायें

महिला सशक्तिकरण
(शहडोल जिले के विशेष सन्दर्भ में)

* पाकीज़ा खातून

भूमिका– प्राचीनकाल से ही भारतीय नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्य,समाज,विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में नारी की पूर्ण सहभागिता रही है। समाज के निर्माण एवं विकास में नारी का योगदान सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता रहा है। वस्तुतः नारी के बिना हम एक सम्पूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। विभिन्न कालों में भारतीय नारी की स्थिति में परिवर्तन होते रहें है। आदिकालीन भारत में सीता,पार्वती,लक्ष्मी,दुर्गा आदि एवं वैदककालीन नारियों में अदिति,उषा शची,लोपामुद्रा,उर्वषी तथा उपनिषदकालीन नारियों में कात्यायनी, मैत्रेयी, सुलभा एवं गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं अपने ज्ञान एवं प्रतिभा से भारतीय समाज को अलोकित किया है। इनकी स्थिति एंव छवि का निरूपण परिवर्तनशील समाज में परिलक्षित हुआ है। देश में आजादी के बाद महिलाओं की शिक्षा एवं विकास हेतु सरकार द्वारा अनवरत प्रयास किये गये। आज 21 वीं सदी में देश की आधी अवादी महिला शक्ति सामाजिक, अर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में विकास की गाथा लिख रही हैं। भारतीय संविधान ,द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये गये है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा महिलाओं के सम्पूर्ण विकास से संबंधित है। जिसके द्वारा महिलायें समाज में गरिमापूर्ण,न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें तथा समाज के विकास में सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सकें।

विषय प्रवेश– भारत एक विशाल एवं विविधताओं से युक्त राष्ट्र है। भारत में कई राज्य है। इन राज्यों में से एक मध्यप्रदेश,जिसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्यप्रदेश का शहडोल जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है,जहॉ कई धर्म एवं सम्प्रदायों को मानने वाले निवास करतें है। देश में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से शहडोल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार विद्युत एवं ग्रामीण विकास है। जिला महिला विकास की ओर अग्रसर है।

==========

* अध्यापिका,सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल, शहडोल(म.प्र.)

जनसंख्या– चीन के बाद भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। सर्वविदित है कि जनसंख्या की अधिकता एवं न्यूनता दोनों ही स्थिति राष्ट्र के विकास में बाधक होती है।

भारत में उदारीकरण के पश्चात् महिलाओं के विकास में तीव्र गति से सुधार हो रहा है।

सारणी - 1

शहडोल जिला - जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण (2011) के अनुसार

वर्ष	क्षेत्रफल	घनत्व	शहडोल		शिक्षित	अशिक्षित
			पुरूष	महिला		
1991	5642	137	398953	373236	772189	48.33 प्रतिषात
2001	5642	161	464784	443364	908148	48.82 प्रतिषात
2011	5642	189	540021	526042	1066063	49.34 प्रतिषात

उपर्युक्त आंकडों से विदित होता है की विगत वर्षो में जिले में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्वि हुई है। 1991 की जनगणना में पुरूष आबादी में महिला अनुपात 48.33 प्रतिशत था जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 48.82 एवं 2011 में यह अनुपात 49.34 प्रतिशत हुआ है। भारत में उदारीकरण के बाद शिक्षा के बढ़ते स्तर, नवीन सुचनाओं का संग्रह, तकनीकी प्रगति,भारी मशीनों का निर्माण आदि से देश में एक नई क्रान्ति का सुत्रपात हुआ इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में वृद्वि तथा कार्यशील आवादी की संख्या में तेजी से वृद्वि हुई।

सारणी - 2

शहडोल जिले में कार्यशील एवं गैर-कार्यशील जनसंख्या-2016

कृषक		खेतिहर मजदूर		परिवारिक उद्योग		अन्य कार्यगील		सीमान्त कार्यगील		कुल जनसंख्या का प्रतिषत		योग
पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	
46805	16442	48508	34551	5196	2159	69791	17359	122102	130144	54.15	38.14	46.25

सारणी 2 से स्पष्ट है कि शहडोल जिले में कार्यशील जनसंख्या असंगठित है। जिले में अधिकांश आबादी कृषि,मजदूरी,लघु एंव कुटीर उद्योग तथा परिवारिक उद्योंगो में नियोजित है जिले में 46.25 लोग कार्यशील है।

शिक्षा –

" विद्या ददाति विनयं,विनयाद याति पात्रताम्।।

पात्रत्वाद धनमाप्नोति,धनाद् धर्मः ततः सुखम्।।

जिले में महिलाओं की शिक्षा एवं विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित है। महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने तथा महिला शिक्षा पर जोर देने के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले में महिला साक्षरता जो 1991 में 39.29 प्रतिशत थी वह 2001 में 54.16 प्रतिशत और 2011 में बढ़कर 64.6

प्रतिशत हो गई।

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या विगत वर्षों में वढ़ी है। 2001 में देश में महिला साक्षरता दर 54 प्रतिशत थी। 2011 में यह बढ़कर 64.6 प्रतिशत हो गई। दशकीय वृद्वि दर (2001-11) दस प्रतिशत से अधिक थी।

सारणी -3

शहडोल जिले में साक्षरता

वर्ष	पुरूष	महिला	कुल
1991	48.93	20.93	35.45
2001	70.34	44.17	57.59
2011	64.58	48.56	56.68

सारणी - 4

ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता

वर्ष	ग्रामीण साक्षरता			नगरीय साक्षरता		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1991	40.54	12.91	26.99	76.12	50.13	64.24
2001	64.96	36.82	51.11	87.34	69.39	78.87
2011	60.72	43.74	52.30	79.10	67.60	73.54

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में महिला साक्षरता में वृध्दि हो रही है वर्ष 1991 में जनगणना में महिला साक्षरता 20.93 प्रतिशत, पुरूष 48.93 प्रतिशत थी (कुल 35.45 प्रतिशत),2001 में महिला साक्षरता 44.17 प्रतिशत,पुरूष साक्षरता 70.34 प्रतिशत (कुल 57.59 प्रतिशत) थी। एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 48.56 प्रतिशत और पुरूष साक्षरता 64.58 प्रतिशत (कुल 56.68 प्रतिशत)। महिला साक्षरता में वृध्दि होना, शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का परिचायक है।

राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहें है।

स्वास्थ्य– केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत महिला स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए,विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एन.एच.पी.) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा अंगीकृत कार्यनीति का मार्गदर्शन करती है। वर्ष 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से (एन.एच.पी.) 2002 का उदय हुआ है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता,स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रामीण,शहरी इलाकों का अन्तर को कम करना एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत असमान पहुँच को

कम करना शामिल है।

शहडोल जिले में स्वास्थ्य,सुविधाओं में निरन्तर विकास हो रहा है। वर्ष 2011-12 में जिले में 9 एलोपैथिक चिकित्सालय,29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,194 उपस्वास्थ्य केन्द्र थे। वहीं 2016 में इनकी संख्या में कोई परिर्वतन नहीं हुआ। परन्तु एलोपैथिक एवं आयुर्वैदिक चिकित्सालय की कमी जिले में बनीं हुई है। वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी 66 थे। वर्ष 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। इसी तरह 2011 में जिले में 67 नर्स थी, वही 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 501 हो गई,वर्ष 2011-12 में कम्पाउण्डर 30 एवं अन्य स्टाफ 239 थे वहीं 2015-16 में इनकी संख्या क्रमशः 25 एवं 350 हो गई जो निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी - 5

जिला शहडोल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (31 मार्च 2016 की स्थिति)

वर्ष	चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप–स्वास्थ्य केन्द्र	स्वास्थ्य अधिकारी	नर्स	कंपाउण्डर
2011–12	66	29	194	28	67	30
2012–13	69	29	194	43	425	24
2013–14	71	29	194	35	437	24
2014–15	75	29	194	56	471	25
2015–16	71	29	194	46	501	25

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरन्तर सुधार हो रहा है। आगामी समय में इसमें और भी सुधार किए जाने की संभावनाएँ हैं।

रोजगार–

शहडोल जिले में रोजगार के व्यापक अवसर है,शहडोल जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जिला है। यहाँ पर बहुमूल्य धातुएँ,वनोपज एवं खनिज भण्डार है। जिले में कोयले की कई खाने हैं,जहाँ उत्कृष्ट एवं संवर्धित कोयला पाया जाता है। वर्ष 2013-14 में 6338 व्यक्ति रोजगार में पंजीकृत थे,जो 2014-15 में बढ़कर 6935 हो गई। इससे यह ईंगित होता है कि जिले में श्रम एवं रोजगार में वृद्वि हुई है।

जिले में कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता दोनों ही दृष्टियों में पुरूषों एवं महिलाओं में कार्य सहभागिता दर असमान है। जिले में महिलाएँ मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी, घरेलू कार्य, वनोपज संग्रह एवं तेंदू पत्ता संग्रहण रोजगार प्राप्त है। पुरूष मुख्य रूप से खान, विद्युत, कारखाना में श्रमरत है। सरकार द्वारा कन्या शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं सरकारी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जिले की शिक्षित महिलाएँ विभिन्न

सरकारी विभागों में कार्यरत है। उच्च शिक्षा हेतु कन्याओं के लिए विभिन्न योजनाएँ वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है तथा आगामी दिनों में अन्य विभागों में भी इनकी सहभागिता बढ़ेगी है।

सारणी - 6

शहडोल जिले में रोजगार

वर्ष	राजपत्रित		अराजपत्रित		योग
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	
2010–11	113	454	5034	1171	6772
2011–12	113	554	5034	1171	6772
2012–13	110	471	4801	1158	6540
2013–14	78	458	4711	1091	6338
2014–15	75	467	5214	1179	6935
2015–16	79	460	4956	1109	6604

उक्त सारणी से यह विदित होता है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में 2015-16 की स्थिति में जिले में श्रम एवं रोजगार में गुणात्मक वृद्धि हो रही है,जिससे पुरूष एवं महिलाओं की परस्पर सहभागिता है।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनॉए चलायी जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से महिलाओं के शैक्षिक,आर्थिक,राजनैतिक,सामाजिक क्षेत्रों में सतत् विकास परिलक्षित हुआ है और सरकारी प्रयासों का ही ये परिणाम है कि वर्तमान समय में महिला विकास एवं सशक्तिकरण एक वैश्विक परिदृश्य में दिखाई देता है।

सरकार द्वारा महिला विकास हेतु प्रमुख योजनायें निम्नानुसार है-

महिला विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष	उद्देश्य	ग्रामीण–शहरी
01.	पंचधारा	1991	ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के विकास हेतु पॉच योजनाओं का संचालन।	
02.	वात्सल्य	1991	प्रसव काल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधॉए प्रदान करना।	• लाड़ली लक्ष्मी योजना। • उज्ज्वला योजना। •सुकन्या योजना। • बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना। • दीनदयाल अन्त्योदय योजना। • प्रधानमंत्री आवास योजना।
03.	ग्राम्य योजना	1991	ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय प्रारंभ करने वाले (हेतु) कार्यशील पूँजी प्रदान करना।	
04.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1991	निराक्षित विधावाओं के लिए पेंशन प्रदान करना।	
05.	आयुष्मति योजना	1991	अतिनिर्धन महिलाओं के अस्वस्थ्य होने पर इलाज तथा पौष्टिक आहार का प्रबंध करना	
06.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2006	गरीब एवं जरूरतमंद/निशक्त, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य /विधवा/परित्याक्ता के विवाह हेतु रू.9000 प्रदान करना।	
07.	गॉव की बेटी योजना	2006	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।	

* 22 जनवरी 2015 को पानीपत (हरियाणा) में बालिकाओं के संरक्षण एवं

शिक्षा हेतु " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना " को केन्द्र सरकार ने प्रारंभ किया।

* अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर स्कीम प्रारंभ की गयी टोल फ्री नम्बर 181 बलात्कार,यौन हिंसा,आदि से सुरक्षा हेतु 1 अप्रैल 2017 से कामकाजी " महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ संशोधित अधिनियम " लागू किया गया।

महिलाओं के समग्र विकास एवं उनको राष्ट्र के विकास एवं समाज के दोयम दर्जे की स्थिति से निकालने, सम्मानजनक जीवन जीने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने शिक्षण एवं प्रशिक्षण में दक्ष बनाने की आवश्यकता वर्तमान समय में है।

सरकारी योजनाओं का योगदान समाज में महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता,राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिबद्धता के कारण महिला विकास में आशातीत प्रगति हो रही है। परन्तु महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की दर, घरेलू हिंसा एवं समाज की कुंठित मानसिकता के कारण वांछित सफलता नहीं मिल सकी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला विकास हेतु न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, अपितु समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान एवं संवेदना के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को महिला अधिकारों के प्रति सजग एवं सक्रिय रहना होगा।

''नारी बिन यह संसार अधूरा है
नारी ही इस,जीवन का आधार है
इसे पढ़ाएँ, इसे बढ़ाये
ये राष्ट्र कर्णधार हैं।"

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. करूक्षेत्रः- प्रकाशन विभाग,जून-2018
2. एस.अखिलेश-भारतीय नारी :कल और आज, गायत्री पब्लिकेशन रीवा।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका-2016 जिला-शहड़ोल।

महिला सशक्तिकरण पत्रकारिता एवं स्त्री विमर्श

* डॉ. शशिकिरण नायक
** डॉ. रोहिणी त्रिपाठी

भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ने जहॉ महिला सशक्तिकरण पर बल दिया है वहीं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ने इसे वर्तमान समय की आवश्यकता बताया है। '' विभिन्न उपाय महिला को आर्थिक स्वाबलंबन में मदद पहुॅचायेंगे तथा उनकी अधिकारिता में योगदान करेंगे। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अन्य क्षेत्रों में उनकी क्षमता में वृद्वि तथा जीवन में सामाजिक सुधार प्रदान करता है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महिला की कमजोर स्थिति को बताती है। माना जाता है कि महिला शारीरिक रूप से पुरूषों की तुलना में अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है पर विभिन्न परम्पराओं जैसे- दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि ने महिलाओं की स्थिति खराब कर दी हैं। महिला को कभी देवी के रूप में पूजा गया तो कभी उसे प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी गई। उसे पुरूष के सामने मनुष्य रूप में नही देखा गया। धीरे-धीरे वह पराधीन एवं कमजोर हो घर की चहारदीवारी में सिमट कर रह गई। उसकी स्वतन्त्रता और समानता खत्म हो गई।

वैदिक युग में महिलायें कुल देवी के रूप में सम्मानित थी पर मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के करण पर्दा, बाल विवाह, सती प्रथा ने महिलाओं को शोषण रूपी जंजीर में बांध लिया। इस स्थिति में महिला मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हो दोयम दर्जे में पहुॅच गई। इस स्थिति को बदलने हेतु स्वतंत्रता के बाद अनेक उपाय हुए पर सफल नही हो पाये। महिला सशक्तिरण आज की मुख्य आवश्यकता है।

केवल सशक्तिकरण महिलाओं को पुरूषों की बराबरी के स्तर पर नहीं ला सकता, मुख्य आवश्यकता है महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की।

==========

* प्राध्यापक, शासकीय सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
** भोपाल (म.प्र.)

महिला सशक्तिकरण पर एन.पी.ई.- 1986 तथा 1992 में भी यह सिफारिश की गई थी कि महिला सशक्तिकरण एवं स्त्री विमर्श निम्न तरीकों से लाया जा सकता है -

1. महिलाओं में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाकर।
2. महिलाओं का स्वरूप सकारात्मक करते हुए समाज, राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में उनके योगदान की स्वीकार करते हए।
3. विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ाते हुए।
4. निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहन देकर तथा सामूहिक प्रक्रिया में कार्यशीलता में वृद्वि कर।
5. विकास की प्रक्रिया में बराबरी की सहभागिता लाकर।
6. आर्थिक स्वतंत्रता जानकारी, ज्ञान तथा कुशलता बढ़ाकर।
7. सभी क्षेत्रों में बराबरी लाने के लिए तथा योग्यता बढ़ाने के लिए, न्यायिक ज्ञान तथा अपने अधिकारों से संबंधित हस्तक्षेप बढ़ाकर।

महिलाओं को स्वतंत्र एवं सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण तथा लम्बे समय तक चलने वाला सामाजिक आंदोलन है- यद्यपि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की जीवन शैली को सुधारना है तथापि इसकी प्रशाखाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिचय के साथ जुड़ी हैं चूंकि पत्रकारिता की जन-जन तक गहरी पैठ है इस प्रकार का आंदोलन, उपेक्षित एवं हाशिए पर लाई गई स्थिति मे रह रहीं महिलाओं का भले ही जिस हद तक हो सके, समर्थन करने में सहायक हो सकता है। यह बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि महिला को भारत में प्रदत्त बहुत ही सम्मान जनक पौराणिक स्थिति से अब कैसे यह निचले दर्जे की स्थिति में पहुँचा दिया गया है। शासक, उच्च स्वार्थी तत्वों ने उच्च समाज एवं पुरूष वर्ग ने विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर महिला को एक महत्वहीन व्यक्ति के रूप में ला दिया है। ऐसा कहना विरोधाभासी होगा कि महिला को शक्ति का रूप माना जाता है किन्तु वास्तविकता यह है उसकी स्थिति, कई मामलों में असहाय एवं निर्बल की है तथा उसका अस्तित्व केवल एक पत्नी एवं माँ के रूप में है जिसकी निर्णय लेने एवं विकल्प चुनने में कोई भूमिका नहीं मानी जाती। महिलाओं के लिए पक्षपात एवं शोषण की समस्या तो पूरे विश्व में है किन्तु दुनिया के कई विकासशील देशों में जहां अज्ञान है तथा जहां वे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं, वहां समस्या अधिक है। जहां जीवन की आवश्यकताओं का अभाव, पारम्परिकता से आधुनिकता की ओर आना जैसी बातें, जिनसे महिलाएं पीड़ित है आदि समस्याओं की बढ़ा देती हैं तथा अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बाध यकर देती हैं। ''महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने से महिला और पुरूषों के

बीच का अंतर घट सकता है तथा उनकी जीवन शैली में सुधार आ सकता हैं।'' (नवम्बर 16, 2008 को नेशलन प्रेस दिवस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जस्टिस जी. एन. रे. अध्यक्ष प्रेस कौसिल ऑफ इण्डिया द्वारा विज्ञान भवन में ये विचार व्यक्त किए गए थे।)

महिलाए अपने विचार पूर्णत: व्यक्त नहीं कर सकती हैं तथा जो कुछ कहना चाहतीं है वह कह भी नहीं सकती हैं क्योंकि वे सामाजिक नियंत्रण एवं सुरक्षा सीमा में घिरी रहती हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां अनिश्चित शर्तो में बधी रहती हैं। यह उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता में बाधक बनती हैं। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं की भारत में स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है। साथ ही इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया जाना जरूरी है।

डॉ अजिता गुप्ता कहती हैं कि '' पुरातन काल मे नारी -विमर्श के स्थान पर पुरूष विमर्श, पुरूष को संस्कारित करने के लिये स्थापित किया गया। हमारे चिंतकों ने समाज की मर्यादा को सर्वोपरि माना और उसके स्वच्छ, धवल स्वरूप की स्थापना के लिये सतत प्रयास किये। सुधार कहॉ किया जाना चाहिये, इस पर चिंतन किया और चिंतन से सुधार हुआ भी। अत: कल तक पुरूष- विमर्श आज नारी विमर्श में तब्दील हो गया है और नारी की पीड़ा कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही है।'' कुल मिलाकर आधी दुनिया का सच तो यह है कि नारी एक ओर जगतजननी के रूप में दिखाई देती है, तो कभी रति-स्वरूपा। जगतजननी और रति स्वरूपा का संघर्ष आज का नहीं है, यह सदियों पुराना है।

आजकल महिलाओं को जिस रूप में समाचार पत्रों तथा टेलीविजन में दशार्या जाता है वह पूर्वाग्रह के साथ होता है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि स्त्री को कामुकता की वस्तु के रूप में घिसे पिटे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अभियुक्त विज्ञापनकर्ता होते है। मेक ब्राइड कमीशन के अनुसार विकसित तथा विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका के प्रति लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि महिलाओं को अपना व्यक्तित्व निखारने में विशिष्ट योगदान करते दिखाया गया हो। भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वेक्षण यह बतलाया है कि 46 महिलाएं जिन्होंने फिल्म में भूमिकाएं की हैं उनमें से केवल 12 की ही नियुक्ति हुई थी जिनमें से 9 को पारम्परिक महिलाओं के कार्य के लिए रखा गया था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मीडिया में महिलाओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, महिलाओं के संबंध में गतिविधियों तथा उनके द्वारा समाज में किए गए योगदान को उचित रूप से प्रकाश में नहीं लाया जाता है। महिला संगठनों ने महिलाओं की समस्याओं को सामने लाकर तथा उसके

दोषियों के अपराधों को जनता के सामने लाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस विषय पर उन्होंने न्यायपालिका में भी अपनी बात पहुंचाई है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता में औपचारिकता ही निभाई जा रही है। अभी आगे बहुत सुधार करने की आवश्यकता होगी।

पत्रकारिता में महिलाओं के योगदान के संबंध में भी अब विचार करना आवश्यक होगा। पत्रकारिता में पहली ज्ञात पत्रकार हेमन्त कुमारी देवी थीं, जिन्होंने '' सुगृहिणी'' नाम की पत्रिका सन् 1888 में इलाहाबाद से प्रकाशित की। इसके अगले वर्ष ही, उसी स्थान से '' भारती भगिनी'' महिलाओं के लिए पत्रिका का प्रकाशन हरिदेवी द्वारा किया गया। ऐसा बहुत कम प्राचीन साहित्य है जिसमें महिलाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य हो जिसमें तारीख आदि का उल्लेख उपलब्ध हो। ऐसा साहित्य मुम्बई, दिल्ली आदि स्थानों से ही प्रकाशित हुआ होगा ऐसा अध्ययन में पाया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह पाया गया है कि सबसे पहले मुम्बई से ही पत्रकारिता का मार्ग महिलाओं के लिए खुला था। सबसे पहली महिला '' इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया'' के प्रकाशन विभाग में कार्य करने वाली महिला संभवतः होसी व्यारावला थी, जिसने 1930 के दशक में पत्रकारिता में पदार्पण किया। यह महिला पहली न्यूज फोटोग्राफर भी थी। अधिकांश महिलाएं जिन्होंने पत्रकारिता में अपना स्थान बनाया, सामाजिक आर्थिक रूप से सभ्रांत पृष्ठभूमि से थीं। महिला अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पत्रकारिता में अपनी भागीदारी बढ़ाई। यह वर्ष 1970 की बात है। '' युनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल महिला वर्ष 1975 से अनेक महिलाएं पत्रकारिता से जुड़ी। इसमें दहेज विरोध और महिला सशक्तिकरण का विषय भी प्रमुख रूप में आया।

''वीमेन एण्ड मीडिया '' पर प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया तथा सुनन्दा भन्डोर फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में सन् 1996 में नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में कुछ निम्नानुसार सुझाव दिए गए -

1. सभी वर्ग की तथा सभी क्षेत्रों की महिलाओं को पत्रकारिता में लाया जाना चाहिए। उन्हें इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए जिससे कि पत्रकारिता में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।
2. महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय उनके कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष प्रयत्न करे।

3. महिला पत्रकारों को काम करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए तथा शारीरिक शोषण करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए। मीडिया तथा पत्रकारिता को उस भाषा में ढालना चाहिए जिस भाषा को संबंधित महिला वर्ग जानता हो।
4. महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए जिससे कि वे किसी भी स्थान पर तथा किसी भी समय सुरक्षित रूप से कार्य कर सकें।

पत्रकारिता में प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के संबंध में आई.डब्ल्यू. एम.एफ. ने 1998 में मनीला में एक कान्फ्रेंस की थीं। इसमें '' एम्पावरिंग वीमेन दि एश्यिन मीडिया'' विषय पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा निम्नानुसार विचार व्यक्त किए थे -

* महिला पत्रकारों को अन्य महिला पत्रकारों को सहयोग देना चाहिए, महिला साथियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
* कार्यालय में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना चाहिए।
* विशिष्ट प्रकार से नेतृत्व क्षमता बढ़ाना चाहिए।
* लिंग संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए
* पुरूष पत्रकारों एवं परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए।
* पत्रकारिता कम्पनियों को कार्यक्षेत्र के संबंध में तथा परिवार के सदस्यों के संबंध में नीतियां तैयार करना चाहिए।
* कार्य में लचीलापन लाने के लिए तकनीकों का सहयोग लेना चाहिए।
* नेतृत्व क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
* कार्यों की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए।
* योग्यता के आधार पर पदोन्नति होना चाहिए।
* पत्रकारिता की संस्थाओं को पत्रकारिता के लिए अभियान चलाना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिए।

मीडिया और हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 'बदलती हुई स्त्री छवि' का उत्तर आधुनिक विश्लेषण करते हुए डॉ, सुधीश पचौरी का मानना है कि ''मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे जुड़े बाजार, बहुराष्ट्रीय निगमों और इस सबके पीछे ईश्वर की तरह सर्वशक्तिमान नए पूँजीवाद ने स्त्री की गोपनीयता को उघाड़कर बेपर्दा कर दिया है। स्त्री उपमानों की कैद से निकल नाना रूपों में साक्षात् हमारे समक्ष उपस्थित होने लगी है। वह हर वक्त है, हर जगह है। लगभग उतनी ही होने को है जितना कि पुरूष सर्वत्र उपलब्ध है। पुरूष जगत में इतनी 'स्त्री' और इसकी 'छवि' के आने से हड़कम्प है। स्त्री की नित नई छवि उसे चिढ़ाती है क्योंकि वह उसके उपमानों, उसके विचारों की कैद से न केवल निकली

जा रही है, बल्कि उसे मुँह भी चिढ़ाती है, मुकाबला भी करती है। समकालीन जगत की समूची सांस्कृतिक बहसों की जड़ में कहीं न कहीं कैद से आजाद होती हुई 'स्त्री छवि' ही है।''

नया मानदंड (स्त्री विमर्श -खंड 1) के अतिथि संपादक डॉ. कमल कुमार नारीवाद के बारे में लिखते हैं कि- ''नारीवाद का मूल उद्देश्य स्त्री की चुप्पी और सनातनी सोच को तोड़ना था। उसके अनुभवों को अभिव्यक्ति देना था। स्त्री जीवन के विविध प्रसंगों पर विचार, तर्क एवं बुद्वि से सोचना समझना चाहिए।'' पिता की चिता को मुखाग्नि देने का कार्य हमारे समाज में पुरूष का अधिकार है लेकिन नारी विमर्श के फलस्वरूप आजकल यह अधिकार पुत्री भी जता रही है। स्त्री का यह व्यवहार नारी विमर्श का परिचायक है। इसमें बेटी और बेटे को लेकर चली आ रही मान्यताओं का पर्दाफाश है जिसे स्त्री विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू मानना होगा। बेटी की माँ बनने पर आज की स्त्री प्रश्न करती है -बेटे जनने पर मिठाइयां, बेटियां जनने पर मातम क्यों ? यह व्यवहार स्त्री को प्रतिष्ठा देने के लिए महत्वपूर्ण है जिसे स्त्री विमर्श का प्रभाव ही मानना होगा।

स्त्री-वर्ग से जुड़ी एक समस्या है बलात्कार की। बलात्कार से पीड़ित महिला को साथ देती अन्य महिलाओं को प्रतिकूल माहौल में अनेक मुसीबतों को सामना करना पडता है, लेकिन वे चुप नहीं बैठती। लोगों का साथ न मिलने के कारण उसका मन निराश जरूर होता है लेकिन फिर भी उनका निराश मन कहता है कि औरतें तब तक रहेंगी तब तक बलात्कार होगा, इतना जरूर है कि स्त्री लड़लड़कर हारेगी, हार हार कर जीतेगी या नहीं मगर लड़ती रहेगी। हमारे समाज में अत्याचारी पुरूष के साथ लड़ने के लिए जब कोई नारी सामने आती है तब कई मामलों में अत्याचारी नारी भी उसका साथ छोड़ने को विवश हो जाती है। स्त्री विमर्श की हिमायत करने वाली नारियों के लिए ऐसी स्थितियां दुखद होती है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. डॉ. अजिता गुप्ता, महिला सशक्तिकरण एवं विमर्श।
2. भागवती स्वामी एवं सविता किशोर, महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे?
3. आभा वैश्या एवं कमला भसीन, महिला विकास के आयाम।
4. मेहता एवं चेतन सिंह, महिला एवं कानून।

आजादी के पश्चात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

* कोमल पाण्डेय
** डॉ. उर्मिला शर्मा

महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांच कारण हैं-

* महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना
* महिलाओं को उनके अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता
* समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार
* घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं को अधिकार
* अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की

==========

* शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

महिलाओं की क्षमता।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं के मूल मानवाधिकारों की मान्यता और पुरुषों की बराबरी के रूप में मानने के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति-सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदहारण भी हैं लेकिन मनु का प्रसिद्ध ग्रंथ, मनुस्मृति, आने के बाद महिलाएं पुरुषों के अधीनस्थ स्थिति में हो गई।

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आधुनिक अवधारणा से प्रभावित राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं के खिलाफ प्रचलित भेदभाव संबंधी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया। अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिशों को सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि जैसे कई अन्य सामाजिक सुधारकों ने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उदाहरण के लिए 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवाओं की दशा में सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आंदोलन का परिणाम था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली महिला प्रतिनिधिमंडल का समर्थन किया जिसने 1917 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए राज्य के सचिव से मुलाकात की। 1929 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों के कारण पारित हुआ। महात्मा गांधी ने युवाओं से बाल विधवा से शादी करने के अनुरोध के साथ बाल विवाह बहिष्कार करने के लिए भी लोगों से आग्रह किया। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लगभग सभी नेताओं का मानना था कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसा होने

के लिए भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना सबसे उपयुक्त माना जाता था जो पुरानी शोषण प्रथाओं और परंपराओं को दूर करने में सहायता करेगा और ऐसे प्रावधान भी करेगा जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

भारत के संविधान निर्माता और हमारे राष्ट्रपिता दोनों महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और अन्य संवैधानिक प्रावधान कई तरह के विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीतिक दलों में महिलाओं की स्थिति, उन अवसरों व अवरोधों को प्रतिबिम्बित करती है, जो हमारे लोकतंत्र के परिचायक हैं। अनेक सामाजिक आंदोलनों और गैर-सरकारी संगठनों में प्रगतिगामी भारतीय समाज हेतु, महिलाओं ने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया है। यद्यपि विवादास्पद, लेकिन भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में श्रीमती इंदिरा गांधी की गणना की जाती है। उनकी पुत्रवधु सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही हैं, तो चार बार उ0 प्र0 की कमान सँभाल चुकी सुश्री मायावती सहित, अनेक प्रभावशाली महिलाओं ने देश के अन्दर विभिन्न राज्यों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करायी है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज लागू होने के बाद हजारों महिलाओं ने अपनी सशक्त भूमिका से जनमानस को अवगत कराया है। इतना ही नहीं, 90 के दशक के प्रारम्भ में बहुदलीय व्यवस्था के विकास के साथ ही राजनीतिक दलों में महिलाओं के चुनावी समर्थन के प्रति ललक बढ़ी है। इन सबके बावजूद अधिकांश महिलायें इस स्थिति में नहीं हैं कि, राजनीतिक दलों के भीतर तथा राज्यों में अपनी वाजिब भूमिका का निर्वहन कर सकें। सत्ता तक महिलाओं की पहुँच आज भी उनके पुरुष सम्बन्धियों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रायः अप्रत्यक्ष व सांकेतिक होता है। सत्ता के उच्चतर पायदानों तक महिलाओं की सहज पहुँच के लिये आवश्यक संजालों व संसाधनों से राजनीतिक दलों ने उन्हें प्रायः वंचित ही कर रखा है। लोकसभा में जदयू सांसद मीना सिंह को जब सवाल नहीं पूछने दिया गया तो वे फफक कर रो पड़ीं थी। यह सच है कि पिछले दो-तीन दशकों में यूरोप के देशों की तरह हमारे देश में भी महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में आगे आयीं हैं। वे घरों से बाहर निकलीं हैं। उनमें

एक नया आत्मविश्वास जागा है और उन्होंने हर काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमारे सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में अब महिलायें काम-काज करती दिखायी देती हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पहले केवल पुरूषों का वर्चस्व था, अब वहाँ महिलाओं की मौजूदगी हमें चौंकाती नहीं है। इन नयी स्थितियों के चलते घरों मे भी स्त्री की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। देवी के शास्त्रोक्त दर्जे से वह भले ही नीचे उतार दी गयी हो पर व्यक्ति के रूप में उसके व्यक्तित्व में पहले की तुलना में निखार आया है और व्यावहारिक दृष्टि से वह ज्यादा आभावान बनी है। समाज के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति के मैदान में भी महिलाओं ने अपनी सशक्त पहचान बनायी है। लेकिन यह वस्तुस्थिति का शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष ज्यादा भयावह व चिंता पैदा करने वाला है। हमारा देश या समाज जैसे-जैसे विकास के पथ पर गतिमान हो रहा है, वैसे-वैसे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। आये दिन यदि हम समाचार माध्यमो पर नजर डालें तो यह बताने की आवश्यकता नहीं कि, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हमारे जीवन का एक आम हिस्सा हो गये हैं। यह भी एक तथ्य है कि जितनी स्त्रियाँ बलात्कार, दहेज व अन्य मानसिक व शारीरिक अत्याचारों से सताई जाती हैं, उनसे कहीं अधिक तो जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं। वाणी व विचार में स्त्री को देवी का दर्जा देने वाले किंतु व्यवहार में उसके प्रति हर स्तर पर घोर भेद-भाव बरतने और उस पर अमानुषिक अत्याचार करने वाले हमारे समाज की आधुनिक तकनीक के सहारे की जाने वाली यह चरम बर्बरता है। आज महिलायें जिन दुश्वारियों का सामना कर रही हैं, उन्हें उनसे निजात तभी मिल सकती है जब सही अर्थों में उनके जीवन के हर क्षेत्र में सशक्तिकरण हो। यों तो उन्हें सशक्त करने की दिशा में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कानूनी पक्ष प्रबल दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तो उसका सुरत-ए-हाल बयां करते ही हैं, विधायिका में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिये बना विधेयक डेढ़ दशक से अधर में लटका हुआ है। हमारे राजनीतिक दलों की भूमिका वास्तव में इस संदर्भ मे विश्लेषण योग्य है।

इस संदर्भ में पहला प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में उभरता है, वह है-वे कौन से कारक या निर्धारक तत्व हैं जो किसी राजनीतिक दल में महिलाओं के प्रवेश तथा दल में उनके सातत्य, उनकी स्थापना व उनकी पदोन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एतदर्थ किस हद तक दक्षिणवर्ती व वामपंथियों और मध्यवर्ती, राष्ट्रीय दलों या क्षेत्रीय दलों में व्यवस्थित अंतर है? सतारूढ़ व विपक्षी राजनीतिक दलों के रुख में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन देने को लेकर

मतभेद कितने महत्वपूर्ण हैं? दलों के भीतर ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की व्यवस्था कितनी प्रभावशाली है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न किसी खास राजनीतिक दल को महिलाओं का चुनावी समर्थन तथा उस राजनीतिक दल द्वारा दल के भीतर महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी सभाओं व प्रचारों में लगातार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं की अस्मिता अथवा पहचान और उनके हितों की रक्षा के लिये महिलाओं का आगे आना आवश्यक है। इसके लिये वे चुनाव प्रचारों में महिलाओं का सहारा लेते हैं। यदि कोई बिन्दु है तो वह कौन सा बिन्दु या सीमारेखा है जहाँ राजनीतिक दल यह महसूस करते हैं कि महिलाओं का समर्थन उनकी हितों की रक्षा हेतु आवश्यक या अपरिहार्य है? किस सीमा तक महिलाओं की सक्रियता ने राजनीतिक दलों को चुनावपूर्व वादों को निभाने के लिये प्रेरित किया है? एक विचारणीय मुद्दा महिला नेतृत्व व उनके द्वारा सत्ता के वास्तविक उपयोग से सम्बन्धित है। न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक महिलाओं ने नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका सँभाल रखी है। सत्ता में रहने के दौरान दलीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता के विषय में उनका क्या प्रभाव रहा? उनकी प्रभावकारिता के मार्ग में व्यवस्थागत, संस्थागत या फिर संरचनागत अवरोध कौन से रहे? पुनः राजनीतिक दलों और उन सामाजिक आंदोलनों के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण भी विचारणीय है, जिनमें महिलायें सक्रिय रहीं हैं। जहाँ कुछ महिला प्रधान आंदोलन जानबूझकर राजनीतिक दलों से दूरी बनाये रखते हैं, वहीं कुछ का राजनीतिक दलों से गहरा सम्बन्ध होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कुछ आंदोलन इस बात से सशंकित रहते हैं कि राजनीतिक दलों से जुड़ाव के कारण उनके आंदोलन की धार कुन्द पड़ जायेगी, वहीं कुछ का यह मानना है कि महिला हितों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत हानि-लाभ का गणित क्या है? महिला आंदोलनकारी तथाकथित जेंडर असमानता को पाटने के लिये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता को कहाँ तक प्रभावित कर सके हैं? अपनी मूल राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुये देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों अर्थात् कांग्रेस व भाजपा और सीपीएम ने भी विभिन्न तरीकों से महिला-मुद्दों को उठाया है। एक दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में भाजपा ने महिलाओं को हिन्दू राष्ट्रवादी सोच के इर्द-गिर्द गतिमान किया है। लेकिन ऐसा करते वक्त उन्होंने धर्मनिरपेक्ष प्रतिमानों का ध्यान रखा है। कम से कम उनका ऐसा दावा है। वामपंथ का नेतृत्व करते हुये सीपीएम ने गरीब वर्ग की महिलाओं को गरीबी व संसाधनों के पुनर्वितरण के आस-पास गोलबंद किया है। एक मध्यवर्ती राजनीतिक दल और ऐतिहासिक रूप से धर्मनिरपेक्ष व

समाजवादी होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने महिला वोटरों पर अपना दावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण व पंथनिरपेक्षता के आधार पर किया। इन सबके बावजूद इन दलों की विचारधारायें दलों के भीतर या बाहर महिला हितों के प्रश्न या कारकों से नहीं निर्धारित होतीं। कांग्रेस पार्टी अपने तथाकथित बलिदान और भाजपा धर्मनिरपेक्ष कानून और समान सिविल संहिता के आधार पर महिलाओं के समर्थन का दावा करती हैं। लेकिन माना यह जाता है कि, यह सब चुनावी औचित्य को ध्यान मे रखकर किया गया राजनीतिक स्टंट है। फिलहाल हकीकत यह है कि ये तीनों ही पार्टियाँ इस वक्त महिलाओं को संगठित करने में ज्यादा सफल रहीं हैं चाहें सामाजिक दृष्टि से गतिशील संगठन हों या धार्मिक दृष्टि से। भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका ठोस संस्थागत लाभ भी उन्हें मिला। बहुत से विद्वानों ने इस संदर्भ में महिलाओं की बहुआयामी भूमिकाओं की चर्चा की है। चाहे आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही हो अथवा अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी सहभागिता। चाहे शहरी मध्यवर्ग में उनकी सक्रियता हो या गाँव की गरीब महिलाओं के बीच उनकी गतिशीलता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ ऐसा संविधान बना जिसने स्त्री-पुरूष समानता की नींव रखी और राज्य को इस बात के लिये निर्देशित किया कि लैंगिक असमानता को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया जाय। महिलाओं ने बिना किसी खास संघर्ष के मताधिकार हासिल किया और तीव्र गति से सार्वजनिक व व्यवसायिक क्षेत्रों में सक्रिय हुईं। यह मामूली बात नहीं हैं कि दक्षिणी एशिया के राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रही।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. बसु अमृताः जेण्डर एण्ड पॉलिटिक्स, एन जी जायल तथा पी बी मेहता द्वारा सम्पादित, 'द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया' में पृ.168से 180 तक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली - 2010.
2. द हिन्दू 20 मई 2004.
3. दैनिक जागरण 08 मार्च 2010.
4. इण्डिया टू डे 15 जुलाई 1991 तथा 16 मार्च1998.
5. कन्ना बिरन, वसंत एण्ड कल्पना, कन्ना बिरन, 1997, 'फ्रॉम सोशल एक्शन टू पॉलिटिकल एक्शनः वूमेन एण्ड एटीफर्स्ट एमेण्डमेंट' इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 32(5) पृ-196-7.किश्वर मधु 1996 ''वूमेन एण्ड पॉलिटिक्सः बियोण्ड कोट्ज'' इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 31(3) पृ-2867-74.
6. मेनन निवेदिता 2000, इल्यूसिव वूमेन : फेमिनिज्म एण्ड वूमेन्स रिजर्वेशन बिलः इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 35(5-44)पृ-3835-44.
7. राय सीरिन एम 1997 : जेण्डर एण्ड रिप्रेजेन्टेशन : वूमेन एम पी'ज इन द इण्डियन

पार्लियामेण्ट, एन्ने मेरी गोट्ज द्वारा सम्पादित -गेटिंग इन्स्टिट्युट्स राईट फॉर वूमेन एण्ड डेव्हलपमेंट- लंदन, जेड बुक्स। पृ-104-22.

8. रमन वसंती 1995 : वूमेन्स रिजर्वेशन एण्ड डेमोक्रेटाईजेशन: एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव: इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 34(5)3494-7.

महिला श्रमिकों के मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय

* डॉ. आरती श्रीवास्तव
** तृप्ति शर्मा

प्रस्तावना– मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसे प्रतिस्थापित करने हेतु लोकसभा ने मानव अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया जो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर 8 जनवरी 1994 को अधिनियम बन गया। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य मानवाधिकारों के रक्षार्थ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों व मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिए प्रावधान करना था।

मानव अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषा– मानव अधिकार का अर्थ है ''प्राण, स्वतंत्रता, समानता व व्यक्ति की गरिमा जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो अथवा अर्न्तराष्ट्रीय संविदाओं में सन्निविष्ट हो तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो''। यह परिभाषा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व भारत के कार्य करने के विस्तार क्षेत्र को ''नागरिक व राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा''- इन दोनों का अनुसमर्थन करती है।

मानवाधिकार एक व्यापक संकल्पना है। मानवाधिकार व्यक्ति के वह मूल अधिकार व स्वतंत्रता है, जो उसके जीवन को संतोषजनक एवं उपयोगी बनाते है एवं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता! मानवाधिकार, मानव होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जन्म के साथ ही प्राप्त होते है। इनके बिना कोई व्यक्ति अपना बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक व आर्थिक विकास नहीं कर सकता।

मानवाधिकार वर्तमान युग का सर्वाधिक ज्वलंत उदाहरण है और वैश्विक परिवेश में इसका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यह मानव की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मानव जाति के लिए मानवाधिकारों का अत्याधिक महत्व है। अतः इसे मूल अधिकार, प्राकृतिक, आधारभूत अधिकार एवं जन्म

==========

* समाजशास्त्र विभाग, शासकीय सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
** शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

अधिकार भी कहा जाता है।

मानवाधिकार प्रारम्भिक मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है जिसमें मुख्य है- जीवन। मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं विवेकशील है। अतः चाहे वह किसी भी वंश, जाति, प्रजाति, भाषा, लिंग व राष्ट्र का हो, उसे अपने जीवन की सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिकार उन्मुक्ति है। इस अवधारणा के अन्तर्गत मानव को उसकी मानवता के परिणामस्वरूप अन्यायोचित व अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किये जाने का प्रावधान है। अर्थात् मानवाधिकार मनमाने शक्ति के प्रयोग के विरूद्ध है। संरक्षण का यह सिद्धांत मानव समाज की उत्पत्ति व अस्तित्व से जुडा हुआ है। संसार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का सार या आधार मानवतावादी दृष्टिकोण ही रहा है। भारतीय चिन्तक कौटिल्य ने लोक कल्याण विषयक चिन्तन में मानव के हितों की चर्चा अपने ग्रन्थ ''अर्थशास्त्र'' में की थी। प्राचीन यूनानी विचारक प्लूटों ने सार्वभौतिक मानवतावाद की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि विदेशियों से भी उसी प्रकार संव्यवहार किया जाए जैसा देशवासियों से किया जाता है। प्रसिद्ध रोमन विचारक सिसरो ने 'दि लाज' में लिखा है कि सार्वभौमिक मानवीय अधिकारों की ऐसी विधियॉ होनी चाहिए जो रूढिगत तथा सिविल विधियों से श्रेष्ठ हो। साफोक्लाज नामक विद्धान ने राज्य के विरूद्ध मानवीय अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया। यूनानी नगर राज्यों में नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, मताधिकार, सार्वजनिक पद पर निर्वाचित होने का अधिकार, व्यापार करने व न्याय प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार रोमन विधि में भी नागरिकों के उत्तराधिकार सुनिश्चित थे।

इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा इतिहास की लम्बी अवधि में विकसित हुई। यह अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाकारी इस्तेमाल को रोकने के उपकरण के रूप में विकसित हुई। आरम्भ में यह राज्यों के भीतर ही लागू होती थी, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की व्यवस्था नहीं थी। वर्ग और नस्ल का विचार किए बिना सभी मनुष्यों के अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरूआत ब्रिटेन के तात्कालीन सम्राट जॉन के कार्यकाल में 15 जून 1215 को हुई जबकि वहां के सामंतों द्वारा कतिपय मानव अधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्राट को विवश किया। 13वीं सदी का यह प्रसिद्ध मेग्नाकार्टा सम्राट और सामंतशाही के बीच का एक समझौता था। हालांकि इसमें कुछ ऐसी धाराएँ भी थी जो आम लोगों के लिए भी लागू होती थी, पर इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सामंतों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। घोषणा पत्र में शेरिफ की शक्तियों को सीमित करना, बारोज के विशेषाधिकारों की

सुरक्षा, सम्राट द्वारा चर्च के अधिकारों में हस्तक्षेप न करना, सामन्ती व्यवहार और परम्परा से अधिक धन की मांग न करना तथा राज्य की परिषद की सहमति के बिना कोई कर न लगाना आदि मांगे शामिल थी। इसी घोषणा पत्र में सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को मुकदमें का अधिकार दिया गया और सभी के लिए न्याय व्यवस्था का उपबंध रखा गया। विश्व इतिहास में इसे मानव अधिकार पत्र यानि मेग्नाकार्टा के नाम से जाना जाता है क्योंकि मानव अधिकारों के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर है।

मानवाधिकारों की इससे अधिक विस्तृत अवधारणा ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने पेश की, जब 1689 में सम्राट को पदच्युत करने तथा उसे मौत के घाट उतारने के बिल ऑफ राइट्स (अधिकार पत्र) में उन्होंने सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया। इस ब्रिटिश रक्तहीन क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां के तत्कालीन सम्राट जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन त्यागना पड़ा। ब्रिटिश संसद ने विलियम तथा मेरी को इंग्लैण्ड का संयुक्त शासक मनोनीत किया। इसके साथ ही कुछ शर्तो का प्रावधान भी रखा गया, जिसमें मुख्य थी राज्य पर निर्बधन, जिससे सम्राट संसद की अनुमति के बगैर नवीन कर नहीं लगा सकता था और ना ही कानून को निलंबित या समाप्त कर सकता था, जो जन भावनाओं कें पर्याय होते है। यह उल्लेखनीय है कि इसी बिल ऑफ राइटस के आधार पर अमरिकी शासन ने भी अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मानव अधिकार संरक्षण में भूमिका– मानव संरक्षण अधिनियम के सफल क्रियान्वयन तथा इसके लक्ष्य को फलीभूत करने हेतु अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। मानवाधिकारों का संरक्षण यदि साध्य है, तो आयोग साधन।

जब से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई है तभी से इस संस्था ने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए है। इसकी मानव अधिकार संरक्षण में महती भूमिका है। मानवाधिकार शब्द को संविधान एवं न्यायिक निर्णयों के परिपेक्ष्य में लिया जा सकता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूलाधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन मूलाधिकारों में मुख्यतः समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार, अलंकरण व धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार सम्मिलित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकारों का विशेष ध्यान रखा है। अतः उन्होंने मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ अधिकारों की व्यवस्था राज्यों के सुपुर्द की है। ये अधिकार वाद

योग्य नहीं है किन्तु यह महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की हैसियत रखते है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 (छ) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी सौपी गई है।

मनोरोगियों के मानव अधिकार, पिछले कुछ वर्षो से निरंतर चिन्ता का विषय बनकर उभरे है। मनोरोगियों को शारीरिक रूप से सर्वत्र स्वस्थ्य, एकान्तिक, समुचित व्यवहार के साथ सामुदायिक तथा पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार है, जबकि भारत का संविधान मनोरोगी को समान स्तर का अधिकार देता है। किन्तु चिकित्सालयों में भर्ती कई मनोरोगियों को ऐसे अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 तथा मनोरोग चिकित्सालयों ने न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के होते हुए भी अनुवर्ती परिवर्तन संतोषजनक नहीं रहा है। अतः आयोग ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की एक परियोजना पर काम करना समयानुकूल तथा समुचित होगा जिसका संबंध मानसिक विकलांगता से त्रस्त समाज के एक उपेक्षित तथा निर्बल वर्ग के लोगों से मानव अधिकारों से सीधा संबंध है।

आयोग ने बाल विवाह की घटनाओं को भी गंभीरता से लिया है। आयोग अपने उत्तरोत्तर वार्षिक रिर्पोटों में सिफारिश करता रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल-विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित विवाह अधिनियम प्रारूप पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। केन्द्र सरकार ने अपनी हाल की कार्यवाही रिपोर्ट में दोहराया है कि जनता द्वारा इस समस्या को बुराई के रूप में देखने के लिए अनुकूल वातावरण और सामाजिक स्वीकृति होना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व 1995 में राजस्थान में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 से लागू होने के बावजूद भारी संख्या में बाल विवाह सम्पन्न होने को समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टो के आधार पर आयोग ने स्वतः कार्यवाही की थी। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अधिनियम का विश्लेषण करने पर आयोग ने इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और केन्द्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों ने भाग लिया। आयोग के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है जिससे इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया जाये, जिसका विचारण सत्र न्यायालय में किया जाए। आयोग का बाल विवाह के रिपोर्ट करने को अधिक सुसाध्य बनाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत कार्यकारिणी शक्तियों और अन्य उत्तरदायित्वों के विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है। बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक है कि पंचायत,

गैर सरकारी संगठनों और गॉव स्तर पर जिम्मेदार व्यक्तियों को अधिकार दिये जाये। बाल विवाह पर रोंक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की महत्ता पर भी आयोग ने बल दिया। आयोग के मतानुसार अनिवार्य विवाह पंजीकरण प्रणाली प्रारंभ करने को अत्याधिक महत्व दिया जाना बाल विवाह प्रथा पर रोक लगा सकता है।

आयोग ने बाल विवाह के विरूद्ध भी जागरूकता लाने के प्रयास प्रारम्भ किए जिसमें जन सूचना अभियान की घोषणा भी की गई। यह अभियान आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण को बढावा देने के प्रयासों का एक हिस्सा है। आयोग ने बाल वेश्यावृत्ति के विरूद्ध केवल कानून लागू करने के ऐलान के समय, समाज की अन्तः प्रेरणा में अधिक तेजी से परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। आयोग के अनुसार बाल शोषण अब पथ भ्रष्टता के कारण नहीं है। बल्कि अब यह योजनाबद्ध उत्पीड़न का मामला बन गया है। यह एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सरल नहीं है। सामाजिक पक्षपात और उपेक्षा एवं शोषण का इतिहास ही इस सोचनीय समस्या का कारण है। इस समस्या के पीछे सामाजिक उदासीनता एक मुख्य कारण है, जिससे इसका बढावा मिला है और केवल सामाजिक जिम्मेदारी ही इस अपराध को कम कर सकती है। आयोग के अभियान का लक्ष्य जागरूकता लाना है, जिससे लोगों में यह उदासीनता कम हो जाए।

जागरूकता लाने में विशाल जन स्त्रोतों के क्षेत्रों का भी अभिनिर्धारण किया गया है जिससे इस क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग गरीबी से तंग आकर अपने बच्चों को मजबूरी में न बेचे। इस कार्य के लिए पहले चरण में कर्नाटक और गोवा के कुछ क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा बाल शोषण अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए छह चरणों की एक श्रृंखला भी जारी की गई। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता के लिए चुनिन्दा क्षेत्रों में एक निशुल्क दूरभाष सेवा '' चाईल्ड लाईन'' 1098 प्रारम्भ की गई है।

आयोग का गैर सरकारी संगठनों एवं संचार माध्यमों से उद्योगो और घरेलू नौकरी के रूप में कार्यरत महिला श्रमिकों, बच्चों के शोषण की दुखद रिपोर्ट मिलती रहती है। इसकी पुनरीक्षा करने के पश्चात् आयोग ने राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों कें आचरण नियमों में उचित नियम शामिल करने की सिफारिश की है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा 14 अथवा उससे कम आयु के महिला श्रमिकों, बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखने पर रोक लगाने के

साथ ही इस प्रकार के आचरण को नियमानुसार अनाचरण माना जायेगा और वह भारी दण्ड का भागीदार होगा।

आयोग ने महिला श्रमिकों के मानव अधिकार, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढावा देने के प्रयास भी किए है। इसी परिपेक्ष्य में भारतीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विधि स्कूल (एल.एल.एस.आई.यू.) बंगलूर में मानव अधिकार शिक्षा, अनुसंधान और प्रलेखन संस्थान की स्थापना एक सार्थक प्रयास रहा है। आयोग के सहयोग से एन.एल.एस.आई.यू. में मानव अधिकारों की एक पीठ भी स्थापित की गई है। इस विषय पर आयोग तथा भारतीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विधि स्कूल, बैगलूर के मध्य संस्थान के माध्यम से मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढावा देने का कार्य कर रहा है।

सामाजिक मानवाधिकार– इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मानव मात्र होने के नाते उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए। डॉ. बेनीप्रसाद के मतानुसार सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सुख का समान महत्व है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है।

सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार या सामुहिक अधिकार आदि का उपबंध किया गया है। ये वे अधिकार है जो कि इस बात का समर्थन करते है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सम्मानजनक ढंग से जीना उसका अधिकार है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की भवन निर्माण महिला श्रमिकों के मानव अधिकार का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. महिला श्रमिकों की जानकारी प्राप्त करना।
2. महिला श्रमिकों के मानव अधिकार की जानकारी प्राप्त करना।
2. महिला श्रमिकों के सामजिक न्याय की जानकारी प्राप्त करना।
3. महिला श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

द्वितीयक स्त्रोतो से महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में दत्त प्रस्तुतीकरण किया गया है। उनके मानव अधिकारों तथा उचित मजदूरी स्वेच्छठा काम की दशा एवं परिवार नियोजन का अधिकार तथा घरेलू हिंसा के विरूद्ध सुरक्षा, के संदर्भ में तथ्यों पर कार्यकारण विश्लेषण किया गया है-

		कुल संख्या	ग्रामीण	नगरीय
1	घर/मकान	501,8.5	93058	408747
2	जनसंख्या	2371061	454010	1917051
3	पुरूष	1234931	238025	998105
4	महिला	1134931	215985	9189946
5	अनुसूचित जाति	357516	95945	261571
6	अनु. जाति पुरूष	185902	50342	135560
7	अनु.जाति महिला	171614	45603	126011
8	अ.ज.जा.	69429	19124	50305
9	अ.ज.जा. (पुरूष)	35966	9916	26050
10	अ.ज.जा. (महिला)	33463	9208	24255
11	साक्षरता	1660690	254810	1405880
12	महिला साक्षरता	740376	101666	638710
13	कुल निरक्षरता	710371	199200	511171
14	पुरूष निरक्षरता	315816	84881	230935
15	महिला निरक्षरता	394555	114319	280236

श्रोत: जनगणना 2011

महिला श्रमिकों के मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय- परम्परागत भारतीय परिवारों में प्राचीन काल से ही स्त्री एवं पुरूषों की भूमिकाएँ पृथक व स्पष्ट रही है। पुरूष का कार्य जहॉ एक ओर परिवार के जीविकोपार्जन हेतु घर से बाहर निकलकर श्रम करना रहा है वही दूरारी ओर स्त्री का कार्य घर पर रहकर घरेलू कार्य तथा परिवार की देखभाल करना रहा है। यद्यपि परम्परागत ग्रामीण समाज में जीविकोपर्जन तथा आय उपार्जन के उद्देश्य से महिलाएँ, कृषि, भवन निर्माण व सम्बंधित व्यवस्थाओं में सदियों से संलग्न रही हैं। यहॉ महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न पाया जाता है। इसलिए ये महिलाएं कहीं जाकर नौकरी करने की अपेक्षा घर पर रहकर मजदूरी करना श्रेयस्कर समझती है। इसके अतिरिक्त इन्हें पारिवारिक सामाजिक बंधनों का भी सामना करना पड़ता है अत: गॉव या नगर में घर से दूर जाकर काम करना इनके लिए उचित नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में ये महिलाएँ आय, उपार्जन के लिए किसी ऐसे कार्य को अपनाती है, जिसे घर पर रहकर किया जा सके। घर पर रह कर किए जाने वाले कार्यो को मजदूरी एवं कृषि संबंधी मजदूरी आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त सिलाई, बुनाई, बीड़ी बनाने, टोकरी बनाने, पत्तल, झाडू तथा रस्सी बनाने एवं सूत कातने जैसे कार्यो में भी संलग्न देखी जा सकती है।

दूसरी तरफ नगरीकरण के साथ-साथ महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है और अर्थोपार्जन के प्रति चाहत भी। बढती हुई महंगाई ने महिलाओं को सोचने

के लिए विवश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे जब संगठित श्रम क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ हो चुके हो तब असंगठित क्षेत्र ही बचते है। कम पढ़ी-लिखी तथा अशिक्षित महिलाओं के लिए यह क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प है। शहर तथा शहर के सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाएँ जिन्हें घर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, वे घर से बाहर निकलकर इन्हीं उद्योगो में श्रम करती है।

समस्त महिला श्रमिक नौकरी के साथ-साथ रोजमर्रा के अनेक घरेलू दैनिक कार्यो को भी सम्पादित करती है। इन महिलाओं पर एक साथ दोहरा बोझ पडता है। घर में काम और बाहर नौकरी या मजदूरी। सूरज की पहली किरण के साथ इनकी दिनचर्या व्यस्त दिनचर्या आरंभ हो जाती है और अनवरत सूर्यास्त के बाद रात्रि तक चलती रहती है। इन्हें जहॉ परिवार का पालन पोषण और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है वही दैनिक खर्च हेतु आय भी उपार्जित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से होने वाले लाभों का आनंद नहीं ले पाती क्योंकि इसके लिए इनके पास समय नहीं होता। यही नहीं कई स्थितियों में तो वे अपनी आय की स्वामिनी तब तक ही होती है जब तक कि वह अपनी आय को लेकर घर नहीं आती। घर आने के पश्चात् इनकी आय के स्वामी दूसरे लोग हो जाते है।

असंगठित उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निर्धन व भूमिहीन परिवारों से आती है इनमें उच्च शिक्षा व व्यावसायिक कौशल का पूर्णतया अभाव होता है। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होने के कारण न केवल इनका आर्थिक शोषण होता है, बल्कि इनके प्रति शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार भी देखने को मिलता है। किसी भी दशा में ये पुरूष श्रमिकों से कम कार्य नहीं करती है किन्तु नियोजकों द्वारा इनके साथ आर्थिक भेदभाव किया जाता है। पुरूषों की तुलना में इन्हें कम वेतन दिया जाता है। कतिपय महिला श्रमिकों के घर पर भी पुरूष सदस्यों द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पैसे के लिए बार-बार अपमानित किया जाता है। अतः औद्यौगिकरण और आधुनिक बाजार व्यवस्था ने महिला श्रमिकों के समक्ष नवीन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है। वर्तमान सामाजिक संरचना में असंगठित महिला श्रमिकों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशाएँ एक प्रमुख सामाजिक समस्या है।

विश्व में महिला श्रमिकों के साथ लगातार बढ़ती घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिलाओं ने पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से लिंग भेद और महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकने की मुहिम छेड़ रखी है। परिणामस्वरूप पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा विश्व स्तर पर मात्र समस्या ही नहीं है, बल्कि

उसका समाधान खोजने के लिए सभी वर्गो में एक चिंतन का विषय भी है। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकने की दिशा में शोधकार्य, सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान व्यापक तौर पर हो रहे है। समस्त विश्व समुदाय न केवल इसके प्रति चिंतित है, बल्कि अनेक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा को रोकने के उपायों के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है।

महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, जिसमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, आज न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चिंतन का भी विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का पूरा जीवन चक्र प्रकाशित किया है, जिसमें जन्मपूर्व हिंसा, शैशव हिंसा, बालिका उत्पीडन, किशोरावस्था और प्रौढावस्था में हिंसा, वृद्ध महिलाओं के साथ हिंसा आदि प्रकारों को शामिल किया गया है। भारत में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकना कठिन है, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को एक घरेलू और व्यक्तिगत मामला समझा जाता है। महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा में सबसे गंभीर, समस्या घरेलू हिंसा को लेकर है। इसका कारण यह है कि यह हिंसा महिलाओं और लड़कियों के साथ अत्यन्त गुपचुप और छिपे तौर पर अधिकांशतः चारदीवारी के भीतर होती है।

भारत में महिलाओं और लडकियों के विरूद्ध हिंसा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से होती है। ये कारक लिंग आधारित नियमों से टकराते है जो भेदभाव और विघटन का ऐसा वातावरण तैयार करते है और जो महिलाओं-पुरूषों तथा समुदायों को लिंग आधारित हिंसा के लिए प्रेरित करता है। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सभी रूप विद्यमान है जिसमें पति-पत्नी के बीच हर तरह के गाली-गलौच, मारपीट की घटनायें, अनाचार, परिवार में विधवाओं, अकेली औरत और बूढी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, दहेज हत्यायें, बालिका भ्रूण हत्या शामिल है।

देश में महिलाओं के प्रति हिंसा एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकडों को देखें तो ज्ञात होता है कि देश में 15 से 49 वर्ष की आयु समूह की कुल महिलाओं में से एक-तिहाई महिला श्रमिक शारीरिक शिकार हुई है। कुल महिलाओं में से लगभग 35 प्रतिशत महिलायें या तो अपने पति द्वारा या परिवार के किसी पुरूष सदस्य द्वारा हिंसा का शिकार हुई है या हो रही है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के आंकड़ों को भारत तथा मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो यह पाया गया कि मध्यप्रदेश में स्थिति और दयनीय है। इसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका : 2

14 से 19 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं पर घरेलू हिंसा (प्रतिशत में)
मध्यप्रदेश के संदर्भ में

क्र.	हिंसा का प्रकार	भारत	मध्यप्रदेश
1	शारीरिक हिंसा	26.9	37.0
2	यौनिक हिंसा	1.8	1.6
3	शारीरिक एवं यौनिक हिंसा	6.7	8.4
4	शारीरिक या यौनिक हिंसा	35.4	46.8

स्त्रोतःराष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 3

घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय-

भारत सरकार द्वारा भारतीय परिदृश्य के अनुकूल घरेलू हिंसा तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए काफी प्रयास किये है। भारत सरकार के प्रयास निम्नलिखित हैः-

* भारत सरकार ने सन् 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु एक राष्ट्रीय नीति पारित की। इस नीति के उद्देश्य में से एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है। इसके साथ ही वर्ष 2001 को ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' घोषित किया गया था।
* महिलाओं की समस्या पर कार्य करने को उत्तरदायी '' राष्ट्रीय महिला आयोग'' जो एक वैधानिक निकाय है और वह सरकार को वैधानिक सुधारों के संदर्भ में सलाह देता है। इस आयोग ने भेदभाव करने वाले कानूनों की समीक्षा करने और यथोचित परिवर्तन/संशोधन करने के सुझाव प्रमुख कार्यो में शामिल किया है।
* बीजिंग सम्मेलन के बाद 11 राज्यों ने '' राज्य महिला आयोग'' की स्थापना की है। इस तरह वर्तमान में इनकी कुल संख्या 22 हो गई है। राज्य महिला आयोगों को राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा ही बनाया गया है और उन्हें उसी प्रकार के अधिकार भी दिए गए है। ये राज्य आयोग भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वयं कार्यवाही कर सकते है, साथ ही लिंग आधारित समस्याओं पर शोधकार्य भी कराते है।
* महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा से पीड़ितों के लिए सलाह केन्द्रो और अल्पावधि गृहों की स्थापना जैसे सहायता सेवाओं के लिए भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रावधान किए है।
* अनेक शहरों में पुलिस सलाहकार प्रकोष्ठों और महिलाओं के विरूद्ध

अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है ताकि जो महिलायें पुलिस थाने में शिकायतें लिखवाती है उन्हें सलाह और सेवा व अन्य सहायता करायी जा सके।

* बीजिंग सम्मेलन के बाद 14 राज्यों में महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है जिससे उनके विरूद्ध होने वाली हिंसा के मामलों की रिपोर्ट महिलायें स्वयं दर्ज करा सके।
* घरेलू हिंसा से पीड़िता महिलाओं के लिए पुलिस हेल्प लाईन भी कुछ राज्यों में स्थापित की गई है।
* कुछ राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा संबंधी मामलों की दर्ज शिकायतों की समीक्षा, जॉच और समाधान करने के लिए जिला स्तरीय समितियॉ गठित की गई है।
* सन् 2001 में भारत सरकार ने 15 नए परिवार अदालतों की स्थापना की स्वीकृति दी और वर्तमान में 61 परिवार अदालतें कार्यरत् है।
* कानूनी सहायता बोर्ड द्वारा कानूनी सहायता सुलभ करायी जा रही है।
* कानून लागू करने वाली मशीनरी सहित सरकार के सभी विभागों और न्यायपालिका को लिंग संवेदना के प्रति सक्रिय बनाया गया है।

इन प्रारंभिक प्रयासो को दुहरी सफलता मिली। एक तो उन मान्यताओं को चुनौती देने में जिसमें हिंसा एक निजी व्यक्तिगत मामला है और इसमें कुछ हद तक औरत की ही गलती होती है। दूसरी यह कि उन समूहों में घरेलू हिंसा के संबंधों में मदद मॉगने आई महिलाओं ने बाद में कहा कि उनकी समस्या हल हो गई है। इसी के साथ यह भी देखा गया कि परिवारजनों व गॉव के और प्रशासन के प्रभावशाली लोगो को शामिल करके आपस में चर्चा करके निष्कर्ष तक पहुंचने से न केवल पीड़ित महिला में नए तरह का विश्वास जागता है बल्कि परिवार में उसकी हैसियत और स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हर समूह में एक सशक्त महिला समुदाय का होना, उत्पीडित महिलाओं को शक्ति देता है। साथ ही उसे मदद विश्वास देकर, उत्पीड़ीको के लिए दबाव का माध्यम बनाया जाता है।

वर्तमान में आधुनिक समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है पुराने मानवीय मूल्यों की समाप्ति एवं नवीन मूल्यों की स्थापना का दौर चल रहा है जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं लगातार चुनौतीपूर्ण हो रही है। नई परिस्थितियॉ और नई नई समस्याओं के कारण मानव अत्यन्त व्यस्थित है वह मनसा, वाचा, कर्मणा, निर्लिप्त नहीं है। उसे अपने हितों के सामने देश और समाज के हित व मानवीय मूल्य कतई महत्वपूर्ण नहीं लगते। यदि आधुनिक समाज नवीनतम व्यवस्थाओं से जूझता रहेगा। व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए आवश्यकता है कि सभी सम्यक रूप

से गहन विचार विमर्श करें। व्यक्ति के सुधार से ही समाज में सुधार संभव है यदि व्यक्ति आत्मानुशासन द्वारा अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना सीख ले और संविधान में वर्णित मूल्य कर्तव्यों का पालन करने लगे तो मानव अधिकारों की सुरक्षा संभव है।

भारत के संविधान ने किसी वक्त में बिना लिंग भेद बरते सबको समान न्याय की सुविधा देने का आदर्श रखा है। यद्यपि संविधान एवं अन्य कई विधियों द्वारा भी समानता व स्वतंत्रता का अवसर एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, तथापि महिलाओं को अभी भी घरों में समुदायों एवं कार्यस्थलों में अत्याचार से पीड़ित रहना ही पड़ता है। इसके कई कारण है, जिनमें मुख्यता यह है कि परम्परागत परिस्थिति, कानून की अनभिज्ञता, गरीबी, निरक्षता इत्यादि। जब तक वर्तमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं लाया जाता है तब तक देश में चाहे जितने भी कानून बना लिये जाये, स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी। भारत वर्ष में महिलाओं की कुल जनसंख्या 48 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या में से महिलाओं का प्रतिशत 46.6 प्रतिशत है। पर घटित अपराधों मानीटिरिंग पर आवश्यक उपाय अपनाना प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है। प्रथम चरण में प्रत्येक थाने में पारिवारिक सलाहकार केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं।

मध्यप्रदेश द्वारा तत्परता से किये गये कार्य एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप प्रदेश में महिलाओं पर घटित अपराधों में पर्याप्त नियंत्रण रहा है। नियंत्रण होने के कारण वर्ष 1996 में घटित अपराधों की संख्या 13629 थी, जबकि वर्ष 1995 में यह संख्या 14147 थी।

महिला संरक्षण–

अनुसूचित जाति कल्याण शाखा पुलिस मुख्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर की महिला अधिकारी के अधीन कार्यरत है। जिसमें एक पुलिस अधीक्षक, एक महिला निरीक्षक, दो महिला उप निरीक्षक के साथ कुछ अन्य कार्यपालिक बल पदस्थ है। इस महिला प्रकोष्ठ में अनुसचिवीय बल कार्यरत नहीं है। अनुसूचित जाति कल्याण शाखा के अनुसचिवीय बल के कुछ कर्मचारियों से प्रकोष्ठ का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। यह प्रकोष्ठ प्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुसूचित जाति कल्याण के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

महिलाओं एवं महिला श्रमिक को उचित संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, महिलाओं पर अशिष्ट रूपेण (प्रतिशोध) अधिनियम 1987, बाल-विवाह अवरूद्ध अधिनियम 1929 जैसे कानूनों को कड़ाई से अमल करने के लिए भी शासन

कटिबद्ध है। महिलाओं एवं महिला श्रमिक के संदर्भ में घटित अपराधों का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गत कुछ वर्षों में ही पुलिस ने सक्रिय रूप से कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है तथा देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में इस दृष्टि से काफी कार्य हुआ है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश में आंकड़े अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रथम दृष्टि में अधिक बढ़े हुए नजर आते हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मध्यप्रदेश पुलिस हर छोटे-मोटे अपराधिक प्रकरणों को पंजीबद्ध करने में विश्वास रखती है। एन.सी.आर.बी. द्वारा प्रकाशित अपराध सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार वर्ष 1994 में भारत वर्ष में महिलाओं एवं महिला श्रमिकों के विरूद्ध घटित अपराधों में उत्तर प्रदेश 16.1 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 16.0 प्रतिशत रही। मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र का प्रतिशत 13.7 रहा।

महिलाओं एवं महिला श्रमिकों प्रदेश में अब तक 12 महिला पुलिस थाने निर्मित किए गए हैं जिनमें भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, सागर, दुर्ग, रीवा, उज्जैन एवं सतना में कार्यरत हैं। जिनमें अन्वेषक अधिकारी भी महिलाएँ ही हैं और दस जिले धार, खरगोन, सरगुजा, गुना, झाबुआ, शहडोल, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, खण्डवा एवं मंदसौर महिला पुलिस थाने निर्मित करने का प्रस्ताव शासन के पास है। इसके अतिरिक्त 50 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मुख्यालय स्थित पुलिस थानों में एक महिला सेल महिलाओं पर घटित अपराधों की विवेचना करने के लिए स्थापित किए जाने के प्रस्ताव शाासन के पास विचाराधीन हैं। प्रत्येक सेल में एक महिला उपनिरीक्षक एवं दो महिला आरक्षक पदस्थ रहेंगे।

प्रथम चरण में प्रत्येक महिला थाने में पारिवारिक सलाहकार केन्द्र (यानि 12 केन्द्र) स्थापित किए गए हैं। यह पारिवारिक सलाहकार केन्द्र कोई समस्या गंभीर रूप धारण करने के पूर्व ही छोटी-मोटी घरेलू समस्याकों को निपटाकर सुखी परिवार में परिवर्तित करने में सक्रिय है। इन पारिवारिक सलाहकार केन्द्रों में सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयं सेवी संस्थाओं, अधिवक्ताओं और मनोवैज्ञानिकों की सराहनीय भूमिका रही है। इन पारिवारिक सलाहकार केन्द्रों की सफलता को देखते हुए कई अन्य जिलों में भी पारिवारिक सलाहकार केन्द्र खोले गए हैं। इन्दौर जैसे शहर में 4-4 सलाहकार केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों का कितना महत्व है यह अपने-आप में विदित है।

अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं वे तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक व्यापक स्तर पर लोग उनके स्वरूप को न जानें। किसी भी कानून की वास्तविकता में परिणत करने के लिए

उससे लाभान्वित होने वाले वर्ग को कानूनी प्रक्रिया, प्रणाली, अभियोजन दायर करने के लिए सम्पर्क सूत्रों तथा संसाधन की समझ होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष–

यह सत्य है कि भूमण्डलीकरण का दौर भारत जैसे विकासशील देश में अपने उत्कर्ष की ओर सरलता से बढ़ रहा है। अतः या तो एक तरफ भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के शिकार व्यक्ति को (समाज के निर्धन, कमजोर, पिछड़े हुए) हैं अथवा दूसरी ओर अंतिम छोर पर अतिविकसित लोग हैं जिन्होंने इस दौर को पूर्ण रूपेण अपना लिया है। यहाँ यह बहस एवं विवाद का विषय नहीं है कि विकास के इस पूंजीवादी मॉडल (Capitalistic model of development) का कितना औचित्य है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस एवं मानवाधिकार आयोग को इस मॉडल के दायरे में किस प्रकार लाभान्वित व अनुकूल किया जाए और यह संभव है जब शासकीय नीतियों व योजनाओं में सकारात्मक सुधार हो। अतः इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि हमें सकारात्मक एवं योजनाबद्ध नीतियों, योजनाओं, क्षेत्रिय परियोजनाओं के उचित व व्यावहारिक, न्यायपरक क्रियान्वयन को परिणाम मूलक दिशा प्रदान करने हेतु सशक्त निगरानी परक संस्थाओं को भी साथ-साथ विकसित करना होगा।

भारत के संविधान में बिना लिंगभेद बरते सबको समान न्याय देने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि संविधान एवं अन्य कई विधियों द्वारा महिला श्रमिकों के मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय को समानता स्वतंत्रता के अवसर एवं सुरक्षा प्रदान की गई है तथापि महिलाओं को घरों, समुदायों एवं कार्यस्थलों में अत्याचार से पीड़ित रहना पड़ता है। इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यतः यह है कि परम्परागत परिस्थिति, कानून की अनभिज्ञता, गरीबी, निरक्षरता इत्यादि। जब तक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं लाया जाता है तब तक देश में चाहे कितने भी कानून बना लिए जाएँ महिला श्रमिकों के मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय की स्थिति त्यों की त्यों बनी रहेगी।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. हूमेन राईट्स कमीशन (2006), ए सिटीजन्स हेण्डबुक, कॉमनवेल्थ हूमेन राइट्स इतिनिशटि संशोधित संस्करण पृष्ठ-4
2. चन्द्रशेखर, ममता (2001), मानवाधिकार और महिलाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल संस्करण
3. Chaturvedi,Ashok Kumar (2008), अनुसूचित जनजातियों में मानव अधिकारों के संरक्षण में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोक की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन (भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश
4. दुबे, आर.सी. (1978), विकासशील समाज और सर्विसेस पब्लिसिंग हाऊस नई दिल्ली

5. श्रीवास्तव, आर.सी., विकासशील समाज में समसामयिक की भूमिका, अनुसंधान विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. गुप्ता, माला, (1994), मीडिया माध्यमों द्वारा नकारात्मक प्रस्तुतीकरण और बढ़ते अपराध, विज्ञान अनुसंधान विकास ब्यूरो, नई दिल्ली पृ. 19
7. भटनागर, सतीश चन्द्र, (1984), मानव व्यवहार एवं प्रशासन, दि लायर्स होम, इन्दौर।
8. फड़िया, बी.एल. (1989), लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाओ के प्रति बढ़ते अपराध : म.प्र. के विशेष संदर्भ में

* डॉ. आशा गोहे

भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियो में से एक है और जिसके अवशेष सिन्धु घाटी सभ्यता के रूप में मिले, प्राचीनतम मिस्र और यूनानी सभ्यता और संस्कृति से किसी तरह भी कम नही ऑकी जा सकती। हजारो वर्षो से ही सभ्यता और संस्कृति के निर्माण, संरक्षण और प्रचार में नारी की महती भूमिका रही है। सिन्धु सभ्यता में मातृदेवी के रूप में पूजने के साक्ष्य मिले है। मातृदेवी को ''माता'' अम्बा, काली एवं कराली के नामो से जाना जाता है।

ऋग्वैदिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक हर युग में समाज में कई महत्वपर्ण नारिया हुई। भारतीय स्वतंत्रता समर में देश के हर आयु, धर्म, भाषा प्रांत के लोगो ने सामूहिक प्रयास किए थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की नारियो का था जिन्होने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आजादी की अलख जलाई। महिलाओ की महती भूमिका के संबंध में गांधीजी ने कहा- '' स्त्रियो के अधिकारो के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नही हुँ, वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी राय में उन्हे किसी भी प्रकार की असुविधा नही होनी चाहिए, स्त्री घर की स्वामिनी है। पुरूष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बाँटती और खिलाती है, घर में बच्चो का पालन करती है, वह राष्ट्रमाता है, यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाए।

एक तरफ तो स्त्री और पुरूष के बीच समानता का सिद्धांत भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारो और कर्त्तव्यो तथा नीति निर्देशक सिद्धांतो में अंतर्निहित है। संविधान न केवल महिलाओ को समान अवसर प्रदान करता है बल्कि सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के लिए कदम उठा सके सामाजिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्त्ता के रूप में महिलाओ के सशक्तीकरण की रणनीति प्रमुखता से जारी

---

* विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, शासकीय जटा त्रिवेदी महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

है जिसमें सामाजिक सशक्तीकरण आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओ के लिए समान न्याय। भारत की कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत महिलायें है किन्तु वर्तमान परिदृश्य में कुछ दशको में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा की घटनाओ में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज वैज्ञानिको, नीति निर्धारको, समाज सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह सही भी है क्योकि नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने नारी को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है यहां तक की उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है।

आज वर्तमान परिदृश्य में नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे है। अपराध कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नही है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमो का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मारपीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करके, भूखा-प्यासा रखकर या जहर देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना, बलात्कार करना निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहे जायेगे पूरे देश में नारियो के प्रति अपराधो की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नारियो के प्रति होने वाले अपराधो एवं हिंसा को राम आहूजा के द्वारा तीन श्रेणियो में विभाजित किया गया है।

(अ) **आपराधिक हिंसा**– इस श्रेणी में उन अपराधो को रखा जा सकता है जोकि पुरूष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते है बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधो में प्रमुख है।

(1) **बलात्कार**– भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डित करने का प्रावधान है। धारा 375 में बलात्कार के अपराध की विस्तृत व्याख्या की गई है जब कोई पुरूष किसी स्त्री से, उसकी इच्छा या सहमति के बिना या मृत्यु का भय देकर सम्मति से मैथुन करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है। वैसे तो बलात्कार की घटनांए संसार के सभी देशो में होती है, फिर भी भारत जैसे देश में ऐसी घटनाओ में वृद्धि से चिंता होना स्वाभाविक ही है। बलात्कार दो प्रकार के है (1) जिसमें कोई अकेला व्यक्ति बलात्कार करता है तथा (2) जिसमें एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से बलात्कार करते है। भारत में दोनो प्रकार के बलात्कारियो की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में हमारे देश कम उम्र की नाबालिक बच्चियो में लगातार बलात्कार की घटनाएँ बड़ रही है जो अत्यंत चिंताजनक है।

वैसे तो बलात्कार से सही आंकड़े कभी उपलब्ध नही हो पाते क्योंकि भारत

जैसे मान्यताओ व मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना, निष्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार के प्रकरणों को दबाया जाता है और अधिकांश प्रकरणों में बदनामी के भय से पुलिस में रिपोर्ट तक नही की जाती।

(2) **अपहरण तथा व्यपहरण**– नारी के प्रति होने वाली आपराधिक हिंसा का दूसरा प्रकार अपहरण एवं व्यपहरण है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का अर्थ कानूनी संरक्षक की अनुमति के बिना 18 वर्ष से कम लड़की या 16 वर्ष से कम लड़के को जबरदस्ती उठा ले जाना है एवं धारा 366 के अनुसार व्यपहरण का अर्थ किसी नारी को जबरदस्ती, धोखे से अथवा कपटपूर्ण ढंग से अवैध यौन संबंधो या किसी से उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह हेतु विवश करने के लिए उठा ले जाता है इस प्रकार अपहरण शब्द का प्रयोग केवल अवयस्को को उठा ले जाने के लिए किया जाता है जबकि व्यपहरण किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। अपहरण केवल 18 वर्ष से कम लड़की का हो सकता है जबकि व्यपहरण 18 वर्ष से अधिक लड़की का हो सकता है।

(2) **हत्या**– भारत में जो हत्याऐ होती है उनमें नारियों की हत्याओ का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है महिलाओ की हत्या अवैध संबंध, छोटे-मोटे झगड़े, बदले की भावना, पुर्नविवाह की इच्छा, बार-बार दहेज लेने की इच्छा, सम्पत्ति के वास्तविक हकदार को रास्ते से हटाने की इच्छा, बलात्कार के बाद हत्या करना जैसे कारण उत्तरदायी होते है।

(ब) **घरेलू हिंसा**– आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नही बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का संबंध घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शांति व आत्म-उपलब्धि से जीवन प्रारंभ होगा परन्तु इसके विपरीत सैकड़ो विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते है दुख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उन्हे लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करे तो उन्हे ही दोषी माना जाता है या उन्हे भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। जहॉ पति-पत्नी दोनो शिक्षित और आत्म-निर्भर है फिर भी मार-पीट की घटनाएँ हो जाती है ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस करती है घरेलू हिंसा को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है।

(1) **दहेज हत्याएँ**– भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह मे दहेज अनिवार्य है इसलिए दहेज की समस्या एक भंयकर समस्या बनती जा रही है। अधिकांश दहेज हत्याएँ पति के घर में पति पक्ष के लोगो के द्वारा एकांत में की जाती है इसका कोई अधिक ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष

से लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते है। अनेक दहेज हत्याओ को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नही हो पाती।

(2) **पत्नी को पीटना**– विवाह के संदर्भ में नारियो के प्रति पीटना भी एक घरेलू हिंसा है मामूली से विवाद पर पति के द्वारा पत्नी की मारकर हत्या कर दी जाती है ऐसी घटनाये पति नशे में अधिकतर करते है।

(3) **विधवाओ पर अत्याचार**– नारी के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। विधवाओ के प्रति भी परिवार में दुरव्यवहार किया जाता है। उससे आशा की आती है कि वह यौन संबंधी बातो से विमुख रहेगी, जबकि परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और समाज में फिरते भूख भेड़िये उसकी देह लूटने की चेष्टा करते है। उन्हे भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। अनेक विधवाये वेश्यालयों तक भी पहुँच जाती है।

(स) **सामाजिक हिंसा**– नारी हिंसा कि तीसरी प्रमुख श्रेणी सामाजिक हिंसा है जिसे पत्नी/बहू को भ्रूणहत्या के लिए विवश करने, छेडछाड़, नारियो को सम्पत्ति में हिस्सा न देना, बहू को दहेज के लिए उत्पीड़ित करना, यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है।

(1) **यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न**– यह विभिन्न रूपो में होता है, विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय वेश्यावृत्ति माना जाता है। 1959 में महिलाओं में अनैतिक व्यापार दमन का कानून पारित किया गया था परन्तु आज भी वेश्यावृत्ति संगठित रूप में पाई जाती है। प्राय: यह दो रूपो में प्रचलित है - एक तो पंरपरागत वेश्याएँ है जो बाजार में कोठो पर धन कमाने के लिए देह व्यापार करती है और दूसरी और वे नारियां है जो धन के लिए या अन्य भौतिक उद्देश्यो के लिए बड़े-बड़े होटलो में या निजी कोठी में या किसी अन्य संगठित अड्डे पर यौन का धंधा करती है। इस दूसरी श्रेणी की नारियो को कालगर्ल कहा जाता है।

अधिकांश नारियां इस पेशे को मजबूरी में करने आती है। यह समाज के लिए शर्म की बात है कि वहां ऐसी परिस्थितियाँ हो जो नारियो को शरीर बेचने के लिए बाध्य करे। वेश्यावृत्ति से समाज का नैतिक पतन हो रहा है। एड्स जैसा भयानक रोग फैलने लगा है। अश्लील साहित्य, पत्र पत्रिकाओ, पोर्नसाइट, किशोर किशोरियो और युवाओ के नैतिक पतन का कारण बनता जा रहा है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

साथ ही आज के व्यवसायो का मुख्य आधार विज्ञापन है विज्ञापन नारी के अंग प्रदर्शन पर आधारित है। चाहे किसी वस्तु का हो नारी के जीवन से सीधा संबंध हो, या न हो उसके शरीर के उत्तेजक चित्रो के अभाव में विज्ञापन अधूरा

समझा जाता है। यही कारण है कि आज माडलिंग का व्यवसाय लोकप्रिय होता जा रहा है। विज्ञापन इस तथ्य को सिद्ध करते है कि नारी की देह एक वस्तु है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रयोग के लिए बाजार में उपलब्ध है। कैबरे व चलचित्र के माध्यम से भी नारी का प्रदर्शन किया जा रहा है।

नारी की दैहिक समस्याओ में सबसे प्रमुख छेड़छाड़ का शिकार होना है, बसो में, बाजारो में, स्कूल और कॉलेज में वे पुरूषो द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होती है उन पर आवाज कसना, उन्हे स्पर्श करने की चेष्टा करना, इशारा करना, आम बात हो गई है। एसिड अटैक की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है तथा कार्यस्थलो पर भी महिलाओ के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है।

(2) **नारी हत्या तथा भ्रूणहत्या**– नारी हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के गर्भ में है, या जन्म लेने के बाद शिशु हत्या के रूप में है या महिलाओ को मारने के रूप में है। इतना ही नही इसमें ऐसी घटनायें भी शामिल है जिनमे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर की गई हो कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो वर्तमान में भ्रूण हत्या अधिक हो रही है गर्भ में लिंग परीक्षण करने से ये पता लग जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की और हजारो लोग यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है, गर्भपात करा लेते है। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है।

पिछले कुछ वर्षो में भारत में महिलाओ में अपराध की दर बढ़ती हुई मिलती है। सामाजिक दृष्टि से महिला अपराधियो में कुछ विशेषताएं मिलती है, भारत में अपराधी महिलाए युवा, विवाहित, अशिक्षित, निर्धन, ग्रामीण, उच्च एवं मध्य क्षेत्रो की अधिक होती है। कई अपराधो में अपराधियो के साथ दूसरी महिला के प्रति अपराध करने में एक महिला का भी हाथ होता है। गरीबी के कारण वे अपराध करने में साथ देती है या बदले की भावना या अत्यधिक पैसा कमाने की चाह भी महिलाओ को अपराधी बनने पर मजबूर कर रही है।

भारतवर्ष में महिलाओ के प्रति अपराध निरंतर बड़ रहे है उसमें यदि हम मध्यप्रदेश की बात करे तो ज्ञात होता है कि एन.सी.आर.बी. की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 34651 दुष्कर्मो में सबसे ज्यादा 4391 अकेले मध्यप्रदेश में दर्ज है इसके अलावा महिलाओ से छेड़छाड़ और अन्य महिला अपराधो में भी मध्यप्रदेश टॉप पांच राज्यो में शामिल है। मध्यप्रदेश में हजारो ऐसे केस दर्ज है, नाबालिगो से दुष्कर्म के केस में फांसी की सजा का कानून बनाने के बावजूद ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 में प्रदेश की 24 हजार 35 महिलाए अपराध का शिकार बनी तो 2016 में संख्या बढ़कर 26 हजार 518 हो गई इसी वर्ष 4 हजार 882 महिलाओ से दुष्कर्म के मामले सामने

आये है। अपहरण, छेडछाड़, दहेज प्रताड़ना जैसे हजारो मामले समाने आये है अपहरण, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना जैसे हजारो मामले आज भी पेडिंग पड़े है। प्रदेश में 21 साल में लगभग 44 अपराधियो को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन फांसी अब तक एक को भी नही हुई इसके बाद भी चुनावो में प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा का मुद्दा सिरे से गायब है।

एन.सी.आर.बी की 2016 की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आये है उसमें मध्यप्रदेश दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है, जो वर्ष 2015 के मुकाबले 12.4 प्रतिशत अधिक है तीसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है। जहां 10.7 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 4189 मामले दर्ज किए गए है। उत्तरप्रदेश अपराध के मामले में पूरे भारत में सबसे टॉप पर है उत्तरप्रदेश में अकेले पूरे भारत के 9.5 प्रतिशत अपराध हुये है जबकि मध्यप्रदेश 8.9 प्रतिशत के साथ, दूसरे महाराष्ट्र 8.8 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर है।

एन.सी.आर.बी के आंकड़ो से यह भी जाहिर होता है कि दुष्कर्म के अधिकांश मामलो में आरोपी पीड़िता के पहचान वाले है इसलिये यह एक सामाजिक समस्या है और इससे निपटने के लिए समाज के सभी वर्गो को आगे आकर प्रयास करने होगे। बच्चो पर अत्याचार के मामले में भी मध्यप्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया है।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा शासन गृह विभाग को अपनी अनुशंसाए भेजी है। जिसके अनुसार

(1) पीड़ित महिला जिस किसी थाने में शिकायत करने जावे उसी थाने में उसकी शिकायत दर्ज की जाये।

(2) मेडिकल भी अविलम्ब उसी थाने के द्वारा महिला चिकित्सक से कराया जाये।

(3) चूंकि अधिकतर दुष्कर्म के प्रकरण में चिकित्सक की रिपोर्ट अस्पष्ट होती है अथवा वह पीड़िता की व्यक्तिगत जीवन शैली जिसका प्रकरण से लेना देना नही होता है के बारे में अपना अभिमत देते है। मेडीकल करने वाले चिकित्सको को इन प्रकरणो के लिए विशेष रूप से समय-समय पर प्रशिक्षित किया जावे।

(4) आवश्यक रूप से क्लास वन महिला अधिकारी द्वारा जांच कराई जावे।

(5) बलात्कार के प्रकरणो में अनुसंधान की कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश प्रत्येक विवेचना अधिकारी को दिये जाये जिससे अनावश्यक विलम्ब न हो।

(6) पीड़िता को तुरंत मनोवैज्ञानिक और चिकित्सयी सुविधा उपलब्ध कराई

जावे।

(7) पीड़िता एवं गवाहो के बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लिये जावे एवं धारा 54(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपियो की पहचान की कार्यवाही तत्काल कराई जावे।

(8) बलात्कार के प्रकरणो की सुनवाई हेतु संभागीय स्तर पर अलग से फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाया जाये।

(9) प्रदेश में होने वाले हर दर्ज अपराध की रिपोर्ट व जांच से जुड़े सभी पहलुओ की जानकारी 7 दिवस में आवश्यक रूप से राज्य महिला आयोग को भेजी जाये।

(10) आवश्यक रूप से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं ज्यूडीशरी को महिलाओ के प्रति संवेदशील बनाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाये।

(11) बलात्कार से पीड़ित महिलाओ के लिए पुर्नवास कार्यक्रम लागू किया जाये।

मध्यप्रदेश में बारह साल से कम उम्र की बच्चियो के साथ दुष्कर्म करने पर पिछले साल ही फांसी का कानून भी बना दिया गया है। बहुत ही छोटी-छोटी बच्चियो के साथ दुष्कर्म की घटनाएँ घटित हो रही है जो अत्यंत ही शर्मनाक है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी दहेज, बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या तथा नशे की लत हमारे समाज में कायम है। मुझे विश्वास है कि हम सभी सामूहिक रूप से मिलकर इन्हे दूर कर सकते है उन सामाजिक व्यवहारो में भारतीय समाज में प्रगतिशील तथा अग्रसोची होने की परंपरा रही है जिन व्यवहारो में सुधार अथवा उनकी समाप्ति की जरूरत थी हम लोगो ने हमेशा ऐसा करने की हिम्मत एवं विवेकशीलता दिखाई। 19 वी सदी में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारको ने सामाजिक बुराइयो के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, मुझे इसमें कोई संदेह नही है कि महिलाओ के खिलाफ भेदभाव तथा हिंसा से लड़ने की इच्छा कायम है इस बात की जरूरत है कि समाज में जागरूकता पैदा कर हम अपेक्षित परिणाम पाने की कोशिश तेज करे तथा उस दिशा में अपनी शक्ति लगाये।

निष्कर्ष– प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य में महिलाओ की स्थिति पर हम नजर डालते है तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि महिलाओ और बालिकाओ के प्रति हमारे रूख में बदलाव की जरूरत है क्योंकि जब कभी भारतीय महिलाओ को अनुकूल माहौल और सही सुविधाएं मिली है वे सफल हुई है और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योगपति, पुलिस बल तथा सशक्त बल के सदस्य यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री बन गई है। एक स्वस्थ और शिक्षित महिला राष्ट्र के लिये

संपदा होती है इसलिये महिलाओ से संबंधित मुद्दे केवल महिलाओ के ही नही है उनका संबंध समूचे समाज और राष्ट्र से है। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक तत्व है महिला अपराध, आज भी स्त्री भोग की वस्तु समझी जाती है वह लिंगभेद की मानसिकता का निरंतर शिकार है इसलिए पुरूषों की मानसिकता व परंपरावादी सोच में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. रचना पत्रिका जुलाई, अगस्त 2010 पृ. 31-32, पृ. 42
2. योजना पत्रिका अक्टूबर 2008 पृ. 05, 07
3. महाजन डॉ. धर्मवीर, महाजन डॉ. श्रीमती कमलेश, अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली पृ. 219, 226, 231 से 236
4. लवानिया डॉ. एम.एम. एवं जैन शशि के. अपराध शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर पृ. 86-87
5. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 15.11.2018
6. दैनिक भास्कर समाचार दिनांक 02.10.2017
7. Khabar.NDTV.COM गूगल बेवसाइट से
8. M-Hindi.Webdunia.COM गूगल बेवसाइट से

भारतीय महिलाओं की उद्यमशीलता

* ओनिमा मानकी

भारत विकासशील देश है भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। वर्तमान समय में नारी का क्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित रहकर बच्चों को सम्भालना ही नही रह गया, अपितु नारी का क्षेत्र व्याापक हो गया है। अब उसे समानता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए वह स्वयं भी परिवार के पालन पोषण में सहयोग करती है। इसके लिए वह अपने निजी व्यवसायों को अपना रही है और समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ बराबर का सहयोग करके अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। विकासशील देशों में महिलाओं के कार्य का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इनमें गरीबी, उपेक्षा, भूख व अस्वस्थता आदि बुराईयों के विरूद्व लड़ाई लड़ने में पुरूषों के साथ स्त्री के सहयोग की निरन्तर आवश्यकता अनुभव की जा रही है। विकासशील देशों में लाखों लोग ऐसे है जिन्हें कभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नही मिला। अब इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बनाये गये है। इसमें महिला, पुरूष, बूढ़े व्यक्ति, किशोरी बालिका वैसे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इससे लोग अपने को अधिक समृद्व कर रहे है। अपनी व्यावसायिक कुशलता से आगे बढ़ रहे है और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। महिलाओं और पुरूषों दोनों की व्यावहारिक जरूरतों में आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। झारखण्ड राज्य में महिला नीति 2014 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इस नीति में महिलाओं के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा है।

महिलाओं की उद्यमशीलता– हमारे देश के खेतों में महिलाओं को तरह-तरह के कृषि कार्य करते हुए देखना आम अनुभव है। आँकड़े बताते है कि देश में उत्पादक कार्य करने वाली महिलाओं में लगभग 60 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्यों में संलग्न है। भारतीय महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में अग्रणी है-

==========

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखण्ड

* फसल उत्पादन
* पोषण सुरक्षा
* बागवानी में महिलाओं की भूमिका
* पशुपालन
* खाद्य परीक्षण
* कटाई उपरान्त प्रसंस्करण
* कृषि में उद्यमशीलता का विकास
* मत्स्य पालन
* मुर्गीपालन
* हस्तशिल्प
* ओर्गनिक फार्मिंग
* मधुमक्खी पालन
* मशरूम

भारतीय महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है पर वह अधिकतर औपचारिक रूप से गणनाओं में परिलक्षित नहीं होता है। महिला उद्यमी अपने तरीके से कृषि क्षेत्र के विकास में अच्छा योगदान दे रही है जबकि बड़े पैमाने पर उद्योगों और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायों में मौजूदा महिलाओं की उद्यमशीलता सीमित है। लघु उद्योगों में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। लघु-उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार सुक्ष्म और लघु उद्योगों में केवल 10.11 प्रतिशत महिलाओं का ही स्वामित्व पाया गया है। उनमें से केवल 9.46 प्रतिशत महिलाऐं ही प्रबंधन स्तर तक पहुँच पाई थी। 2009 के एक अनुमान के अनुसार भारतीय उद्यमी महिलाओं की पंजीकृत ईकाइयों की संख्या कुल 18,848 ही थी, जो कुल पंजीकृत ईकाइयों में से सिर्फ 32.82 प्रतिशत है।

विभिन्न उद्योगों की हिस्सेदारी में महिलाओं का योगदान देखे तो कृषि क्षेत्र तीसरे नंबर पर है। कृषि अभी भी महत्वपूर्ण रूप से हमारी जनसंख्या के एक अहम हिस्से को रोजगार प्रदान कर रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाऐं तो एक हद तक कृषि व उससे जुड़े व्यवसायों से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। भारत में उद्यमिता विकास की काफी गुंजाइश है।

विगत वर्षों से महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए है। समूह की ताकत एवं आपसी सहयोग की इस भावना को पशुपालन में स्त्री सहभागिता को एक नया आयाम देने में बखुबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया गया है और नए सूक्ष्म मॉडल के साथ गरीब

महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए है जो कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यरत है। उदाहरणार्थ- झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि के बहरागोड़ा और डुमरिया प्रखण्ड में महिलाऐं कृत्रिम गहने बनाने का कारोबार कर रही है। एन0 आर0 एल0 एम0 (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत जिला प्रशासन ने इस महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कर दिए है। इन्हें गहने बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही कारोबार के लिए बैंक से कर्ज मुहैया कराया गया है। इसमें 402 स्व-सहायता समूह यानि आठ हजार से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत किया है।

पूर्वी सिंहभूमि के चाकुलिया प्रखण्ड में महिला समिति बकरी पालन का अच्छा कारोबार कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूहों के कारोबार में तरक्की की, यह अच्छी मिशाल है। पहले उनके घर में काफी आर्थिक किल्लत थी। लेकिन अब उनके घर में किसी चीज की कमी नही है।

ग्रामीण महिलाऐं अब पूरी तरह पुरूषों पर निर्भर नही रहना चाहती। महिलाओं की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि अब वे आत्मनिर्भरता की राह पर आगे निकल पड़ी है।

सब्जियों और फलों के उत्पाद के क्षेत्र में कटाई उपरांत, क्रियाओं जैसे, प्रसंस्करण, भंडारण में महिलाओं की भूमिका घरेलू-स्तर पर निर्णायक है। इन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत अधिक है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रौद्योगिक प्रगति हुई है इनमें महिलाओं को विशिष्ट स्थान दिया गया है।

पशुपालन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नेशनल सैंपल सर्वे के एक अध्ययन के मुताबिक यह सेक्टर देश में 8-9 मिलियन लोगों को सीधे रूप से रोजगार दे रहा है। महिलाऐं पशुपालन के विभिन्न कार्यों जैसे पशुओं की देखभाल एवं खानपान, पशु उत्पादों की बिक्री आदि स्वामित्व विशेषकर बकरी, भेड़, मुर्गी आदि पर महिलाओं का अधिकार अधिक होता है। दुग्ध-उत्पादन में 75 मिलियन महिलाएं लगी हुई है, जबकि पुरूषों की संख्या 15 मिलियन है।

विगत वर्षों से विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह ने महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए है। पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी और योगदान अधिक है। बागवानी में महिलाओं की भूमिका सक्रिय रही है। उद्यमिता और रोजगार सृजन में पर्याप्त संभावनाओं को देखकर भागीदारी में वृद्वि हुई है। जैसे कि बागवानी फसलों का महत्व वाणिज्य पौष्टिक आहार और निर्यात में बढ़ रहा है।

इसी भांति झारखण्ड के ओरमांझी प्रखण्ड ग्राम बरवे की महिलाएं केन्द्र

सरकार की अंबेदकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत बांस पर अपना हुनर दिखा रही है। यहाँ समूह बनाकर बांस से सामान बना रही है। पेन स्टैंड, लेटर बॉक्स, गुलदस्ता, लावर पोर्ट, नाईट बल्व स्टैंड, टीट्रे श्रृंगार बॉक्स जैसी कई चीजें बनाती है और बाजार में इन चीजों की अच्छी मांग है, उसमें महिलाओं को अच्छी-कमाई हो जाती है।

महिलाएं, छोटी जरूरतों के लिए हो रही आत्मनिर्भर, परिवार में भी सहारा दे रही है। बंगाल सीमा से सटे पूर्वी सिंहभूमि नक्सल प्रभावित पटमदा के आवल घुटू गाँव में, महिलाओं ने बैंक से छोटी राषि ऋण लेकर साग की खेती की। इसमें जमीन परती खाद गोबर का, बीज घर का, पानी तालाब का। जब साग की बिक्री, हुई तो सभी महिलाओं को दो-दो हजार रूपये मिलें। इस पूँजी से अन्नपूर्णा नारी कल्याण महिला समूह का गठन किया। इस समूह में 11 सदस्यों में 10 महिलाएं थीं।

अब समूह की महिलाएं पशुपालन, केंचुआ, खाद्य निर्माण, गेहूँ की खेती, मिर्ची, आलू की खेती का कार्य अपनी-अपनी जमीन पर करती है। इससे अच्छा लाभ भी कमा रही है, वो भी बगैर परिवार के पुरूषों के सहयोग के, फिलहाल महिलाओं को प्रतिमाह 6-7 हजार मासिक आमदनी हो रही है।

इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त व स्वावलम्बी बनाने तथा उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में स्वयं सहायता समूहों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार, समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों को स्वयं सहायता समूहों के सफल मार्ग में विभिन्न अवरोधों का निवारण करके हर सम्भव प्रयास करने होंगे जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सकें। इससे देश को वास्तविक अर्थों में समृद्धि, विकसित एवं समतामूलक राष्ट्रों की श्रेणी में ला सकते है।

सुझाव-

भारत की महिलाओं के लिए अलग तरह के प्रसार मॉडल की आवश्यकता है जो कि पुरूषों के मुकाबले महिलाओं के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

महिलाओं की सृजनशीलता, शैक्षणिक स्तर, बौद्धिक योग्यता, लचीलापन, निर्णय लेने की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए सभी विकास कार्यक्रमों के लिए अलग प्रसार रणनीति की आवश्यकता है जो कि कृषक महिलाओं के लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्व हो सकें।

महिलाओं को विशेष प्रकार से दक्ष किया जाए कि वे व्यक्तिगत स्तर पर या समूह स्तर पर कृषि आधारित व्यवसाय अपना कर आय में वृद्वि कर सके।

महिलाओं की सफल गाथाओं को प्रचार व प्रसार के माध्यमों से अधिक से अधिक आबादी तक पहुँचाने की कोशिश होना चाहिए।

महिलाओं को फसल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकीय सषक्तिकरण को मुख्य धारा में लाकर समानता का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

महिलाओं को पोषण वाटिका के संचालन का पूरा प्रशिक्षण एवं पोषण ज्ञान देकर उन्हें फल एवं सब्जी उत्पादन, हरी पत्तेदार सब्जियों का उचित प्रयोग करने से पोषण स्तर को सुधारा जा सकता है।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं को कृषि से जुड़ा सेक्टर उपयोगी अवसर देता है। सहकारी उद्यम स्वयं सहायता समुह, सस्ते ऋण, तकनीकी सहायता, मछली पालन, पशुपालन जैसे प्रयास में महिलाओं की भागीदारी अहम और महत्वपूर्ण है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2014 पृष्ठ- 40-45
2. हिन्दुस्तान,15 अगस्त 2018 पृष्ठ- 9
3. दुबे मनीष, दुबे विभा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद 2010 पृष्ठ-596-597
4. जनहित जागरण, 18 अप्रैल 2017 पृष्ठ-3

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ : एक सशक्त पहल

* शीला समद

''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता''

उक्त श्लोक से स्पष्ट है कि किसी भी समाज की खुशहाली का आधार उस समाज में महिलाओं के स्तर व उन्हें प्राप्त सम्मान से आँका जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों में महिलाओं को बराबरी अथवा उच्चतर दर्जा प्राप्त है, वे विकास व प्रगति की दौड़ में अपने समकालीनों से मीलों आगे रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे सेनानायक ने महिलाओं को शिशु व समाज दोनों की आनुशागिक पाठशाला स्वीकारते हुए एक महान राष्ट्र के निर्माण में उनकी उपादेयता यूँ ही अकारण स्वीकार नहीं की थी। यद्यपि आदिकाल से स्त्रियों को पुरूषों से अधिक सम्मान दिया गया है, परन्तु मानव सभ्यता के विकास व आधुनिकीकरण के युग में स्त्री पर अत्याचार, शोषण व हिंसा जैसी घटनाएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक संरचना में ऐसी अनेक विसंगतियाँ हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गो में व्याप्त असन्तोष, अन्तविरोधों को दूर कर सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाने, परम्पराओं एवं कुप्रथाओं को त्यागने और इन्हें समाज सुधार की दिशा में प्रेरित करना आवश्यक है। महिला संघर्ष और उसकी अस्मिता को सबसे पहले 8 मार्च, 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और यह दिन अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति जारी की तथा इस वर्ष को 'महिला सशक्तीकरण' वर्ष घोषित किया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे - शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी-अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है इन सबके अलावा महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से सम्बधित कई योजनाएं और अभियान अमल में लाए गए हैं।

==========

* सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, महिला कॉलेज, चाईबासा

महिला सशक्तिकरण हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिका विकास व संरक्षण की ओर जन-जन का ध्यान आकर्षित करने व जागरूकता लाने के उद्देश्य से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बालकों की तुलना में बालिकाओं की कम संख्या की समस्या दूर करने के लिए हरियाणा के पानीपत से देशव्यापी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं (22 जनवरी, 2015) योजना की शुरूआत की।

योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य– 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

* देश में निरन्तर घटते लिंगानुपात की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना तथा कन्या भ्रूण हत्या को सख्ती से रोंकने का प्रयास करना।
* लिंग भेद से पूर्वाग्रसित मनोवृति को समाप्त करना।
* बालिका जन्म को प्रोत्साहित व संरक्षण प्रदान करना।
* बालिका सारक्षता के स्तर को बढ़ाना एवं प्रोत्साहित करना।
* बालिका की पोषण स्थिति व स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना।
* बालिका को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर व संरक्षित माहौल प्रदान करना।
* देश की आधी आबादी को उनके मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल करना।

योजना की विशेषताएं–

* **बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना**– देश में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। 2001 की जनगणना में यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों के पीछे 927 लड़कियों थी, वहीं 2011 में यह घटकर प्रति हजार 914 हो गया। 0-6 आयु वर्ग में 2001 में कुल जंनसंख्या का 16 प्रतिशत बच्चे थे लेकिन 2011 में इसकी संख्या घटकर 13 प्रतिशत हो गई। छोटी बच्चियों की सुरक्षा के लिए और उनके परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने का यह एक मजबूत प्रयास है।
* **सुकन्या समृद्धि खाता**– बेटी बचाओ अभियान के अन्तर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरूआत की गई है यह बालिका के लिए एक लघु बचत योजना है जिसमें 9.1 फीसदी की दर से ब्याज की व्यवस्था के साथ यह आयकर से मुक्त है, इससे प्रात राशि का उपयोग अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा एवं शादी के लिए कर सकते हैं। यह उनके परिवार की वितीय स्थिति को सुधारने में कुछ मदद करेगा।
* **बेहतर ब्याज दर**– इस योजना में खोले जाने वाले बचत खाते में ब्याज दर बेहतर दी जाएगी, यह अन्य चीजों में दी जाने वाली ब्याज दर से बेहतर

दी जाएगी, तथा यह अन्य चीजों में दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होगी।

* **स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी**– इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को किसी भी प्रकार से स्कूल फीस नहीं देनी होती है। साथ ही कुछ प्राईवेट स्कूलों में भी बच्चियों के लिए विशेष छूट दी जाती है।

* **योजना की देख–रेख**– इस योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा की गई है, लेकिन इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भी संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है, ताकि महिला भ्रूणहत्या जैसे गुनाह समाप्त हो और संतुलित एवं शिक्षित समाज को बढ़ावा दिया जा सके।

* **कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कानून**– देश में कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या रोकने के लिए भारतीय दण्ड विधान की धारा 315 और 316 में व्यवस्था है, जहां कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भवती महिलाओं को जीवन से खतरा होने की स्थिति में गर्म का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (यथा- संशोधित 2003) की व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम, 1994 (यथा -संशोधित 2002) 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी बनाया गया जिसमें प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को अपराध की श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान भी किया गया। इस प्रकार यह कानून गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोंकता है और सभी क्लीनिकों, अस्पतालों में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण को कानूनी जुर्म बताकर इसकी मनाही है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' योजना की सार्थकता–

* **सामाजिक –मानसिक परिवर्तन की दिशा में प्रभावी प्रयास**– यह योजना लड़का-लड़की का भेद मिटाने एवं लड़कियों के प्रति समाज की दकियानूसी सोच में बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना को लागू करके सरकार समाज द्वारा महिलाओं को समान दर्जा देने, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, देह व्यापार, दहेज प्रताड़ना व हत्या जैसे अमानवीय अपराधों को रोकने में कामयाब होगी। बेटियों को लेकर समाज में फैली रूढ़िवादी धारणाओं एवं समाज व परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए घटते लिंगानुपात को सख्ती से रोकना अत्यन्त आवश्यक है यह कार्य केवल सरकारी प्रयासों से ही सम्भव नहीं है, बल्कि जन सहयोग ही इस अभियान को सफल बना सकता है।

* **सामाजिक अन्धविश्वासों व कुरीतियों को रोकने में सहायक**– विकास के युग में अभी भी अशिक्षा अन्धविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों की खाई को पार करना बाकी है। शिक्षा के मामले में लड़कियों के साथ भेदभाव, बालिका वध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा व बलात्कार जैसी

समस्याएं चिन्ताजनक है। वैश्विक लैंगिंक भेद सूचकांक 2014 में 142 देशों की सूची में भारत 114 वें स्थान पर है। जन्म पूर्व लिंग परीक्षण विनियम व प्रतिषेध अधिनियम को बने हुए लगभग 20 से भी अधिक वर्ष हो गए पर फिर भी बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है जब बेटियां शिक्षित होगी, तो उनमें चेतना, स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता आएगी। महिलाओं के प्रति सोच को लेकर समाज का नजरिया धीरे-धीरे अवश्य बदलेगा, शिक्षित बालिकाएं ही समाज में फैले अन्धविश्वास और कुरीतियों में बदलाव की क्रान्ति ला सकती है।

* **आर्थिक स्वावलम्बन का आधार**– यह कहा जाता है कि यदि बालिका शिक्षित होगी, तो दो परिवार शिक्षित होंगे। देश की आर्थिक प्रगति व विकास का यदि वास्तविक मूल्यांकन करना है, तो महिला शिक्षा का स्तर उन्नत करना होगा, महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरूषों पर ही निर्भर रहती आई हैं, परन्तु बालिका शिक्षा पर जोर देने पर देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, आर्थिक विकास सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को समाज और देश में नई पहचान, बेहतर रोजगार/आजीविका के साधन प्राप्त होगें और वे अपने पैरो पर खड़ी होगी।

* **बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन व महिला सारक्षता का प्रसार**– देश में महिलाओं की सारक्षता दर 40 प्रतिशत है। सामान्यतया 6 से 10 साल की लगभग 25 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। राज्यवार सारक्षता की दृष्टि से बिहार में 53.3% राजस्थान 52.7 उत्तर प्रदेश 59.36, हरियाणा 56.91 व केरल 92% सारक्षता की दर 2011 की जनगणना आकड़ों में दर्ज की गई। इस योजना के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी व पिछडे क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा का प्रसार होगा।

* **महिला स्वास्थ्य, पोषण व रोजगार के स्तर में वृद्धि**– एक स्वस्थ मां ही स्वस्थ संतान को जन्म देती है और स्वस्थ बच्चा ही देश व समाज का उज्जवल भविष्य बना सकता है। परन्तु देश में बालिका का पोषण, स्वास्थ्य व रोजगार का स्तर लड़कों की तुलना में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। देश की 50% महिलाएं कुपोषित हैं उनमें आयरन की कमी आम बात है। सरकार को जननी सुरक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। वर्तमान सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है।

* **महिलाओं को कानूनी हक दिलाने में सफलता**– महिलाएं शिक्षित होगी, तभी वह सशक्त सामर्थ्यवान बनेंगी, अपने अधिकारों एवं हक के लिए लड़ेगी, उनके साथ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता व चेतना भी आवश्यक है, ताकि

उनके साथ होने वाली हिंसा व शोषण को रोंका जा सके। सामजिक मानसिकता में बदलाव लाने की दिशा में ऐसी योजनाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

* **महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी**– महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अर्न्तराष्ट्रीय पत्रिका न्यूजवीक के सर्वे के मुताबिक भारत महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका अदि से भी पीछे 141 वें स्थान पर है, देश में करीब 92 महिलाएं प्रतिदिन दुष्कर्मो का शिकार हो रही हैं इन्हें रोकने के लिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर उन्हें सशक्त जागरूक व आधुनिक परिवेश के अनुरूप बनाना होगा।

निष्कर्ष– 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें अनेक प्रयास कर रही हैं, इनमें जिले वार ब्राण्ड एम्बेसडर का चयन, रथ यात्रा, बालिका समृद्धि योजना, राजलक्ष्मी योजना, मीडिया, समाचार-पत्र पत्रिकाओं, रोल मॉडल, संगोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग आदि हैं। इनके माध्यम से निश्चित तौर पर पुरूष प्रधान समाज में लड़के-लड़कियों में भेद की मानसिकता में बदलाव आएगा। बालिका के पक्ष में स्वस्थ व सकारात्मक माहौल विकसित करने व उन्हें शक्ति-सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी। लिंग समानता के बिना नारी सशक्तिकरण की कल्पना करना अधूरा है, अतः कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, समाज को भी बेटी के जन्म पर खुशी मनाना, पैतृक सम्पति में से उन्हें उचित हिस्सा मिलना, बाल-विवाह पर रोक लगाना, माता-पिता के दाह संस्कार का हक बेटियों को भी प्रदान करना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना व वितीय समावेशन में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। यदि केन्द्र, राज्य सरकारें एव हम सब पूर्ण तत्परता से इस दिशा में प्रयास करे तो धीरे-धीरे हो सही परिवर्तन अवश्य आएगा।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. राजकुमार डा0 : नारी के बदलते आयाम (2005) अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली।
2. श्रीवास्तव राज डा0 : झारखण्ड में महिला सशकतीकरण (2011), के0 के0 पब्लिकेशन्स, रांची।
3. योजना (मासिक पत्रिका) : प्रकाशन विभाग, भारत सरकार,
4. ग्रामीण समाजिक विकास (MRDE-101) खंड - 4 इग्नू।
5. प्रभात खबर 8 मार्च 2013, जमशेदपुर।
6. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक पत्रिका): आगरा।
7. www.google.com

भारतीय नारी आज और कल एक विश्लेषण

* डॉ. आर.एन. तिवारी
**डॉ. (श्रीमती) गायत्री शुक्ल

प्राचीन भारत में नारी का स्थान पूजा के योग्य माना जाता था। मनु ने भी कहा है, ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते, तत्र देवता''। स्त्री को घर के मान-सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में स्त्री की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि-पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रमर्हति इस श्लोक के अनुसार बालपन में यानी बचपन में स्त्री की रक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता की होती है। जब स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। बुढ़ापे में स्त्री की संतानों को ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिन घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता है, वहां नारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है और घर का मान-सम्मान बना रहता है। सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए घर में शास्त्रों में बताई गई स्त्रियों से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जिन घरों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है, वहां दरिद्रता नहीं रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महाभारत में भी कहा गया है, ''अर्द्ध भार्या मनुष्यस्य''- अर्थात् पत्नी मनुष्य का आधा भाग है। ऋग्वेद में पत्नी को पति के घर में रानी की तरह रहने का आशीर्वाद दिया गया है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में पति-पत्नी के लिए सामूहिक रूप से दंपति शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि स्त्रियों की ऊँची स्थिति का द्योतक है। इस प्रकार पति-पत्नी का परस्पर बराबर का स्वामित्व माना जाता है। महाभारत में पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नही हो सकता था। पत्नी रहित व्यक्ति को युद्ध करने का अधिकार नहीं था। अश्वमेघ यज्ञ करते समय श्री राम ने सीता की अनुपस्थिति में उनकी सोने की प्रतिमा को रखकर यज्ञ पूर्ण किया। उपनिषदों के अनुसार जब गार्गी ने महाराज जनक के दरबार में याज्ञवालक्य ऋषि से ब्रम्हविद्या के विषय में ऐसे-ऐसे प्रश्न किए तो उनको यह कहकर पीछा

==========

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** संयुक्त संचालक, सेण्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा (म.प्र.)

छुड़ाना पड़ा कि तुम ऐसे विषय में प्रश्न पूछ रही हो जिनके बारे में बहुत प्रश्न करने नहीं चाहिए। एतरेय ब्राम्हण में पत्नी को पति का साथी कहा है। अथर्ववेद में भी उल्लेख है कि ''नव वधू तू जिस घर में जा रही है, वहॉ की तू साम्राज्ञी है। तेरे सास, ससुर, देवर व अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हों।''यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रफला क्रिया। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवी-देवता निवास करते हैं। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां सभी प्रकार की पूजा करने के बाद भी भगवान निवास नहीं करते हैं। भगवान की .पा के बिना घर में हमेशा ही गरीबी रहती है। गरीबी को दूर रखने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।देवी-देवताओं की पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं और अक्षय पुण्य मिलता है। इसीलिए काफी लोग नियमित रूप से पूजा करते हैं। जो स्त्रियां विवाहित हैं, उन्हें पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।शास्त्रों में लिखा है कि-नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।पित शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।।इस श्लोक का अर्थ यह है कि विवाहित स्त्रियों को अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी स्त्रियों को सभी पूजन कर्म अपने पति के साथ ही करना चाहिए। यदि शादी के कोई स्त्री अकेले ही पूजा करती है तो उसे पूजा से पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। पूर्ण शुभ फल पाने के लिए पति-पत्नी, दोनों को ही एक साथ पूजा करनी चाहिए।

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी। वैदिक युग में लड़कियों को लड़कों के बराबर समझा जाता था। कुछ लोग विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि किया करते थे। पर्दा-प्रथा नहीं थी। पुरूषों के समान स्त्रियॉ भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। उपनयन के बाद विवाह तक ब्रम्हचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। इस प्रकार उनको सभी विषयों के समान अधिकार प्राप्त थे, किन्तु धीरे-धीरे स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत गिर गयी। स्मृतिकारों ने छोटी आयु में विवाह के नियम बनाये, जिनसे बाल विवाह प्रथा प्रचलित हुई। साथ ही विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। स्त्री-पुरूषों की समानता का प्राचीन आदर्श समाप्त हो गया तथा स्त्रियॉ पुरूषों की दासी मान ली गयी। बौद्धों और मुगलकाल में पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा व जौहर-प्रथा का प्रचार हुआ। उनका भयंकर शोषण हुआ। उन पर बड़े-बड़े अत्याचार हुए। कन्या के जन्म पर आज भी बहुत से लोग शोक मनाते है। साधारणतया प्रत्येक परिवार में कन्या के उत्पन्न होने पर उतनी प्रसन्नता नही होती जितनी कि पुत्र के उत्पन्न होने पर होती है। अधिकतर भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि में लड़कियों को लड़कों के समान महत्व नहीं दिया जाता है। विवाह के योग्य होने पर उनकी सहमति के बिना ही उनका विवाह कर दिया जाता है। पति के घर में

पति, सास, ससुर, ननद, देवर आदि सभी बहू को सबकी आज्ञा मानने वाली और चुपचाप दिनभर काम करने वाली दासी समझते है। उससे यह आशा की जाती है कि वह सबसे पहले उठे, सबके बाद सोये, सबसे अधिक काम करे और सबसे कम बचा-खुचा भोजन करे, सबसे अधिक डॉट सहे और मुँह खोलने पर पति की मार खाये। यदि पति उसको छोड़ दें अथवा दूसरा विवाह कर लें या मर जावे तो उसके सिर पर आफत का पहाड़ टूट जाता है। सब उसे कुलक्षणी कहते हैं, उससे घृणा करते हैं और कोई शुभ काम में उसे पास नहीं फटकने देते। विधवा के पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता, न ही कोई उससे विवाह करता है। इस प्रकार अशिक्षित व दुर्बल नारी ने वधू, विधवा, दासी, स्त्री के रूप में पुरूषों के अत्याचार सहे। कुछ पुरूष दार्शनिकों ने तो उसे नरक का द्वार तक कह डाला। माना कि पुरूष शुद्ध और महान है। उसने स्त्री को अपनी वासनाओं का खिलौना बनाकर सारा दोष उसी के सिर पर मड़ दिया। विधवा को विवाह की अनुमति नहीं दी। पत्नी को दासी माना गया, सामाजिक रूढ़ियों व पारम्परिक प्रथाओं में आबद्ध नारी जंजीरों से बँध गयी। तुलसीदास ने भी कहा है- 'ढोल गँवार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।' गोस्वामी जी ने यह शब्द चाहे किसी भी अभिप्राय से लिखे हों लेकिन पुरूषों ने इस वचन का सदियों तक अक्षरशः पालन किया है और अब भी कर रहे हैं। स्मृतिकारों ने पति के जीवित रहते हुए स्त्री को दासी के समान उसकी सेवा करने और उसके मर जाने पर पति की चिता पर चढ़ कर उसके स्वर्ग में मिलने की चेष्टा करने वाली समझा गया। पुरूष कितने भी विवाह कर ले, स्त्री को बोलने या प्रतिकार करने की अनुमति नहीं थी। स्त्री के गर्भ में ही उत्पन्न पुरूषों ने उसको हेय समझ कर शिशु के रूप में ही उसका गला घोट दिया या विष दे कर मार डाला, पति के साथ सती होने पर विवश किया, और उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया। इस प्रकार स्त्रियों की दशा का वर्णन हमारे राष्ट्रीय कवि स्व0 मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों से झलकता है-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आँखों में पानी।

परन्तु स्वतंत्रता के इस युग में स्त्रियों ने भी पुरूष के अत्याचारों के विरूद्ध विद्रोह किया है। उन्होंने धर्म के ठेकेदार, समाज के कर्ता-धर्ता पुरूषों के विचारों को चुनौती दी है व जहाँ कहीं भी उनको पुरूष से हेय माना गया, वहाँ उसने विद्रोह किया है। उसने बालिका, वध, सती, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, पुरूषों द्वारा बहू विवाह, स्त्रियों का सम्पत्ति आदि में समानाधिकार न देना, स्त्रियों में शिक्षा की कमी और उन्हें अबला आदि समझने के विचारों और सिद्धान्तों के मूल में छिपे पुरूष के स्वार्थ व शड़यंत्र को समझा।

अब स्त्रियों को वचनों से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता क्योंकि धर्मशास्त्र भी आखिर पुरूषों ने रचे हैं। उन्हें स्मृतिकारों, दार्शनिकों तथा महात्माओं के वाक्यों से धोखे में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये सभी पुरूष ही थे और स्त्रियों की भावनाओं व प्रतिभावों और त्याग को सही रूप में नहीं समझ सकते थे। स्त्रियों की यह चुनौती (स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष) किसी अबला की दबी आवाज नहीं बल्कि उसके अधिकारों के युद्ध की घोषणा है। उसकी हर क्षेत्र में जीत निश्चित है। उसमें साहस, बल , शिक्षा, आजादी के लिए आग्रह है।

कविवर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति है-''नारी तुम श्रद्धा हो'' परन्तु आज के संदर्भ में इस प्रकार कहा जाना चाहिए, ''नारी केवल तुम मुद्दा हो'' चाहे रोजगार का सवाल हो या महिला आरक्षण का, या महिला सशक्तिकरण का दहेज से मुक्ति का मुद्दा हो, बलात्कारियों को फॉसी देने का यह सब बहस के मुद्दे हैं।

यह सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि महिला सदियों से भेदभाव व शोषण सहते-सहते निःशक्त हो गयी है। उसकी योग्यताओं को दबाकर उसे चूल्हे-चौके में धकेलते हुए पुरूष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में उसका एक वस्तु के रूप में उपभोग किया है। जबकि नारी ने समाज के प्रति अपने कई रूप समर्पित किये हैं। वह माँ, पत्नी, प्रेयसी, गृहणी व बहिन के रूप में जीवन का सृजन, लालन-पालन, प्यार, सेवा भाव और स्नेह सींचती है। नारी क्षमा, त्याग, वात्सल्य और प्रेम की साक्षात् प्रतिमूर्ति है। जो स्वयं तिल-तिल जलकर भी पुरूष को जीवनदान देती है। समाज के प्रति स्त्री का दायित्व पुरूष से बहुत बड़ा है। इसलिए वह मात्र बराबरी की नहीं सम्मान की भी अधिकारी है। किसी देश की सभ्यता की श्रेष्ठता का पैमाना अब यह ही नहीं है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? बल्कि यह है कि वहॉ का पुरूष समाज स्त्रियों को कितनी आजादी देता है।

बहुत पहले स्वामी विवेकानन्द ने विश्व मंच पर कहा था, ''औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना।'' जब तक इस सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक और आर्थिक भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता तब तक महिला को मात्र राजनैतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में व्याप्त है। तभी 1975 में विश्व ने 8 मार्च को '' अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' की औपचारिक रस्म अदायगी शुरू कर दी। परन्तु इन पैंतीस वर्षों में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। पुरूष प्रधान सरकारों ने भी महिला विकास को ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया।

भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ-साथ एक नवीन युग का प्रारम्भ

हुआ। धर्म प्रचारक ईसाई संस्थाओं ने हिन्दू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर सामाजिक क्रान्ति लाई। उन्होंने विधवा विवाह प्रारम्भ करने का प्रयास किया। पाश्चात्य देशों का भारतीय विचारकों पर भी प्रभाव पड़ा। राजा राम मोहन राय पहले विचारक थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया और 1827 में इस सम्बन्ध में कानून बना।

ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के लिए सुधार आंदोलन चलाये तथा सरकार से आग्रह करके विधवाओं के पुनर्विवाह की मांग की। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1जनवरी 1848 में पूना के भिड़ेवाड़ा में प्रथम पाठशाला खोली जिसमें उनकी पत्नी सावित्री बाई शिक्षिका थी। बौखलाए पाखंडियों ने सावित्री बाई पर मिट्टी तथा पत्थर फेंके और अपमानित किया लेकिन सावित्री बाई ने हिम्मत नहीं हारी। डा0 भीमराव अंबेडकर ने भी स्त्री शिक्षा को महत्व दिया।

भारतीय समाज में महिलाएँ एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में अशिक्षा, रूढ़िवाद, पर्दाप्रथा तथा पुरूष पर अधीन रहना है। स्वतंत्रता के बाद बनाये गये कानूनों, शिक्षा के प्रचार और महिलाओं की स्वतंत्रता समानता के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गयी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 के अनुसार कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया अर्थात् राज्य द्वारा नागरिकों को धर्म, जाति, मूल वंश लिंग और जन्म स्थान को आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक रोजगार की समानता, अवसर की समानता और सभी प्रकार की स्त्री पुरूषों को बराबर समानता, अवसर की समानता और सभी प्रकार की स्त्री पुरूषों को बराबर समानता और स्वतंत्रता दी गई। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये गये, ताकि महिलाएँ राजकाज में हिस्सा ले सके। वर्तमान में महिला विधेयक महिला लंबित है। सभी राजनैतिक दलों में विशेषकर पुरूष सोच में सहमति न होने से यह अभी तक पास नहीं हुआ है।

संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया इसके बावजूद असंख्य महिलाएँ आज भी हिंसा और शोषण का शिकार हो रही है। उन्हें मारा-पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है, जिंदा जलाया जाता है, अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। समय-समय पर महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए, उनके विकास के लिए भारत में अनेक कानून बनाये गये हैं, जैसे- (1) बाल विवाह अधिनियम, 1955 (2) विशेष विवाह अधिनियम, 1955 (3) हिन्दू विवाह

अधिनियम, 1955 (4) भारतीय ईसाई अधिनियम, 1872 (5) भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 (6) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (7) संपरिवर्तित विघटन अधिनियम, 1966 (8) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (9) विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1974

सरकारी अधिनियमों, कानूनों का समाज में असर दिखाई दिया। महिलाओं के शोषण के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रगति हुई। उन्होने स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। चाहे वे संख्या में कम हो पर आज हम महिलाओं की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति देख रहे हैं, वे डाक्टर, इंजीनियर, पायलेट, पत्रकार, वैज्ञानिक, प्रबंधक, अध्यापक, प्रशासक, विधिवेत्ता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और सरपंच तक विभिन्न पदों को बखूबी निभा रही है।

1981 की जनगणना के अनुसार महिला कार्यकर्ताओं के 89.5 प्रतिशत को असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है। इनमें से 82.3 प्रतिशत खेती तथा इससे जुड़े व्यवसायों में काम करती है, संगठित क्षेत्रों में महिला कर्मियों की संख्या 13.3 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र में तथा निजी क्षेत्र में उनका योगदान 17.8 प्रतिशत है, राष्ट्रीय सेवाओं में 5.8 प्रतिशत महिलाएं है। भारतीय पुलिस सेवा में 9 प्रतिशत तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में पुरूषों की तुलना में 7.5 प्रतिशत महिलाएं है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति नगण्य है, लोकसभा में महिलाओं की वर्तमान 545 सीटों में 59 महिला सांसद हैं अर्थात् 10.83 प्रतिशत राज्यसभा में 250 सीटों में 25 महिलाएं अर्थात् 10 प्रतिशत महिला सांसद है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् अब तक 63 वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक नीतियॉं बनायी गयी जिनमें 70 के दशक तक कल्याण की संकल्पना , 80 के दशक तक विकास की नीति और 90 के दशक में अधिकार व 21 वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आहार इत्यादि महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और नौकरियों के संवैधानिक कानूनों और प्रशासनिक प्रावधानों को देखने के लिए एक राष्ट्रीय समिति 1971 में महिला प्रस्थिति समिति बनायी गयी। महिलाओं के विकास के लिए 1990 का वर्ष बालिका वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गयी। लिंग भेद को समाप्त करने, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, बालिकाओं को गोद लेने के नियम बनाए गये हैं।

यद्यपि भारत में महिलाओं ने उन्नति के शिखरों को छुआ है। भारतीय महिलाओं ने सम्पूर्ण विश्व में भारत को गरिमा प्रदान कराई है। लेकिन वह, वह

तबका है जो सामाजिक विकास की ऊँचाइयों को छू चुका है। आज भी देश में अधिकांश तबका उन्हीं पुरातन विचारधारा से जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसमें महिलाओं में शोषण है। उस तबके को संरक्षण के लिए केवल कानून की नहीं बल्कि सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। कानून को किताबों के दायरों से बाहर निकालने और समाज में संरक्षण हेतु लागू करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। जिससे कि आम महिला का संरक्षण हो सके, उसका शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक विकास हो सके और देश की आम महिला के प्रति भी महिला सशक्तिकरण का भाव सकारात्मक रूप से प्रकट हो सके। महिलाओं के सशक्तिकरण का मूल मंत्र महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण है जिसके अभाव में महिलाओं के सशक्तिकरण की परिकल्पना अध ूरी है। कानून नहीं बल्कि महिला का आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना उसे एक सशक्त महिला की पहचान दे सकता है और आम महिला भी इन्दिरा गाँधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, सुनिता विलियम्स बन सकती है।

==========

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. प्रमिला कपूर, 'मैरिज एंड दी वर्किंग वूमैन इन इण्डिया,' विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. वी0 आर0 नंदा, 'इंडियन वुमैन फ्राम पर्दा टू मोडर्निटी,' विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एन0के0 उषा राव, वुमैन इन डवलपिंग सोसायटी, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1983
4. डा0 ललित शुक्ल, 'नारी,' पूर्वोदय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980
5. देवेन्द्र कुमार, नारी, पूर्वोदय प्रकाशन, नई दिल्ली,1980
6. संतोष यादव, 19 वीं और 20 वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति, रूपा प्रिंटर्स, नई दिल्ली।
7. आशा रानी बोहरा, भारत की अग्रणी महिलाएँ, राजपाल एंड संस, नई दिल्ली, 1987
8. तारा अली वेग, इंडियाज वुमैन पावर, चांद एंड कम्पनी प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 1976
9. एम0ए0 अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000
10. टुवर्डस इक्वेलिटी, रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी आन दि स्केट्स आफ वीमेन इन इंडिया, भार सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, दिसम्बर, 1974
11. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण विमर्श और यथार्थ, पाइंटर पब्लिकेशन, जयपुर, 2004
12. शर्मा और ब्यास, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
13. https://hindi.speakingtree.in/blog/content-558887

सम्पादक परिचय

डॉ. एस. अखिलेश एक ऐसे युवा समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिये छः बार प्रतिष्ठित ''**पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त एवार्ड**'' तथा सन् 2006 में भारत सरकार द्वारा ''**भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड**'' से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल प्रारम्भ से ही एक मेधावी अध्येता रहे हैं। जिन्होंने ''जुविनाइल डिलिनक्वेंसी'' जैसे गूढ़ विषय पर शोध कार्य पूर्ण करके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से डॉक्टर आफ फिलासफी की उपाधि 1994 में अर्जित की। 1997–98 में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, भारत सरकार द्वारा ''**गोल्डन जुबली रिसर्च फेलोशिप**'' स्वीकृत की गई थी। डॉ. अखिलेश को ''**प्रो. रमाकुमार सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल**'' (1990) से सम्मानित किया गया है। डॉ. शुक्ल की अभी तक 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अखिलेश के 300 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिसर्च जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक शोध पत्र प्रकाशनाधीन हैं। डॉ. अखिलेश इस समय शासकीय टी. आर.एस. आटोनामस कालेज (एक्सीलेन्स सेन्टर) रीवा में कार्यरत हैं। इनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी समाजशास्त्र एवं अपराधशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. अखिलेश **रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेज (आई. एस.एस.एन. 0973-3914)** तथा **रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज (आई.एस.एस.एन. 0975-4083)** के ऑनरेरी एडिटर का कार्य भी सम्पादित कर रहे हैं।

GAYATRI PUBLICATIONS
Rewa - 486001 (M.P.) INDIA
Mobile : 07974781746
E-mail : gayatripublicationsrewa@rediffmail.com
www.researchjournal.in

978-81-87364-77-1